चतुर्थ माला, खंड 11, अंक 21 मंगलवार, 12 दिसम्बर, 1967/21 अग्रहायण, 1889 (शक)

Fourth Series, Vol. XI, No. 21 Tuesday, December 12, 1967/Agrahayana 21, 1889(Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र / Third Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 9.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 11 में अंक 21 से 30 तक हैं / Vol.XI contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 21, मंगलवार, 12 दिसम्बर, 1967/21 अग्रहायण, 1889 (शक)

No. 21, Tuesday, December 12, 1967/Agrahayana 21, 1889 (Saka)

ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
602.	चावल के आयात के सम्बन्ध में सौदा	Rice Import Deal	2929-2932
604.	मध्य प्रदेश में चीनी की मिलें	Sugar Mills in Madhya Pradesh	2933-2936
606.	ट्रंक काल के मामले में बिड़ला परिवार को प्राथमिकता	Preference to Birla's family in concern with Trunk Calls	2936-2937
607.	नगरों में राशन व्यवस्था	Rationing in Cities	2937-2941
608.	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन	Amendment of Hindu Succession Act	2941-2942
	अल्प सूचना प्रश्न **Short Notice Question.**		
12.	दिल्ली में स्प्रिट की कमी	Shortage of Spirit in Delhi	2943-2946
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
601.	नालागढ़ समिति का प्रतिवेदन	Nalgarh Committee's Report	2946
605.	दिल्ली में लगान की वसूली	Collection of land revenues in Delhi	2946
609.	गन्ने की खेती	Cultivation of Sugarcane	2946-2947
610.	बागान श्रमिकों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board on Plantations	2947

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
611.	पत्रकारों से भिन्न कर्मचारियों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	Non-Journalist Wage Boards's Recommendations	2947-2948
612.	सहकारी समितियाँ	Co-operative Societies	2948
613.	केन्द्रीय भाण्डागार निगम	Central Warehousing Corporation	2948-2949
614.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था	Indian Agricultural Research Institute	2949
615.	उर्वरकों की कमी	Shortage of Fertilizers	2949
616.	गो सदन	Go Sadans	2950
617.	खाद्यान्न के आयात के लिए भाड़ा	Freight charges for import of Food grains	2950-2951
618.	पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी लोग	East Pak Refugees	2951
619.	बेरोजगारी के बारे में विदेशी विशेषज्ञों का प्रतिवेदन	Foreign Experts Report on unemployment	2951-2952
620.	श्रम विधियाँ	Labour Laws	2952
621.	राशन में मेक्सिकन किस्म के गेहूँ की सप्लाई	Supply of Mexican Variety of Wheat in Ration	2952
622.	भारतीय खाद्य निगम	Food Corporation of India	2952-2953
623.	आयल इण्डिया लिमिटेड में हड़ताल	Strike in Oil India Ltd.	2953
624.	दिल्ली में सहकारी समितियाँ	Co-operative Societies in Delhi	2953
625.	दिल्ली में खेती वाली भूमि का अर्जन	Acquired Land under cultivation in Delhi	2954
626.	खाद्योन्नों पर राज सहायता बन्द की जाना	Withdrawal of subsidy on Foodgrains	2954
627.	चावल का निर्यात	Export of rice	2955
628.	सूरतगढ़ यंत्रीकृत प्रक्षेत्र (फार्म)	Suratgarh Mechanised Farm	2955
630.	हरियाना से पश्चिमी बंगाल भेजी गई मक्का का जब्त किया जाना	Seizure of Maize sent to West Bengal from Haryana	2955-2956

अता० प्रश्न संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3807.	मध्य प्रदेश में कपड़े की मिलें	Textile Mills in Madhya Pradesh	2956
3808.	कृषि समस्याओं सम्बन्धी आयोग	Commission on Agricultural Problems	2956-2957
3809.	सहकारी ऋण समितियाँ	Cooperative Credit Societies	2957
3810.	उत्तर प्रदेश को उर्वरकों का संभरण	Supply of Fertilizers to U. P.	2957.2958
3811.	कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी	Minimum Wages for Agricultural Labourers	2958
3812.	गुजरात को पम्पिग सेटों की सप्लाई	Supply of Pumping Sets to Gujarat	2959
3813.	गुजरात में बागवानी के लिए सहायता	Assistance for Horticulture in Gujrat.	2959
3814.	गुजरात में सहकारी आन्दोलन	Cooperative Movement in Gujarat	2959-2960
3815.	अनाज का आयात	Food Imports	2960-2961
3816.	अनाज का दूषित हो जाना	Contamination of Foodgrains	2961-2962
3817.	बीजों का आयात	Import of Seeds	2962-2963
3818.	महाराष्ट्र में डाकघर	Post Offices in Maharashtra	2963
3819.	बामनवास (भरतपुर) में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Conections in Bamanwas (Bahratpur)	2964
3820.	भरतपुर जिले में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय	Public Call Offices in Bharatpur District	2964
3821.	भरतपुर जिले में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchanges in Bharatpur District	2964
3822.	रामनाथपुरम जिले में जांच पोस्ट मास्टरों के भत्ते में कमी	Curtailment of Allowance to Branch Post Masters in Ramanathapuram District	2964-2965
3823.	रामनाथपुरम जिले में टेलीफोन संदेशवाहक सेवा	Telephone Messengers in Ramanathapuram District	2965
3824.	प्रादेशिक भाषाओं में मनी-आर्डर फार्म	Money order Forms in Regional Languages	2966
3825.	हरियाना में चुनाव पर खर्च	Expediture on Election in Haryana	2966
3826.	बीजों की अधिक उपज वाली किस्में	High Yielding varieties of seeds	2967

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3846.	बोनस भुगतान अधिनियम	Payment of Bonus Act	2974
3847.	आस्ट्रेलिया द्वारा दूध देने वाले पशुओं की पेशकश	Australian offer of milch cattle	2975
3848.	केरल में बेरोजगार इंजीनियरी स्नातक	Unemployed engineering Graduates in Kerala	2975-2976
3849.	दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाई गई सम्पत्ति	Property built for displaced persons in Delhi	2976
3850.	दिल्ली दुग्ध योजना के पदार्थों के दामों में वृद्धि	Increase in prices of D.M.S. products	2976-2977
3851.	खाद्यान्न का रक्षित भण्डार	Buffer stock of Foodgrains	2977
3853.	काँगड़ा में आटा मिल	Flour Mills in Kangra	2977-2978
3854.	कोक्ती कपास	Kokti Cotton	2978
3855.	भागलपुर से बाँका तक टेलीफोन लाइन	Telephone Line from Bhagalpur to Banka	2978
3856.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा तैयार किये गये अधिक उपज वाले बीज	High Yielding seed produced by I.A.R.I.	2978
3857.	खाद्यान्नों के मूल्य	Prices of Foodgrains	2979
3858.	भारत की खाद्य सम्बन्धी संभावना	India's Food outlook	2979
3859.	भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजना	Land Reclamation Schemes	2979-2380
3860.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हड़ताल	Strikes in Public Undertakings	2980
3861.	फसल ऋण प्रणाली	Crop Loan System	2980-2981
3862.	मजूरी निर्धारण व्यवस्था	Wage Fixation Machinery	2981
3863.	दिल्ली में चावल का राशन	Rice Ration in Delhi	2982
3864.	भूमिहीन परिवार	Landless Families	2982
3865.	संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में नहर के निर्माण के लिये सहायता	Assistance under U.N. World Food Programme towards the construction of a Canal in Rajasthan	2983

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3827.	मछुओं को नाइलोन की बिक्री	Sale of Nylon to Fishermen	2967
3828.	संसद् तथा राज्य विधान मण्डलों में स्थान (सीटें)	Seats in Parliament and State Legislatures	2967
3829.	सूअर की चर्बी का दिल्ली में आयात	Import of Pig Fat into Delhi	2967-2968
3830.	कृषि के विषय में अधिकारियों का विदेशों में प्रशिक्षण	Training of Officers abroad in Agriculture	2968
3831.	झांसी लखनऊ एक्सप्रेस के रेलवे डाक सेवा के डिब्बे में बम विस्फोट	Bomb explosion in R.M.S. Compartment of Jhansi Lucknow Express	2968-2969
3832.	मछुओं को ऋण	Loans to Fishermen	2969
3833.	उत्तर प्रदेश में नलकूप लगाना	Installation of Tube wells in U. P.	2969
3834.	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में सतर्कता अधिकारी के ध्यान में लाये गये मामले	Matters brought to the notice of vigilance officer in the Ministry of Food and Agriculture	2970
3835.	खण्ड विकास अधिकारी	Block Development officers	2970-2971
3836.	दिल्ली के कृषकों को तकावी ऋण	Taccavi loans to Farmers of Delhi	2971
3837.	भारतीय चीता	Indian Cheetah	2971
3839.	केलों की काश्त के लिए फार्म	Farms for cultivation of Bananas	2972
3840.	दिल्ली से अनाज का तस्कर व्यापार	Smuggling of foodgrains from Delhi	2972
3841.	कमचारी राज्य बीमा निगम के औषधालय	Employees state insurance corporation dispensaries	2972
3842.	नियोजकों के मकानों पर प्रदर्शन	Demonstrations at the Residence of Employees	2972-2973
3843.	नागालैण्ड के साथ दूर-संचार सम्पर्क	Tele-Communication Link with Nagaland	2973
3844.	बागान मजदूर	Plantation Labour	2973-2974
3845.	चावल कारखानों की मशीनरी का आयात	Import of Rice Mills	2974

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3846.	बोनस भुगतान अधिनियम	Payment of Bonus Act	2974
3847.	आस्ट्रेलिया द्वारा दूध देने वाले पशुओं की पेशकश	Australian offer of milch cattle	2975
3848.	केरल में बेरोजगार इंजीनियरी स्नातक	Unemployed engineering Graduates in Kerala	2975-2976
3849.	दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाई गई सम्पत्ति	Property built for displaced persons in Delhi	2976
3850.	दिल्ली दुग्ध योजना के पदार्थों के दामों में वृद्धि	Increase in prices of D.M.S. products	2976-2977
3851.	खाद्यान्न का रक्षित भण्डार	Buffer stock of Foodgrains	2977
3853.	काँगड़ा में आटा मिल	Flour Mills in Kangra	2977-2978
3854.	कोक्ती कपास	Kokti Cotton	2978
3855.	भागलपुर से बाँका तक टेलीफोन लाइन	Telephone Line from Bhagalpur to Banka	2978
3856.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा तैयार किये गये अधिक उपज वाले बीज	High Yielding seed produced by I.A.R.I.	2978
3857.	खाद्यान्नों के मूल्य	Prices of Foodgrains	2979
3858.	भारत की खाद्य सम्बन्धी संभावना	India's Food outlook	2979
3859.	भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजना	Land Reclamation Schemes	2979-2380
3860.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हड़ताल	Strikes in Public Undertakings	2980
3861.	फसल ऋण प्रणाली	Crop Loan System	2980-2981
3862.	मजूरी निर्धारण व्यवस्था	Wage Fixation Machinery	2981
3863.	दिल्ली में चावल का राशन	Rice Ration in Delhi	2982
3864.	भूमिहीन परिवार	Landless Families	2982
3865.	संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में नहर के निर्माण के लिये सहायता	Assistance under U.N. World Food Programme towards the construction of a Canal in Rajasthan	2983

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3866.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा युवा किसान आदान प्रदान कार्यक्रम	International Farm Youth Exchange programme	2983-2984
3867.	प्रगतिशील किसानों का सम्मेलन	Convention of Progressive Farmers	2984
3868.	बेरोजगार व्यक्तियों का सर्वेक्षण	Survey of Unemployed persons	2984-2985
3869.	डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Quarters for Employees of P & T Department	2985
3870.	दिल्ली तथा चण्डीगढ़ के बीच सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Trunk Dialing System between Delhi and Chandigarh	2985
3871.	भारतीय तेल निगम (बोनस विवाद)	Indian Oil Corporaton (Bonus Dispute)	2985-2986
3872.	फसल काटने से पहले तथा फसल काटने के बाद खाद्यान्नों की बर्बादी	Wastage of Foodgrains during preharvest and Post Harvest Stages	2986
3873.	उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizers	2986
3874.	ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors	2986-2987
3875.	कृषकों की सहकारी समितियों को ऋण	Loans to Farmers Cooperatives	2987
3876.	कर्मचारी राजकीय बीमा निगम	Employees state insurance corporation	2987-2988
3877.	तार यातायात के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी संघ का ज्ञापन	Memorandum from Telegraph Traffic Class IV Employees Union	2988
3879.	शिक्षित बेरोजगारी व्यक्ति	Educated Unemployed	2988
3880.	खाद्यान्नों की एकाधिकार वसूली	Monoply procurement of Foodgrains	2988-2989
3881.	कपास का उत्पादन	Cotton Production	2989-2990
3882.	चुनाव याचिकायें	Election Petitions	2990
3884.	दिल्ली में रोगियों को चावल की सप्लाई	Rice supply to Patients in Delhi	2990
3885.	पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों का बसाया जाना	Rehabilitation of East Pakistan Refugees	2991

अता० प्रश्न सं०

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3886.	दिल्ली में अभिरक्षक नियंत्राधीन सम्पत्ति	Custodian properties in Delhi	2991-2992
3887.	मध्य प्रदेश में टेलीफोन के बिलों की वसूली	Realisation of Telephone Bills in M.P.	2992
3888.	मध्य प्रदेश में प्रयोगात्मक नलकूप	Exploratory Tube wells in Madhya Pradesh	2992-2993
3889.	मध्य प्रदेश की खाद्यान्न की आवश्यकता	Foodgrains requirement of M. P.	2993
3890.	मध्य प्रदेश में बीज फार्म तथा अनुसंधान केन्द्र	Seeds Farms and Research Centres in M.P.	2993
3891.	केन्द्रीय सरकार के विभागों और सरकारी उपक्रमों में नौकरी के मामले में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता	Preference to Local people for employment in Central Government Deptts. and Public Undertakings.	2994
3892.	कृषि श्रमिकों को ऋण	Credit to Agricultural Labour	2994
3893.	इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर	Electronic Computers	2995
3894.	फार्मों के श्रमिक और कारखानों के मजदूरों की आय	Earnings of Farm and Factory	2995
3895.	रोजगार के अवसर	Employment opportunities	2995-2996
3896.	कारखानों के मजदूरों की बेरोजगारी सहायता	Unemployment Relief to Factory Labour	2996
3897.	मनीपुर में चक्रवात के कारण धान की खेती को नुकसान	Damage of Paddy due to Cyclone in Manipur	2997
3898.	बेरोजगारी	Unemployment	2997
3899.	दिल्ली में जाली राशन कार्ड	Bogus Ration Cards in Delhi	2998
3900.	जम्मू तथा काश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा बिहार को चावल और चीनी की सप्लाई	Rice and Sugar Supply to Jammu and Kashmir, U. P. and Bihar	2998-2999
3901.	राज्यों को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizers to States	2999-3000
3902.	प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण संस्था, कानपुर	Instructors Training Institutes	3000
3903.	उपहार के रूप में मिले खाद्यान्नों की बिक्री से प्राप्त राशि	Sale proceeds of Foodgrains received as gift	3000-3001

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3904. मछली पकड़ने की बड़ी नौकायें	Fishing Trawlers	3001
3905. वनस्पति उद्योग	Vanaspati Industry	3001-3002
3906. वनस्पति का निर्यात	Export of Vanaspati	3002
3907. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद में अनुसन्धान कार्य	Researches in I.C.A.S.R.	3002-3004
3908. अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में अनन्नास बागानो की भूमि	Acreage under pineaple plantation in Andeman and Nicobar Islands	3004-3005
3909. अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के साथ भेदभाव पर प्रतिबन्ध लगाने के हेतु विधान	Legislation to Prohibit Discrminations against scheduled castes and scheduled Tribes	3005
3911. शिमला में बीज के आलू का मूल्य	Price of seed potatoes at Simla	3005-3006
3912. राज्यों की उर्वरकों तथा बीजों की सप्लाई	Supply of Fertilizers and seeds to states	3006
3913. तांबे और टेलीफोन की तारों का पकडा जाना	Seizure of copper and Telephone Wires	3006
3914. सुपरु बाजार	Super Bazars	3006-3007
3915. केरल सरकार की मछुवा नावों के लिये प्रार्थना	Kerala's request for Trawlers	3007
3916. पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत खाद्यान्नो का आयात	Food Imports under PL 480	3007
3917. अनाज का संक्षिप्त भंडार	Buffer Stock of Foodgrains	3007-3008
3918. राज्यों में अनाज की उगाही की व्यवस्था	Levy System in states	3008
3919. गुजरात में गुड के मूल्य	Gur Prices in Gujarat	3008-3009
3920. हाथरस नगर में अनधिकृत टेलीफोन	Authorised Telephone Conections in Hathras City	3009
3921. अन्दमान द्वीपसमूह धान की बिना बोई हुई भूमि	Acreage of uncultivted paddy land in Andaman Islands	3009
3922. जटनी (उड़ीसा) में डाक तथा तार कार्यालय के लिए भवन	Building for P & T Staff at Jatni (Orissa)	3009-3010

अता० प्रश्न संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3923.	जटनी उड़ीसा में डाक तथा तार घर के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Quarters for P & T Staff at Jatni (Orissa)	3010
3924.	आसाम में चावल की कमी	Scarcity of Rice in Assam	3010
3925.	आसाम के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति	Telephone Advisory Committee for Assam	3010-3011
3926.	पटसन की खेती	Jute Cultivation	3011
3927.	पूर्णकटक (उड़ीसा) में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और तारघर	Public Call and Telegraph Offices in Purna Cuttack (Orissa)	3011-3012
3928.	समुद्री मछली का उत्पादन	Production of Marine Fish	3012-3013
3929.	राजस्थान में भेड़ पालने के केन्द्र	Sheep Breeding Farms in Rajasthan	3013
3930.	श्रम ब्यूरो शिमला	Labour Bureau, Simla	3013
3931.	श्रम ब्यूरो शिमला	Labour Bureau, Simla	3013-3014
3932.	वर्न एण्ड कम्पनी हावड़ा में तालाबन्दी	Lock out in Burn and Co-., Howrah	3014
3934.	मनीपुर में अनाज का समाहार	Procurement of Foodgrains in Manipur	3014
3935.	कृषि संस्थाओं को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Agricultural Institutions	3015
3936.	अनाज का आयात	Import of Foodgrains	1015
3937.	डीजल चालित ट्रैक्टरों का आयात	Import of Diesel Tractors	3015-3016
3938.	मछली पकड़ने के उद्योग संबंधी बोर्ड	Board for Fisheries	3016
3939.	पशुधन विकास के सम्बन्ध में अनुसंधान	Research on Livestock Development	3016
3940.	सहकारी क्षेत्र के माध्यम से सिचाई सुविधायें	Irrigation facilities through co-operaive Sector	3016-3017
3941.	उड़ीसा में सूखे की स्थिति	Drought conditions in Orissa	3018
3942.	एकाधिकार वसूली योजना	Monopoly Procurement Scheme	3018
3943.	चुकंदर की खेती सम्बन्धी समिति	Committee on Sugarbeet Cultivation	3018-3020

अता० प्रश्न संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3944.	डाक टिकट संकलन के बारे में गोष्ठी	Seminar on Philately	3020
3945.	कोयला मजूरी बोर्ड का पंचाट	Coal Wage Board Award	3020
3946.	इच्छावर टाउन में टेलीफोन एक्सचेंज केन्द्र	Telephone Exchange Centre in Lchhavar Town	3020-2021
3947.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में अनुसंधानकर्त्ताओं के वेतनक्रम	Scales of Research Personnel in I.C.A.R.	3021
3948.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर	Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar	3021
3949.	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य	Relief Measures in Drought affected Areas	3022
3950.	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी निगम	Autonomous Corporations under the Ministry of Food and Agriculture	3022
3951.	केरल की चावल की आवश्यकता	Rice Requirement of Kerala	3022-3023
3952.	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी निगम	Autonomous corporations under Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation	3023-3024
3953.	संचार विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के निगम अथवा स्वायत्तशासी निगम	Public Sector or Autonomous Corporations in the Communications Department	3024
3954.	श्रम मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के निगम	Public Sector Corporations under Labour Ministry	3024
3955.	अन्दमान द्वीपसमूह में पडूक वृक्ष	Padauk Timber Plantation in Andaman Islands	3024-3025
3956.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का बन्द होना	Closure of Sugar Mills in Western U. P.	3025
3957.	खुले बाजार में चीनी की उपलब्धता	Availability of Sugar in the open Market	3025

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3958. दिल्ली में चीनी की कमी	Sugar Shortage in Delhi	3026
3959. गोआ में लौह अयस्क उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिश	Recommendations of Wage Board on Iron Ore Industry in Goa	3026
3960. पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत अनाज का आयात	Food Imports under PL 480	3026
3961. अन्दमान वन विभाग में भिश्ती	Watermen in the Andaman Forest Department	3027
3962. अन्दमान के वनों में नदी नालों में काम आने वाली नौकाओं और एल० सी० टी० की मरम्मत	Repair of L.C.T. and Forest Crafts in Andaman	3027
3963. अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के वन विभाग द्वारा सर्वांत उपदान (टर्मिनल ग्रेजचटी) का भुगतान	Payment of terminal gratuity by Forest Department of Andaman and Nicobar Islands	3027
3964. अन्दमान वन विभाग के महावतों और वन रक्षकों के वेतनमान	Scales of Pay of Mahauts and Forest Guards of Andaman Forest Department	3028
3965. उत्तर अन्दमान द्वीपसमूह के जंगल	North Andaman Forest	3028
अवलिम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling attention to matter of urgent Public Importance	3028-3029
भारत के गत सामान्य निर्वाचनों में अमेरिका का कथित हस्तक्षेप	Reported American interference with the last general elections in India	3031
श्री ही० ना० मुखर्जी	Shri H. N. Mukerjee	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	3031-3032
विशेषाधिकार समिति	Commitee of Privileges	3032
चोथा प्रतिवेदन	Fourth Report	
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	3033
बारहवाँ प्रतिवेदन	Twelfth Report	
तूतीकोरिन पत्तन परियोजना के बारे में	Statement Re. Tuticorin Harbour Project	3033-3034

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V.K.R.V. Rao	
पश्चिम भारत में भूकम्प के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Earthquake in Western India	3034-3035
श्रीमती इन्दिरा गाँधी	Shrimati Indira Gandhi	
भारतीय टंकण (संशोधन) विधेयक पुरस्थापित	Indian Coinage (Aendment) Bill Intorudcuced	3035
राज्यभाषा (संशोधन) विधेयक तथा राज्यभाषा संबंधी संकल्प विचार करने का प्रस्ताव	Official languages (Amendment) Bill and Resolution Re. Official Languages Motion to consider	3035-3048
श्री पीलू मोडी	Shri Piloo Mody	
श्री तिरुमल राव	Shri Thirumala Rao	
श्री जे० एच० पटेल	Shri J. H. Patel	
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	
श्री राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav	
श्री फ्रेंक एंथनी	Shri Frank Anthony	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	
श्रीमती इन्दिरा गाँधी	Shrimati Indira Gandhi	
डा० मैत्रयी बसु	Dr. Maittreyee Basu	

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 12 दिसम्बर, 1967/21 अग्रहायण, 1889 (शक)

Tuesday, December 12, 1967/Agrahayana 21, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा प्रश्नों को लेगी। श्री मृत्युंजय प्रसाद। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। अगला प्रश्न।

श्री बलराज माधोक: मैंने आपको निधन सम्बन्धी उल्लेख के बारे में लिखा था।

अध्यक्ष महोदय: निर्णय करने के लिए आपको मुझे कुछ समय देना चाहिये।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चावल के आयात के सम्बन्ध में सौदा

*602. **श्री मधु लिमये**: क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1967 के तीसरे सप्ताह में चावल के आयात सम्बन्धी सौदे के बारे में प्रधान मंत्री को कोई ऐसी सूचना मिली थी जिसमें उससे होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि के बारे में प्रकाश डाला गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रधान मंत्री द्वारा यह सूचना मिलने पर यह सौदा रद्द कर दिया गया था;

(ग) क्या इस सौदे के बारे में कोई जाँच की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) प्रधान मंत्री को माननीय सदस्य से एक तार और एक पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें ऐसा एक अभ्यावेदन था।

(ख) ऐसा कोई सौदा विचाराधीन नहीं था और इसलिए इसके रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (ख) प्रश्न ही नहीं उठते।

Shri Madhu Limaye : May I know the number of deals concluded with private firms for the import of rice during the last two years, the quantity of rice imported under those deals and the price paid therefor ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: चालू वर्ष में निजी लोगों के साथ कुल 21 करार किए गए थे और मैं उनके सम्बन्ध में एक विवरण सभापटल पर रखने के लिए तैयार हूँ।

पिछले वर्ष की जानकारी देने के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिये। फिर भी मैं कह सकता हूँ कि 1966 के पूर्व गैर-सरकारी लोगों से चावल नहीं खरीदा गया था। परन्तु 1966 और 1967 की कठिन परिस्थिति के कारण, जबकि सरकारी स्रोतों से चावल उपलब्ध नहीं, तो हमें निजी पक्षों से चावल खरीदना पड़ा था।

Shri Madhu Limaye : Sir, I want to quote from the letter written to me by the Cabinet Minister in this regard :

"I may mention that the maximum price which has been paid for rice so far is 182 per metric tonne C.I.F. and that also in respect of some quantities of rice which we wanted positively to arrive in the country before a certain deadline, dictated by the extreme urgency of the requirement and to prevent a complete breakdown in the distribution system."

May I know whether before paying this price, Government tried to ascertain the price of this quality of rice in the international market, if so, whether the hon. Minister can give comparative figures in this regard and the basis on which commission etc. are determined?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: संयुक्त सचिव स्तर पर एक समिति होती है जिसमें वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि तथा खाद्य के महानिदेशक होते है। उप-प्रधान मंत्री की स्वीकृति से सामान्य उच्चतम सीमाएं वित्त मंत्रालय द्वारा निश्चित की जाती हैं; और एक सामान्य मापदण्ड रखा गया था कि एक विशिष्ट सीमा से परे पेशकशें स्वीकार नहीं की जानी चाहिये। आरम्भ की अवधि में सामान्य मापदण्ड यह था कि 60£ से परे की कोई पेशकश स्वीकार नहीं की जानी चाहिये। तब ज्यों ही अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में मूल्य बढ़े सीमा को बढ़ा कर 63£ कर दिया गया था फिर 65£ और फिर 66£ कर दिया गया था।

इस सीमा से अधिक की किसी पेशकश को स्वीकार करने का अधिकार सचिवों की समिति को नहीं था।

जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय प्रचलित मूल्यों का सम्बन्ध है, मुझे जानकारी प्राप्त करनी होगी। परन्तु यह एक सामान्य सी बात है कि फसल से पूर्व की अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में मूल्य बढ़ जाते हैं।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has not thrown any light on the broken percentage of rice which varies in different cases.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : सचिवों की समिति ने इन सब बातों पर गौर किया था। पेशकश स्वीकार करते समय यह स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि करार के अन्तर्गत कितने प्रतिशत टूटे चावल की अनुमति है।

श्री तेनेट्टि विश्वनाथन् : कितने देशों से गैर-सरकारी स्तर पर चावल खरीदा गया है और सरकारी स्तर पर चावल के मूल्यों और गैर-सरकारी स्तर पर चावल के मूल्यों में क्या अन्तर है?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

चावल का आयात मुख्य रूप से बर्मा, थाईलैण्ड, कम्बोडिया, संयुक्त अरब गणराज्य और कभी-कभी अमरीका से किया जाता है। किसी भी सन्देह को दूर करने के लिये मैं बता दूं कि अमरीका से 20 पेशकशें प्राप्त हुई थीं परन्तु केवल एक ही स्वीकार की गई और वह पक्ष भी बात से पीछे हट गया: अतः अमरीका से गैर-सरकारी खाते पर कोई चावल आयात नहीं किया गया।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सरकार पहले उन देशों से सरकारी खाते में चावल आयात कर रही थी? क्या इन गैर-सरकारी पक्षों ने इन देशों से सरकारी खाते में चावल निर्यात नहीं होने दिया और वे केवल गैर-सरकारी खाते में ही निर्यात करने के लिये राजी हुए और इसलिए उन गैर-सरकारी पक्षों के साथ हमें करार करने पड़े?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : स्थिति इस प्रकार थी। चावल के आयात के लिये सामान्यतः हम विभिन्न देशों की सरकारों से बात करते हैं। हमारे राजदूतावासों द्वारा यह सूचित किए जाने पर कि सम्बन्धित सरकारें सरकारी खाते में चावल सप्लाई करने की स्थिति में नहीं हैं, हम गैर-सरकारी पक्षों से चावल प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जब तक हमें सम्बन्धित सरकारों से पुख्ता जवाब नहीं मिलता, हम गैर-सरकारी पक्षों से लिखा पढ़ी नहीं करते।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : गैर-सरकारी खाते में चावल की कुल कितनी मात्रा आयात करने के लिये करार किया गया है?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : गैर-सरकारी खाते में कुल 1,79,000 टन चावल आयात किया जाना था। वास्तव में सारे करार पूरे नहीं हो सके।

श्री नायनार : केरल सरकार के सामने, निजी व्यापारियों से चावल आयात करने के लिए कई प्रस्ताव आये थे। गत नवम्बर इन प्रस्तावों को हमने प्रधान मंत्री के सामने रखा था और केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि वह हमें उस तरीके से चावल प्राप्त करने दे जबकि केन्द्रीय सरकार केरल को चावल की आवंटित मात्रा भेजने में अक्षम है। केवल 3 औंस चावल दिया जा रहा है।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यदि देश के किसी भाग से राज्य सरकार या किसी मंत्री को किसी पेशकश के बारे में जानकारी प्राप्त होती तो वह उसे हमें भेज सकते हैं। हम संभावनाओं की जाँच करेंगे और यदि पेशकशें प्रतिस्पर्धी हुईं, तो हम उनपर विचार करने के लिए तैयार हैं।

Shri A. B. Vajpayee : Generally commission is given by the suppliers on such purchases. What is the mode of utilisation of this commission is it deposited in the Government treasury or confined only to the officers who finalised the deal?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मूल्य पक्षों द्वारा बताये जाते हैं। उन्होंने उसमें कमीशन बताया था या नहीं, मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूँ। हम मूल्य को स्वीकार करते हैं और इस स्वीकृति

के आधार पर हम चावल खरीदते हैं। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, यह पूर्ण रूप से सरकारी खाते म है।

श्री स० मो० बनर्जी: श्री मधुलिमये को लिखे गए पत्र में माननीय मंत्री ने कहा है :

"जैसा कि आप जानते हैं हम पिछले वर्षों में बर्मा, थाईलैण्ड आदि से सरकार-से-सरकार के आधार पर चावल आयात करते रहे हैं। चूंकि उनमें से एक संभरणकर्ता करार पूरा नहीं कर सकता था, हम गैर-सरकारी पक्षों से करार करने के लिये मजबूर हो गये थे।"

वह संभरणकर्ता कौन था जो करार पूरा नहीं कर सकता था, क्या यह ठेका मजबूरी में दिया गया था ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: उस पक्ष का नाम है अजन्ता इन्टरनेशनल एक्सपोर्ट हाउस, बम्बई उसने 151.79 प्रति मीट्रिक टन एफ० ए० एम० पर चावल देने की पेशकश की थी परन्तु बाद में वह पार्टी अपनी बात से पीछे हट गई।

श्री नन्द कुमार सोमानी: चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितना चावल आयात करने का विचार है और जिस मूल्य पर चावल यहाँ आकर उतरता है उसमें तथा उपभोक्ता मूल्य में क्या अन्तर है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: माननीय सदस्य को पता है कि वास्तव में हम किसी हद तक राज सहायता देते हैं।

श्री नन्दकुमार सोमानी: मूल्यों में कितना अन्तर है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री जगजीवन राम): जहाँ तक अगले वर्ष के निर्यात का सम्बन्ध है, अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। गत वर्ष जो कुछ आयात किया गया था वह समाप्त हो गया है।

Shri K. N. Tiwary : What is the difference between the domestic price of rice and the foreign price of rice ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: आयातित चावल का मूल्य स्वदेशी चावल के मूल्य से अपेक्षाकृत अधिक है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 6041।

प्रश्न संख्या 603 के बारे में

Re. Q. 603

Shri Rabi Ray : It were better if the next question had been kept in tomorrow's list. It is not good to defer it for a week.

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि वह 20 को आ रहा है। हम देख लेंगे।

जगन्नाथ राव जोशी: भोपाल में भूख हड़ताल के बारे में मैंने भी एक प्रश्न भेजा है उसे 22 को रख दिया गया है। मैं नहीं समझता ऐसा क्यों किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी जाँच करूँगा। मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता।

श्री स० मो० बनर्जी: प्रश्न संख्या 603 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या 20 तारीख को भी इसे यही स्थान दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी जाँच करूँगा। अगला प्रश्न।

मध्य प्रदेश में चीनी की मिलें

*604. **श्री वि० कु० मोडक:** **श्री भगवान दास:**
श्री अनिरुद्धन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की पांचों चीनी मिलों ने गन्ना पेरने के आगामी मौसम में मिलों को बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मिलों के बन्द होने से कितने मजदूरों पर कुप्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) मिलों को बन्द होने से रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) गन्ना कम उपलब्ध होने के कारण मध्यप्रदेश की पाँचों चीनी मिलों ने मिल बन्द करने के नोटिस लगा दिए हैं। परन्तु राज्य सरकार से पता चला है कि उनमें से 2 का विचार इस मौसम में काम करने का है।

(ग) यदि पाँचों चीनी मिलें काम नहीं करतीं, तो लगभग 4000 मजदूर बेकार हो जायेंगे।

(घ) मध्यप्रदेश सरकार प्रबन्धकों को सीमित अवधि के लिये चीनी मिलें चलाने के लिये मनाने का प्रयत्न कर रही है और उसी के परिणामस्वरूप दो चीनी मिलों के प्रबन्धकों ने रक्षित क्षेत्रों की घोषणा के लिये आवेदनपत्र दिए हैं।

Shri Bhagwan Das : What are the reasons for Government's not preventing the closure of the three mills by enhancing the price of sugarcane ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: मुख्य कठिनाई गन्ने की उपलब्धता के बारे में है। मेरी जानकारी यह है कि यदि सारा गन्ना उपलब्ध हो भी जाये तब भी ये मिलें 11,14 और 28 दिन से अधिक नहीं चल सकतीं। अतः पर्याप्त मूल्य देने के बाद भी कठिनाई रहेगी।

Shri Bhagwan Das : May I know when the closed Sihor sugar factory near Bhopal is likely to go into production ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: व्यक्तिगत मिलों के बारे में मेरे लिये बताना संभव नहीं है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी: दलोदा और जोड़ा चीनी मिलों के बारे में क्या स्थिति है? क्या वे काम आरम्भ करने जा रही हैं? और यदि नहीं, तो सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: मैं समझता हूँ कि जोड़ा मिल को गन्ना मिल गया है जो कि 14 दिन के लिए काफी होगा। सूखे के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश में गन्ने की भूमि 1.93 लाख एकड़ से घटकर 1.25 लाख एकड़ रह गई है। गन्ना उपलब्ध कराना मेरे हाथ में नहीं है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी: 20 वर्ष की योजनाओं के बाद यह हालत है।

Shri A. S. Saigal : Is it a fact that because of the low price of sugarcane, the cultivators have stopped growing sugarcane as a result of which sugar mills are facing closure ? What steps do Government propose to take to tacle this situation ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: 1965–66 तक गन्ना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और इसके नीचे 68 लाख एकड़ भूमि थी। वर्षा की दृष्टि से पिछले दो वर्ष बहुत कठिन वर्ष थे क्योंकि उत्तर

प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश में, जहाँ कि मुख्य रूप से गन्ना उगाया जाता है, जोर का सूखा पड़ा था। यही कारण है कि गन्ने की भूमि घट गई है जिसके परिणामस्वरूप चीनी का उत्पादन कम हुआ है।

Shri Maharaj Singh Bharati : The hon. Minister stated that owing to drought conditions the cane acreage has gone down. Now Meerut was not affected by the drought but there also the cane acreage has declined. The low price of sugarcane accounts fo, the low production of sugar. The price of sugarcane announced by the Government ir Rs. 7.37 per quintal while in the market it is being sold at Rs. 15.00 per quintal. As a resuls of this ill conceived policy of the Government the cane is being diverted to the manufacturet of sugar. In view of this do Government propose to enhance the minimum price of sugarcane ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं नहीं समझता कि इस समय गन्ने के न्यूनतम में वृद्धि करने के प्रश्न पर पुनः विचार किया जा सकता है। वास्तव में, किसान हमारी नीति के परिणामस्वरूप ऊँचा मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। आंशिक विनियंत्रीकरण की नीति के कारण ही कारखाना मालिक न्यूनतम मूल्य से अधिक देने की स्थिति में हैं।

Shri Maharaj Singh Bharati : Not because of your policy but because of the shortage of sugarcane.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: नई नीति अपनाते समय यह इरादा था।

Shri Kashi Nath Pandey : The hon. Minister stated that the cane acreage has gone down because of drought conditions, but I do not quite agree to it. One can, of course, understand the fall in production due to that, but not the low acreage. What arrangements are being made for the supply of good quality seeds to the growers in time?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: मैंने कम उत्पादन होने का वह एक मुख्य कारण बताया था। परन्तु मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अन्य कारण नहीं थे। वास्तव में अच्छी किस्म के बीजों के प्रयोग से प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ा है और किसान अन्य फसलों को उगाना अधिक लाभप्रद समझते हैं। वह भी एक कारण है। परन्तु मुख्य कारण वर्षा का न होना था जिससे गन्ने का क्षेत्र घट गया यद्यपि क्षेत्र घट गया है, फिर भी बीजों की उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री लोबो प्रभु: जबकि गन्ने की कमी है, सरकार नए कारखानों के लाइसेंस क्यों मंजूर कर रही है। इस वर्ष गन्ने की कमी के कारण कितने चीनी के कारखाने बन्द हुए और कितने नए कारखानों को देश भर में लाइसेंस दिए गए?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: जहाँ तक उत्पादन का सम्बन्ध है, गत वर्ष लगभग इस समय 202 कुल कारखानों में से 167 कारखानों ने उत्पादन आरम्भ किया था। इस वर्ष तुलनात्मक संख्या 170 है, जिसका अर्थ है 3 और कारखानों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है। आशा है शेष कारखाने अगले दो सप्ताहों में उत्पादन आरम्भ कर देंगे। जहाँ तक लाइसेंस देने का सम्बन्ध है, इस वर्ष किसी नए कारखाने को लाइसेंस नहीं दिया गया है ।

Shri Randhir Singh : Have Government appointed any Commission to find out how much a farmer has to invest in growing sugarcane from beginning to the end ?

अध्यक्ष महोदय: यह एक सामान्य प्रश्न है।

श्री बलराज मधोक: क्या यह सच नहीं है कि भारत में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन और देशों की अपेक्षा बहुत कम है और इसका मुख्य कारण यह है कि गन्ने के खेतों के लिए सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं? क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनाने जा रही है जिसके अन्तर्गत चीनी मिलें अपने पास के गाँवों में अपनी लागत पर सिंचाई सुविधाएं देंगी और नलकूप लगायेंगी ताकि गन्ने का उत्पादन बढ़ सके? क्या सरकार चीनी मिलों को इस बात के लिए बाध्य करने पर विचार कर रही है कि वे कुछ फार्म अपने साथ रखें। जब वे कारखानों में पैसा लगायें तो साथ-साथ खेत और सिंचाई सुविधाओं में लगायें ताकि ऐसी कठिनाई फिर पैदा न हो?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि कुछ राज्यों में गन्ने के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। उदाहरणार्थ बिहार में गन्ने की 67 प्रतिशत भूमि में सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में भी सिंचाई की प्रतिशतता बहुत संतोषजनक नहीं है। परन्तु लोगों में एक धारणा प्रतीत होती है कि हमारे देश में प्रति एकड़ उपज बहुत अधिक नहीं है। दो खण्ड हैं—ऊपोष्ण कटिबन्ध तथा उष्ण कटिबन्ध। उष्ण कटिबन्ध दक्षिण भारत में है: इन क्षत्रों में और विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भागों में उपज हवाई द्वीप जितनी है जो कि विश्व में सबसे अधिक है। परन्तु उपोषण कटिबन्ध क्षेत्रों मे उपज कम है। तथापि कोयम्बटूर चीनी अनुसंधान संस्थान गन्ने की नई किस्मों के विकास करने का प्रयत्न कर रहा है और इसम उसे काफी सफलता भी मिली है। जिन कार्यक्रमों का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है उन्हें राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र के अनुरोध पर अपनाया जा रहा है ताकि कारखानों के आसपास के क्षेत्र में गन्ने की गहन खेती की जा सके।

Shri Ramavtar Shastri : The hon. Minister attributed the decline in sugarcane acreage to the drought conditions. May I know why in areas where there are canals and tubewells the cane acreage has gone down ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

Shri Hukam Chand Kachwai : The main reason for the closure of all the 5 sugar mills in U. P. is that the millowners do not unload and weigh the cane for 3-4 days while the cultivators are shivering with cold. Even the payment is deferred by a month or so. Because of this the farmers do not like to sell their cane to the mills and they have started manufacturing gur and Khandsari. Will Government take any steps in the matter for the quick unloading and weighing of the sugarcane, immediate payment to the farmers and for the elimination of the middlemanship of the brokers.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: मैं माननीय सदस्य की कुछ बातों से सहमत हूँ कि भारत में कुछ कारखानों में, जब गन्ना पहुँचता है तो उसे तत्काल लेने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है और जिसके फलस्वरूप किसानों को बहुत असुविधा होती है और फसल काटने की समस्त व्यवस्था का यह बहुत ही अवांछनीय पहलू है। गन्ने के मूल्य की अदायगी के बारे में भी ....

अध्यक्ष महोदय: सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: कुछ कारखानों के प्रबन्धक जानबूझ कर गन्ने के मूल्य की अदायगी नहीं करते। हम समय समय पर इन कारखानों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के बारे में राज्य सरकारों को लिखते रहे हैं ताकि गन्ने के मूल्य की बकाया राशि वसूल करके किसानों को दी जा सके।

Shri Kamalnayan Bajaj : The hon'ble Minister has also said in his reply that out of 207 factories, 170 factories have started funtioning and last year only 167 factories were functioning. There can be a misundrstanding about the lesser production of sugar by 170 factories as compared to 167 factories functiming last year. It will be better if the hon'ble Minister would give reasons therefor. There are many factories which are not working to 40-50 per cent of their capacity this year.

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न केवल मध्य प्रदेश के बारे में है।

Shri Kamalnayan Bajaj: I have asked this question simply to remove the possible misunderstanding.

ट्रंक काल के मामले में बिड़ला परिवार को प्राथमिकता

*606. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:** **श्री हुक्म चन्द कछवाय :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों में जिनमें बिड़ला परिवार के लोग तथा बिड़ला उद्योग समूह के अधिकारी भी सम्मिलित हैं, ट्रंक काल के मामले में प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) उनको प्राथमिकता किन कारणों से दी जाती है?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know the number of such institutions, political personalities or big people who have telephhone connections and have not paid the arrears? The number of persons and the amount due from them is required .

श्री इ० कु० गुजराल: इस प्रश्न का सम्बन्ध संस्थाओं और व्यक्तियों को टेलीफोन काल की प्राथमिकता देने से है। इसलिए मैं इस समय वह बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि कितनी फर्मों ने विभाग को बकाया राशि देनी है।

Shri Hukam Chand Kachwai : After all it is a fact that Government have accorded priorities to some people and I want to know the basis of according such priorities.

श्री इ० कु० गजराल : इस समय तो कोई फर्म या व्यक्ति प्राथमिकता काल का लाभ नहीं उठा रहा है। कुछ फर्में और कुछ व्यक्ति पहले इस रियायत का लाभ उठा रहे थे परन्तु इस वर्ष अगस्त में उसे रद्द कर दिया गया।

Shri Ram Charan : It has been observed that business elements get priority in booking the trunk calls while others have to wait for two hours. I booked a telephone call and I was told after 3 hours that the line is out of order. What is the reason of according priorities to business elements ?

Shri I. K. Gujral : I have already said in my reply that no priority is being accorded after August and all are now at equal footing.

Shri Ram Charan : I have not got the reply.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): In fact so far the question of according priorities is concerned there are seven types of trunk calls. If some persons book an ordinary trunk call, he gets the same priority. The

concession for important calls which was being given to some persons/individuals hasbeen concelled with effect from 3 August, 1967 as already stated and now no facility is provided for important calls.

Shri Prem Chand Verma : Before the cancellation of the said preferences I want to know the people who were accorded these priorities and the details thereof.

श्री इ० कु० गुजराल: यह 17 या 20 लोगों की सूची है।

अध्यक्ष महोदय: आप इसे सभा-पटल पर रख दीजिये। पढ़ने में तो समय लगेगा।

श्री स० मो० बनर्जी: मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय को पता है कि बिरला परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त ये बड़े बड़े व्यापारी टेलीफोन ऐक्सचेंज के कर्मचारियों के साथ मिले रहते हैं और उनको धन देते हैं जिससे उन्हें प्राथमिकता मिल सके और उन्हें ट्रंक काल मिलती रहे।

श्री इ० कु० गुजराल: माननीय सदस्य स्वयं उनकी यूनियन के प्रधान हैं यदि आपरेटर लोग बड़े बड़े व्यापारियों के साथ मिल जाते हैं तो उन्हें हमारी सहायता करनी चाहिये।

श्री सु० कु० तापडिया: क्या यह सच है कि जिन लोगों को यह सुविधा दी जाती है उन्हें यह सुविधा आवेदन-पत्रों के आधार पर दी जाती है और क्या यह भी सच है कि प्राथमिकता के लिये जो लोग फीस देते हैं उन्हें चार गुना देनी पड़ती है और वे बहुत सी कठिनाई से देते हैं?

श्री इ०कु० गुजराल: मुझे इस बात का पता नहीं कि वे कैसे अदा करते परन्तु मुझे इस बात का पता है कि जब वे काल बुक करते हैं तो उन्हें चार गुना फीस देनी पड़ती है।

नगरों में राशन व्यवस्था

*607. **श्री स० मो० बनर्जी**:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या यह सच है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में कानूनी राशन व्यवस्था खाद्यान्नों की कमी के कारण समाप्त होने वाली है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं। यद्यपि राशन की प्रणाली पहले कुछ ठीक नहीं चल रही थी परन्तु बाद में उसमें सुधार होने लगा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री स० मो० बनर्जी: मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि जिन नगरों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या है जैसे कानपुर, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि में अनाज की जितनी कुल आवश्यकता हो वह केन्द्र द्वारा न दिए जाने के कारण इन सभी नगरों में कोटा कम कर दिया जाता है और यदि हाँ तो अनाज की कुल आवश्यकता कितनी है और वास्तव में सरकार द्वारा कितना अनाज सप्लाई किया जाता है?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: विभिन्न नगरों में राशन की व्यवस्था केवल केन्द्र द्वारा अनाज सप्लाई करने पर ही निर्भर नहीं करती। केन्द्र अधिक से अधिक अनाज देने का प्रयत्न करता है। परन्तु राज्य सरकारों को भी अपने क्षेत्रों से काफी मात्रा में अनाज वसूल करना होता है जिससे राशन प्रणाली संतोषजनक रूप से चल सके।

जहाँ तक विजाग, कानपुर, बम्बई, पूना, नागपुर और शोलापुर जैसे नगरों में सामान्य सप्लाई की स्थिति का सम्बन्ध है जितनी मात्रा पहले दी जाती थी, उसमें कमी नहीं हुई थी। परन्तु जब कोई कठिन स्थिति पैदा हो गई तो केन्द्र ने राज्य सरकारों को सलाह दी की 2000 ग्राम प्रति वयस्क प्रति सप्ताह दी जाने वाली मात्रा को घटा कर 1750 ग्राम प्रति वयस्क प्रति सप्ताह कर दिया जाये। पश्चिम बंगाल में पहले 1750 ग्राम दिया जाता था परन्तु बाद में 29 अगस्त, 1967 से उसे घटा कर 1650 ग्राम कर दिया गया। परन्तु 26 नवम्बर, 1967 से फिर राशन की मात्रा 1750 ग्राम प्रति वयस्क प्रति सप्ताह कर दी गयी है। चावल की मात्रा 400 से बढ़ा कर 500 ग्राम कर दी गयी है। आन्ध्र प्रदेश में, हैदराबाद और सिकन्दराबाद के कानून राशन के क्षेत्रों में 27 अगस्त, 1967 से राशन की मात्रा 2100 से घटा कर 1800 ग्राम कर दी गई है। यह सही स्थिति है।

श्री स० मो० बनर्जी: मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन नगरों में कानूनी राशन है विशेष कर कानपुर में अनाज सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कुल कितना अनाज चाहिये और पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व खाद्य मंत्री की कितनी मांग थी और उन्हें कितना अनाज दिया जाता था। क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार बनने पर केन्द्र की सहायता से वहाँ के कोटे में वृद्धि की गई है और यदि हाँ, तो कितनी ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: वास्तव में मंत्री महोदय को पहले स्पष्ट कर दिया गया था कि पश्चिम बंगाल को कितना अनाज सप्लाई किया जा रहा था। पिछली सरकार को भी इसकी जानकारी दी गई थी। सप्लाई की स्थिति के बारे में आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं है। अन्य राज्यों को अनाज की सप्लाई में भी समस्त देश में कठिन स्थिति के कारण कुछ कमियाँ हुई हैं और माननीय सदस्य को इस बात का पता है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): क्या मैं इस बात को स्पष्ट कर सकता हूँ ?

जहाँ तक राज्यों को अनाज सप्लाई करने का सम्बन्ध है हम नगरों या राशन क्षेत्रों की आवश्यकता के आधार पर अनाज सप्लाई नहीं करते। हम राज्य सरकारों को सप्लाई कर देते हैं। अनाज के वितरण का काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाता है।

जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल का कोटा नहीं बढ़ाया गया। जो भी वृद्धि की गयी थी वह पिछली सरकार के समय की गई थी। (अन्तर्बाधायें)

श्री इन्द्रजीत गुप्त: अब चावल दिया जा रहा है। पहले कोटा दिया जाता था।

श्री जगजीवन राम: मैं इस आरोप का खण्डन करता हूँ। जितना चावल पहले दिया जा रहा उतना ही अब भी दिया जा रहा है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार: क्या नगरों में अनाज की सप्लाई में अन्तर अन्य देशों से आयात किए जाने वाले अनाज पर निर्भर है और अन्य देशों पर यह निर्भरता कब तक समाप्त हो जायेगी ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: जैसे मैंने पहले बताया है कि हम केन्द्र से जो सप्लाई करते हैं वह मुख्यतः आयात किए गए अनाज से ही करते हैं परन्तु हम केन्द्रीय भण्डार से भी राज्य सरकारों को कुछ अनाज भेजने का प्रयत्न करते हैं। राज्य सरकार को भी अधिकतम मात्रा में अनाज वसूल करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये।

जहाँ तक अपने साधनों से पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध करने के प्रश्न का सम्बन्ध है, हम उत्पादन में वृद्धि करने के लिये प्रयत्नशील हैं और जब हमारी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन में वृद्धि हो जायेगी, तब हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta : There has been reduction in the quantum of rice and wheat many times during last year. Sometime the supply of rice is stopped and sometime supply of indigenous wheat is stopped. Is it not an irregular system of rationing? I would also like to know that is it not a fact that there are about 10 lakh such people who do not get sufficient supply of foodgrains in the ration? Is it also a fact that there is no arrangement for any other course grain except grams for these people for the last six months? Is it also not a fact that they meet their excess demand by way of smuggling the foodgrains ? I want to know the arrangement made for the supply of coarse grains?

Is it also not a fact that when quota for Delhi is exahansted, inferior quality of foodgrains is supplied. This type of foodgrains is not worth eating. Is it not a fact that when some Ration dealers were prosecuted for selling such a stuff, the H. Governor had asked the authorities not to prosecute them even if food stuff was not worth eating?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : किसी अधिकारी, स्थानीय अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह ऐसे अनाज को स्वीकार करे जो मनुष्यों के खाने योग्य न हो। हम स्वयं ऐसा अनाज नहीं भेजते। यदि कहीं एसी गलती होती है तो उसकी सूचना हमें दी जा सकती है और इस प्रकार के अनाज को अस्वीकार किया जा सकता है।

जहाँ तक चावल की सप्लाई में कटौती का सम्बन्ध है माननीय सदस्य को इस बात का पता है कि चावल की सप्लाई के सम्बन्ध में हम बड़ी कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं। परन्तु जहाँ तक गेहूँ का या राशन की कुल मात्रा की सप्लाई का सम्बन्ध है हम दिल्ली प्रशासन को राशन की कुल मात्रा की सप्लाई कर सकते थे।

श्री कंवर लाल गुप्त : मोटे अनाज की सप्लाई के बारे में क्या स्थिति है? इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री जगजीवन राम : हम दिल्ली को भी उतना ही अनाज सप्लाई करते हैं जितना राशन के अन्य क्षेत्रों को करते हैं और मेहनत मज़दूरी करने वालों को जितना अनाज अन्य नगरों में दिया जाता है उतना ही दिल्ली में भी दिया जाता है। राशन के अन्य क्षेत्र की अपेक्षा दिल्ली के साथ पक्षापातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : अब अच्छी फसल हो जाने के कारण क्या क्षेत्रीय प्रणाली के सम्बन्ध में सरकार की नीति पर पुनः विचार किया जा रहा है और क्या निकट भविष्य में क्षेत्रीय प्रणाली को समाप्त करने की कोई सम्भावना है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इस प्रश्न का सम्बन्ध नीति से है। क्या मुझे नीति से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर देना चाहिये ?

Shri Shiv Charan Lal : I want to know whether hon'ble Minister is not aware that a few days before rotten foodgrains were issued from Belanganj goodown in Agra? Is it not a fact that such foodstuff could prove injurious to health? I also want to know the quantun of foodgrains being supplied to Agra ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : स्थानीय सप्लाई से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं। राज्य सरकारों के माध्यम से यह अनाज सप्लाई किया जाता है।

Shri M. A. Khan : Is it not a fact that the foodgrains imported from abroad or procured in the country are supplied to the Ration shops in big cities? I think the foodgrains distributed in country include the foodgrains forcibly procured in the form of levy from the cultivators at lower price. I think Government is making all out efforts for the supply of foodgrains to 16 or 18 per cent urban population. Has the Government made any arrangement for the supply of foodgrains to the labourers in the villages who are not cultivators ?

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न के साथ इसका बिल्कुल कोई सम्बन्ध नहीं। यह नगरों के बारे में है। यह प्रश्न उन नगरों के बारे में है जिनकी जनसंख्या लगभग 10 लाख या उससे अधिक है।

Shri M. A. Khan : It has been observed in U. P. and Bihar that crops have been destroyed there due to drought. I want to know whether Government is making effort to to distribute foodgrains to these poor people ?

Shri Jagjiwan Ram : The hon'ble Member claims that he has kowledge of many areas and he has used many adjectives but a man of his status should use these adjectives cautiously. I may tell him that today it is not Congress Government which is functioning in Bihar.

Shri M. A. Khan : I can prove that it was procured forcibily. It was procured with the pressure from police and Magistrate. It was procured at the rate of less than Rs. 60 per quintal.

Shri Jagjiwan Ram : He has made a mention of U. P. and Bihar. To day Congress party is not ruling in Bihar but I can still say that in spite of such serious drought the Central and State Government had made such an arrangement in urban and rural areas that not a single person died of starvation (scarcity of foodgrains). I think this is a useless and baseless allegation.

श्री इन्द्रजीत गुप्त: हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद् की जो बैठक दिल्ली में हुई थी, उसके अन्त में मंत्रिमण्डल के दो प्रवक्ताओं ने परस्पर विरोधी वक्तव्य दिए थे। आरम्भ में एक वक्तव्य में कहा गया था कि हम बहुत अच्छी फसल की आशा कर रहे हैं और अन्त में कहा गया अक्तूबर की वर्षा न होने के कारण शायद अच्छी फसल न हो। इन वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आगामी मौसम में सरकार द्वारा वितरण की प्रणाली तथा इसकी आवश्यकता के बारे में सरकार का क्या विचार है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या राष्ट्रीय विकास परिषद में इन परस्प विरोधी वक्तव्यों से वहाँ उपस्थित विभिन्न राज्यों के मुख्य मत्रियों के मन में संभ्रान्ति पैदा नहीं हुई होगी? क्योंकि यदि फसल अच्छी होने की सम्भावना है तो सरकार की वितरण प्रणाली के द्वारा कम अनाज वितरण करने की प्रवृत्ति होगी। परन्तु यदि फसल इतनी अच्छी होने की सम्भावना नहीं है तो सरकारी वितरण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाना होगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह संभ्रान्ति क्यों पैदा की गई? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सरकार क्या सोच रही है और मुख्य मंत्रियों ने उन्हें अपनी प्रतिक्रिया क्या बतायी है?

श्री जगजीवन राम: मैं कह नहीं सकता कि समाचार-पत्रों ने यह संभ्रान्ति कैसे पैदा की। मैंने राष्ट्रीय विकास परिषद् और इस सभा में भी स्थिति स्पष्ट की थी कि देश के कुछ भागों में अक्तूबर और नवम्बर में वर्षा कम हुई है और इसलिए इस बात का डर है कि उन क्षेत्रों में फसलों पर शायद विपरीत प्रभाव पड़े। सौभाग्य से मद्रास तथा उन क्षेत्रों में वर्षा हो गई है और जो डर था, वह दूर हो गया है। परन्तु इस बात के अतिरिक्त भी राष्ट्रीय विकास परिषद् में भी, जब कुछ मुख्य मंत्रियों ने परिषद् का ध्यान इस बात की ओर दिलाया था तो इस चर्चा को समाप्त करते समय

उप-प्रधान मंत्री ने कहा था कि उन कमियों के बावजूद 920 से 950 लाख टन अनाज पैदा होने की आशा है। मैंने इस सभा में तथा राज्य सभा में भी कहा था कि देश के इस भाग में जैसी वर्षा हुई है, उससे रबी फसल बहुत अच्छी होगी और इसलिये जिससे थोड़ी बहुत कमी का भय था वह काफी पूरी हो जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अच्छी फसल होने के विचार से क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या सरकार का विचार वितरण का कार्य कानूनी राशन प्रणाली द्वारा ही चलाने का है?

श्री जगजीवन राम : यह तो स्वाभाविक ही है कि जब सारे देश में अच्छी फसल होगी तो यह आशा की जाती है कि जिन राज्यों में कम उत्पादन होता है, वह भी अधिकतम वसूली करेंगे और कम उत्पादन वाले राज्यों को केन्द्रीय भंडार से भेजे जाने वाले अनाज में उतनी ही कमी कर दी जायगी।

Shri Manubhai Patel : Whatever quantity of foodgrains we import, we can supply through statutory rationing. The position of procurement in the country is not satisfactory. The Government have given assurance that they will not import foodrains by 1971. When Government will stop the imports and the position of procurement would not be in our control then how the Government propose to run the statutory rationing satisfactorily ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मूल्यों की वृद्धि को रोकने की दृष्टि से सरकारी वितरण प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उत्पादन बढ़ जाता है तो हम यह चाहेंगे कि वसूली का अभियान भी जोरों पर हो जिससे हमारे केन्द्रीय भण्डार में काफी अधिक मात्रा में अनाज जमा हो जाये। दीर्घावधि आयात कार्यक्रम के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं। यह कहा गया है कि हम वर्ष 1970-71 तक आत्म-निर्भर होने का प्रयत्न कर रहे हैं और यदि ऐसा हो जाता है तो हमारे देश के लिये यह प्रसन्नता की बात होगी।

Shri Meetha Lal Meena : Is it a fact that the quantum of foodgrains being given to Rajasthan has been reduced ; if so, how much and why? Is it also a fact that apart from big cities foodrains are not being supplied to small towns at all, if so, why ?

Shri Jagjiwan Ram : The quantum has been reduced in respect of Rajasthan. Fortunately, there is sach a bumper crop in Rajasthan this year that we have not seen such a crop during the latst 25-30 years. To-day instead of sending the foodgrains to Rajasthan we have to ask for foodgrains from Rajasthan for supply of same to other areas.

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का संशोधन

*608. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से ऐसी कोई नई प्रस्थापनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में ऐसा संशोधन सुझाया गया है जिससे कि पुत्रियाँ अपने पिता और भाइयों की सम्पत्ति के बजाए अपने पति की सम्पत्ति में अंश प्राप्त कर सकें; और

(ख) यदि हाँ, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) :

(क) जी ऐसी कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Randhir Singh : Is it a fact that proposals have been received by Central Government from Punjab and Haryana and unanimous resolution from Haryana legislative

Assembly which has been dissolved, in which it has been stated in Haryana daughter has always been entitled to get share from the property of her father-in-law even now. She should be entitled to get her share, from that side and she should not be entitled to get Share in the property of her parents ; if so, whether Government is considering this matter or not ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : हरियाणा सरकार से इस विषय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। परन्तु सभा की सूचना के लिए मैं यह कह सकता हूँकि पंजाब विधान सभा में एक संकल्प प्रस्तुत किया गया था जिसमें पंजाब सरकार से प्रार्थना की गई थी कि वह केन्द्रीय सरकार को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में इस प्रकार संशोधन करने के लिये कहे कि विवाह के पश्चात् लड़की को अपने पिता की संपत्ति में से हिस्सा लेने के स्थान पर अपने ससुर की सम्पत्ति में से हिस्सा लेने का अधिकार हो। यद्यपि सभा में यह संकल्प पारित हुआ था, कुछ दिन बाद मुख्य मंत्री द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर उसे रद्द कर दिया गया था। इस विषय पर विचार करने के लिये पंजाब सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी और इस समिति ने राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। प्रतिवेदन की एक प्रति हमें मिली है परन्तु उसके साथ यह प्रार्थना की गई है कि उसे गोपनीय रखा जाय।

Shri Randhir Singh : This is very old convention which has been in vogue for the past thousand years, if not in whole country, atleast in northern India Delhi, Haryana, Punjab, Jammu and Kashmir, Rajasthan, Himachal Pradesh. The customs have the force of low-that the daughter should be entitled to get her share in the property of her father-in-law instead of her own father.

अध्यक्ष महोदय : आप इसे उपहास में बदल रहे हैं। आप कोई अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

Shri Randhir Singh : I want to ask the honble Minister as to when the legislation would he passed according to which the daughters should have share in the property of their father-in-law rather than in the property of their own father? I want time-limit ?

श्री गोविन्द मेनन : माननीय सदस्य को यह पता है कि संसद् में काफी लम्बी चर्चा के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन पुत्र तथा पुत्री को पिता की सम्पत्ति में समान अधिकार दिया गया है। सरकार अब भी यही सोचती है कि इस सम्बन्ध में यह उपयुक्त विधि है।

Shri Randhir Singh : Whether Government want to amend that law ; if so, when?

Shri Raghuvir Singh Shastri : I want to ask the hon'ble Minister whether some practical difficulties have come to his notice in the implementation of this law in so far as cultivable land is concerned especially when cultivable land is divided in small shares which adversely affect the cultivation of land and production as well which also result in family disputes. In view of this position whether hon'ble Minister would consider to move any suitable amendment in the Act ?

श्री गोविन्द मेनन : माननीय सदस्य और सभा की सूचना के लिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में एक उपबन्ध है कि किसी कानून का कोई भी उपबन्ध और किसी राज्य का कोई भी कानून भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े करने से रोकने वाले क़ानून को प्रभावित नहीं करेगा। आजकल बम्बई की भूमि के छोटे छोटे टुकड़े करने से रोकने से सम्बन्धित और चकबन्दी अधिनियम लागू है। मेरे विचार में अन्य राज्यों को भी इस प्रकार के भूमि के छोटे छोटे टुकड़े करने से रोकने से सम्बन्धित कानून पास करके इस समस्या का समाधान करना चाहिये।

अल्प सूचना प्रश्न
Short Notice Question
दिल्ली में स्प्रिट की कमी

12. **श्री कंवर लाल गुप्त:** **श्री म० ला० सोंधी:**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्प्रिट की अत्यन्त कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली को अभी तक उसका नवम्बर का स्प्रिट का कोटा नहीं मिला और अगले महीने के लिए कोई नया कोटा नियत नहीं किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इस कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली में स्प्रिट की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्य कार्यवाही की है?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) जी हाँ।

(ख) उपलब्धि होने से दिल्ली उत्तर प्रदेश से स्प्रिट की सप्लाई प्राप्त करता है। नवम्बर 1967 में सप्लाई आने में देरी हुई थी किन्तु अब वह प्राप्त हो चुकी है। दिसम्बर 1967 के लिए भी उत्तर प्रदेश से स्प्रिट का आवंटन प्राप्त हो चुका है और सप्लाई को उठवाने के लिए व्यवस्था की जा रही है।

(ग) शीरे की कमी के कारण, देश में स्प्रिट की भारी कमी है और शीरे की कमी इसलिए है कि सफेद चीनी का उत्पादन कम है।

(घ) अस्पतालों और डाक्टरों की आवश्यकताओं को अग्रता-आधार पर तथा अधिकतम मात्रा तक पूरा करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने स्प्रिट की सप्लाई का राशन कर दिया है। वे उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी स्प्रिट की सप्लाई प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : The quota of spirit for Delhi has been reduced from 50 thousand gallons to 15 thousand gallons a month. As a result thereof even the doctors, in the hospitals write chits for the patients that they should first of all bring spirit and only then they would get medicine and many other drug manufacturing industries of Defence have been closed. About 3000 workers have become unemployed. A bottle of spirit is costing Rs. 8 as it is being sold in black market whereas the control rate is Rs. 1.22 Paise The present requirement for Delhi is 2 thousand gallons a month. Then there is demand from Ministers, Prime Minister and Rashtrapati Bhavan. In view of this I would ask the Minister as to what arrangements would he made to ensure sufficint supply of spirit to Delhi as a special case for which a meeting of surplus States has been convened ?

श्री अशोक मेहता : समस्त देश में एल्कोहल की कमी है। दिल्ली में एल्कोहल का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता। हम राज्य सरकारों से अनुरोध करते है कि उनके पास एल्कोहल का जितना स्टाक है वे उसे दिल्ली को सप्लाई करें। भारत सरकार के पास उन्हें विवश करने और एक राज्य से मद्यसार लेकर दूसरे राज्य को सप्लाई करने की कोई शक्ति नहीं है प्रत्येक राज्य पहले अपनी आवश्यकता पूरी करने का प्रयत्न करता है। मैं राज्यों को इस बात पर सहमत करने का प्रयत्न करता रहा हूँ कि वे राष्ट्रीय आधार पर कुछ प्राथमिकता देना स्वीकार करें। मुझे इस सम्बन्ध में सफलता नहीं मिली है क्योंकि राज्य अपनी आवश्यकताओं को पहले पूरा करने के

बाद जो उनके पास फालतू हो वही देना चाहते हैं। जहाँ तक दिल्ली का सम्बन्ध है इसकी सामान्य आवश्यकता 8 लाख गैलन है, जिसमें कम से कम या अनिवार्य आवश्यकता 6.4 लाख गैलन है। अब तक सारे वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश ने केवल 215.000 गैलन देने की पेशकश की है। हम हरियाणा और महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों को भी इसके लिए सहमत करने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु स्थिति गम्भीर है।

दुर्भाग्य से यह बैठक भी उन्हें सस्मत करने के प्रयोजन से बुलाई गई है। दिल्ली को काँडला से 30,000 और हरियाणा से 6,500 गैलन एल्कोहल मिल रहा है। इस प्रकार का प्रयत्न किया गया था परन्तु मैं यह स्वीकार करता हूँ कि स्थिति गम्भीर है।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is said that Govrnment have reduced the quota of consumers but the quota of bulk industries has not been reduced. Serveral Ministers have written letters to Delhi Administration. They have not purchased furniture because there is no spirit for their polish. Is it a fact that the quota for Pusa Insecticides factory is one lakh and eighty thousand gallons per year and not a single gallon has been reduced out of it and whether hon'ble Minister will state the quantiy of spririt being supplied to the Rubber Factory situated in Bareilly ?

The second thing is that whether any recommendation has been received from Delhi Administration about the permanent solution of spirit required for Delhi? What is the reaction of Government in regard thereto ?

श्री अशोक मेहता: हमने राज्य सरकारों के साथ बातचीत की थी और कुछ प्राथमिकताओं के बारे में सहमति हो गई है। राज्य सरकारें पेय एलकोहल को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, परन्तु इस बात पर सभी सहमत है कि मुख्य उद्योगों के लिये विशेषकर कीटनाशक उद्योगों के लिये प्राथमिकता बनाये रखनी चाहिये। मेरे विचार में माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि कीटनाशक औषधियों के उत्पादन के बिना काम नहीं चल सकता। यदि फर्नीचर को बिना पालिश के प्रयोग करना पड़े तो किया जा सकता है परन्तु कीटनाशक औषधियों के उत्पादन में कटौती नहीं की जा सकती।

जहाँ तक स्थायी समाधान का सम्बन्ध है, हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि चीनी का उत्पादन बढ जाये परन्तु चालू वर्ष में तथा अगले वर्ष में भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आयात किए गए मद्यसार का मूल्य अत्यधिक है फिर भी हम विदेशों से विशेषकर अत्यधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, आयात कर रहे हैं। फिर भी उपलब्ध मात्रा और आवश्यकता में काफी अन्तर है और इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

श्री म० ला० सोंधी: मंत्री महोदय के उत्तर से यह पता चलता है कि सरकार के अन्य मंत्रियों के साथ वह भी दिल्ली में रहने वाले लोगों के आर्थिक संकट में वृद्धि करने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि उनके अपने मंत्रालय में तकनीकी विकास का महानिदेशालय है जिसका विभिन्न राज्य सरकारों पर काफी प्रभाव है और यदि मंत्री महोदय चाहें तो कोई कारण नहीं कि वह उसका उपयोग न कर सकें। फर्नीचर की पालिश भी होनी चाहिये। विशेषकर जब हम यह चाहते हैं कि लोग बाहर से आयें और दिल्ली देखें। झुग्गियों को इसलिये हटाया जा रहा है क्योंकि वह देखने में गन्दी लगती हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि तकनीकी विकास महानिदेशालय दिल्ली प्रशासन को सप्लाई के सम्बन्ध में वे आँकड़े दे सकता है जो उत्तर

प्रदेश आदि अन्य राज्यों के पास उपलब्ध हैं जिसकी सहायता से दिल्ली प्रशासन स्प्रिट प्राप्त कर सकेगा। स्प्रिट सभी लोगों को चाहिये। यह एक गम्भीर मामला है।

श्री अशोक मेहता : मुझे यथासम्भव प्रत्येक राज्य की आवश्यकता को भी पूरा करना है। मैं यह नहीं समझता कि अन्य स्थानों से उदाहरणार्थ पश्चिम बंगाल से दिल्ली को अधिक महत्व क्यों दिया जाना चाहिये। इसलिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है परन्तु एक तो एलकोहल की सप्लाई कम है और दूसरे राज्य सरकारें पेय एल्कोहल को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है क्योंकि वह उनके लिये राजस्व का महत्वपूर्ण साधन है। इन दो कारणों से उन्हें अधिक बाध्य करना सम्भव नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि स्प्रिट की पर्याप्त सप्लाई न होने के कारण स्थिति बहुत गम्भीर है। क्या मंत्री महोदय को इस बात की सूचना मिली है कि उपभोक्ताओं को स्प्रिट सप्लाई करने के लिये लाइसेंस राजनीति स्थिति और राजनीतिक प्रभाव के आधार पर दिए गए हैं और दिल्ली में कुछ राजनीतिक दलों के प्रभाव के कारण अनुचित रूप से वितरण होता है और स्प्रिट की सप्लाई कम है?

श्री अशोक मेहता : मुझे इस बात का पता नहीं है। जैसा कि मैंने बताया है दिल्ली प्रशासन हस्पतालों और डाक्टरों के लिए स्प्रिट का राशन करने का प्रयत्न कर रहा है और स्प्रिट के लिए उन्हीं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यदि किसी प्रकार के अनुचित रूप से वितरण की मुझे कोई विशेष जानकारी दी जाय तो मैं उसकी जाँच करूँगा।

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि सारे देश में एलकोहल की सप्लाई कम है। क्योंकि एलकोहल बनाने का मुख्य साधन शीरा है और क्योंकि चीनी और शीरे का उत्पादन कम हो रहा है तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या इस सम्बन्ध में पेट्रोलियम मंत्रालय और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की नीतियों में परस्पर कोई तालमेल है? क्या शीरे के सप्लाई कम होने के कारण तकनीकी प्रयोगों द्वारा एल्कोहल के उत्पादन के वैकल्पिक साधन ढूंढ़ने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है?

श्री अशोक मेहता : इन मंत्रालयों की नीतियों में समन्वय है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि चीनी के उत्पादन में सरकार सामूहिक रूप से निर्णय लेती है। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। भविष्य के लिये दो बातें की जा रही हैं। हमें आशा है कि इन उपायों से चीनी और शीरे के उत्पादन में वृद्धि होगी और एल्कोहल का उत्पादन भी अधिक होगा। इसके अतिरिक्त हम पेट्रोकेमिकल्स को अपना रहे हैं और इसलिए आवश्यक नहीं कि एलकोहल की माँग बढ़े; हमें आशा है कि भविष्य में इसकी माँग कम होगी।

श्री पीलू मोदी : पीने के लिए माँग में कमी नहीं होगी।

श्री अशोक मेहता : पीने के लिए पेय एलकोहल होता है। वह अलग बात है। हमें आशा है कि उद्योगों के लिए अपेक्षित एल्कोहल की माँग में कमी होगी। जो एल्कोहल उपलब्ध है उसका प्रयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा विशेषकर जहाँ अन्य किसी प्रकार का एल्कोहल उपलब्ध नहीं होता।

Shri Maharaj Singh Bharati : As the hon'ble Minister has said that unless there is improvement in the production of sugarcane, the production of spirit cannot be increased, I want to know whether any step has been taken to see that spirit received in Delhi is not used for the purposes of drinking?

श्री अशोक मेहता: जहाँ मद्यनिषेध लागू है, वहाँ आवश्यक कार्यवाही की गई है, जहाँ मद्यनिषेध लागू नहीं है वहाँ निश्चय ही उत्पादन-शुल्क अधिकारी जो कुछ कर सकते हैं वे करते हैं। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कह सकता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Nalagarh Committee's Report

*601. **Shri Mritunjay Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the recommendations made by the committee appointed under the charimanship of the Raja of Nalagarh regarding farms which have so far been accepted and how far these have been implemented and when ; and

(b) the manner in which the remaining recommendations are proposed to be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operative (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) A statement is laid on the Table of the Sabha. [**Placed in Library.** See No. LT-1956/67]

दिल्ली में लगान की वसूली

*605. **श्री दामानी**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत 15 वर्षों से दिल्ली के 357 गाँवों से लगान नहीं के बराबर ही वसूल हुआ है;

(ख) यदि हाँ तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसकी वसूली के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1965–66 में एक विशेष अभियान शुरू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप भू-राजस्व की बकाया राशि में से 13,52,705 रुपए की वसूली की गई थी। उसके पश्चात् अब तक 9,09,123 रुपए की वसूली हुई है।

गन्ने की खेती

*609. **श्री कामेश्वर सिंह**: **श्री केदार पस्वान**:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के उद्देश्य से गन्ने की खेती बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): 1948–49 में लागू की गई सामान्य गन्ना विकास योजनाओं के अतिरिक्त 1936–64 से चीनी मिलों के क्षेत्रों में गन्ने की गहन खेती के लिये तथा चुनीदा जिलों में गन्ने की खेती के लिए पैकेज कार्यक्रम के लिए योजनायें चालू की गई थीं। इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों को स्वीकृत पद्धति के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। 1967–68 से गन्ने की फसल के लिये उर्वरकों का पृथक् आवंटन किया जाता है।

मजदूरों को गन्ने के विकास के तरीकों में और गन्ने की खेती के नवीनतम तरीकों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

गन्ना उत्पादक गन्ने का मूल्य बढ़ा कर और चीनी मिलों को उत्पादन शुल्क में कटौती देकर राज सहायता दी जाती है।

बागान श्रमिकों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

*610. **श्री वेदव्रत बरुआ:** **श्री य० अ० प्रसाद:**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बागान श्रमिक संबंधी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर विचार कर लिया है;

(ख) क्या बोर्ड की सभी सिफारिशों की पूर्णतया क्रियान्विति के फलस्वरूप होने वाली कठिनाइयों के बारे में बागान मालिकों ने सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) से (ग) चाय, कॉफी और रबर बागानों के लिए अलग-अलग तीन मजूरी बोर्ड स्थापित किए गए थे। श्रमिकों और नियोजकों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद उनकी अंतिम रिपोर्टों पर निर्णयों की घोषणा की गई (जैसे कि निम्न तालिका में दिखाया गया है) :–

बागानों का नाम	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	उन सरकारी संकल्पनों की तारीख जिनमें निर्णयों की घोषणा की गई
चाय	31–5–1966	4–6–1966
कॉफी	6–8–1965	19–9–1965
रबर	12–8–1966	29–9–1966

पत्रकारों से भिन्न कर्मचारियों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

*611. **श्री हिम्मत सिंहका:** **श्री जनार्दनन:**

क्या **श्रम** तथा **पुनर्वास** मंत्री 14 नवम्बर 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 31 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रकारों से भिन्न कर्मचारियों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) उसे क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हाँ।

(ख) उन सरकारी संकल्पनों की प्रतियाँ, जिनमें निर्णयों की घोषणा की गई है 21 नवम्बर, 1967 को सभा की मेज पर रख दी गई थीं।

(ग) राज्य सरकारों से सिफारिशों की क्रियान्विति कराने की प्रार्थना कर दी गई है। संबंधित नियोजक-संगठनों से भी यह प्रार्थना कर दी गई है कि वे अपने सदस्यों से इन सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित करने की सलाह दें।

Co-operative Societies

*612. **Shri Raghuvir Singh Shastri: Shri Ishaq Sambhali:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the review of the working of Co-operative Societies during the last five years has led to the conclusion that 50 per cent of co-operative credit was made available to only 11 per cent of the peopole other than the farmers, whereas the farmers continued to take recourse to private creditors who exploit them ; and

(b) if so, whether Government propose to reorientate the co-operative movement keeping in view the interest of agriculture and the farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde):

(a) and (b) The Rural Debt & Investment Survey carried out by the Reserve Bank of India in 1961-62 showed that in the sample covered by the survey the cash loans borrowed by cultivators from cooperative credit agencies during the year July 1961 to June 1962 aggregated to 93.6 p. c. while the borrowings by non-cultivators aggregated to only 6.4%. There has been no subsequent All India Survey.

The objective of loan policy has been to ensure that the entitlement of cultivators to cooperative loans is related to the outlay on production. This is being done by the cooperatives adopting scales of finance on a per acre per crop basis under the Crop Loan System which is in implementation since last year.

केन्द्रीय भाण्डागार निगम

*613. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय भांडागार निगम कर्मचारी संघ ने एक ज्ञापन भेजा है जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया है कि इस निगम को भारतीय निगम में मिला दिया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्णय किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि इस निगम के कुछ भांडागार पहले ही बन्द किए जा चुके हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार केन्द्रीय भाण्डागार निगम के भविष्य में अभी विचार कर रही है।

(ग) और (घ) निगम के कुछ भण्डागार बन्द कर दिए गए हैं क्योंकि या तो किराये की इमारतों में थे जिन्हें निगम की अपनी इमारतों के निर्मित होने पर छोड़ दिया गया था या

कुछ स्थानों पर भाण्डागारों को लाभप्रद नहीं पाया गया था और उनके व्यापार का भविष्य अच्छा नहीं प्रतीत होता था।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था

*614. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के कार्य-संचालन का पुनर्विलोकन करने तथा उसके सुधार के सुझाव देने के लिये बनाई गई एक तालिका का प्रतिवेदन प्रशासनिक सुधार आयोग को भेज दिया गया है ताकि वह उसपर अपनी सिफारिशें कर सके; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) :

(क) संस्थान में चालू प्रशासनिक तथा अन्य पद्धतियों पर पुनर्विलोकन करने और सुधारों का सुझाव देने के लिए 4 जुलाई, 1966 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक द्वारा एक पैनल बनाया गया था। संस्थान का ही यह एक आन्तरिक पैनल था। यह अध्ययन प्रशासनिक सुधार आयोग की ओर से शुरू नहीं किया गया था और न आयोग को उसके रिपोर्ट की कोई प्रति भेजी गई। फिर भी अपनी जानकारी तथा अपनी संमंत्रणा के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग के वैज्ञानिक विभागों/संगठनों सम्बन्धी अध्ययन दल द्वारा रिपोर्ट की कुछ प्रतियाँ ली गई थीं। इस पैनल की सिफारिशों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरकों की कमी

*615. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा:** **श्री मरंडी:**

श्री म० ला० सोंधी:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में उर्वरकों की बहुत कम सप्लाई हो रही है तथा किसानों को रबी की वर्तमान फसल आंशिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये उर्वरक प्राप्त नहीं हो सके हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उर्वरकों के मूल्य बहुत अधिक हैं तथा भारतीय किसान को जिसे संसार में सबसे गरीब समझा जाता है संसार में सबसे अधिक मूल्य पर उर्वरक प्राप्त होता है;

(ग) यदि हाँ तो उर्वरकों की सप्लाई में कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार है; और

(घ) किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक देने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) जी नहीं।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1957/67**]।

गो-सदन

*616. **श्री कंवर लाल गुप्त**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कितने गोसदन चलाये जा रहे हैं और उनपर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की जा रही है;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में गो-सदनों तथा गायों की नस्ल सुधारने के काम के लिये कितनी राशि नियत की गई थी, और कितनी राशि इस काम पर खर्च की गई थी; और

(ग) देश में ऐसी गायों की समस्या को हल करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं, जो दूध देने योग्य नहीं हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) 48 गोसदन विभिन्न राज्य पशु-पालन विभागों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन गोसदनों पर राज्य पशु-पालन विभागों द्वारा वार्षिक खर्च की जा रही राशि के आँकड़े उपब्लध नहीं हैं। फिर भी माडल गोसदन योजना के अनुसार एक गोसदन पर औसतन वार्षिक आवर्ती खर्च लगभग 45,000 रुपए होता है।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान गोसदन योजना के लिए 18.01 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। तीसरी योजना के दौरान गायों की नस्लों के विकास के लिए धन की व्यवस्था के बारे में अलग जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि केवल गायों के विकास के लिए कोई पृथक योजना शुरू नहीं की गई थी। तीसरी योजना के दौरान पशु विकास (जिसमें भैंसें भी शामिल हैं) के लिए 1405.37 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई थी। इन योजनाओं पर किए गए वास्तविक खर्च के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सन् 1960–61 से मद्रास तथा मैसूर राज्यों में शुष्क गायों के निस्तार के लिए योजना चालू है। कलकत्ता शहर के लिए योजना जो सन् 1964–66 के दौरान चालू थी केन्द्रीय गो-संवर्द्धन द्वारा सीधा प्रशासन के लिए संशोधित की जा रही है।

अधिक उत्पादन देने वाले दुधारू पशुओं की शुष्क अवधि को कम करने के लिये पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र की राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे शहर के अस्तबलों में कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करें।

खाद्यान्न के आयात के लिये भाड़ा

*617. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अमरीका से आयात किए गए खाद्यान्न के लिए भाड़े का भुगतान डालरों में करना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने अमरीकी सरकार से निवेदन किया है कि वह अमरीका से लौटने वाले भारतीय जहाजों द्वारा, जिनके पास लौटते समय काफी भार नहीं होता है, खाद्यान्न लाने के लिय सहमत हो जाये; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) अमरीकी जहाजों को भाड़ा केवल डालरों में देना पड़ता है। पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत हमें 50 प्रतिशत अनाज अमरीकी जहाजों में मंगाना पड़ता है। शेष 50 प्रतिशत पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। ऐसे मामलों में भाड़े का भुगतन भाड़ा देने वाले पक्ष की शर्तों के अनुसार दिया जाता है।

(ख) शेष 50 प्रतिशत मात्रा भारतीय जहाजों में लाया जा सकता है और आयात की गई सारी मात्रा के लिये भारतीय जहाजों की टन भार क्षमता पर्याप्त नहीं है। भारतीय जहाजों में 15 से 18 प्रतिशत से अधिक अनाज ले जाना सभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अमरीकी सरकार से लिखा पढ़ी करने का प्रश्न नहीं उठा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी लोग

*618. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी लोग आजादी के साथ पूर्वी पाकिस्तान नहीं जा सकते नहीं वे पाकिस्तान से अपना धन ला सकते हैं और न ही वहाँ पर अपनी सम्पत्ति को बेच सकते हैं;

(ख) क्या उनको पाकिस्तान सरकार द्वारा अर्जित की गई उनकी भू-सम्पत्ति का मुआवजा नहीं दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में नेहरू–लियाकत और नेहरू–नून करारों का उल्लंघन किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों द्वारा वहाँ छोड़ी गई सम्पत्ति के मुआवजे का भुगतान करने के सम्बन्ध में अपनी नीति का पुनर्विलोकन करने का सरकार का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) पाकिस्तान सरकार ने शरणार्थियों के लिए पूर्वी पाकिस्तान की यात्रा करना बहुत कठिन बना दिया है। उसने पाकिस्तान से भारत को धन के सभी प्रेषणों पर भी रोक लगा दी है। यात्रा सुविधाओं की अनुपस्थिति, धन प्रेषण पर रोक तथा पूर्व पाकिस्तानी पीड़ित व्यक्ति (पुनर्वास) अध्यादेश, 1964 नामक विनियम को दृष्टिगत रखते हुए शरणार्थी पूर्व पाकिस्तान में अपनी सम्पत्ति नहीं बेच सकते हैं।

(ख) इसकी जाँच की जा रही है।

(ग) पाकिस्तान सरकार द्वारा लगाये गए प्रतिबन्ध नेहरू–लियाकत करार से संगत नहीं हैं।

(घ) इस समय सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बेरोजगारी के बारे में विदेशी विशेषज्ञों का प्रतिवेदन

*619. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विशेषज्ञों के एक दल ने सरकार को एक प्रतिवेदन दिया था कि देश में 7 करोड़ 50 लाख लोग बेरोजगार हैं; और

(ख) क्या बेरोजगारी, आय तथा कृषि मजदूरों की ऋणग्रस्तता के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग के 19वें और 20वें प्रतिवेदनों को प्रकाशित करने का सरकार का विचार है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) श्रम और पुनर्वास मंत्रालय भारत सरकार को किसी विदेशी विशेषज्ञ से न तो ऐसी रिपोर्ट मिली है और न ही किसी को ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा 19वें और 20वें दौर में जो जानकारी इकट्ठी की गई है उसकी जाँच पड़ताल की जा रही है।

श्रम विधियां

*620. **श्री बाबू राव पटेल**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बारबार होने वाली हड़तालों, तालाबन्दी तथा घेराव से पैदा होने वाली स्थिति का सामना करने के लिये श्रम विधियों में आमूल परिवर्तन करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) और (ख) जी नहीं। हड़तालों और तालाबन्दियों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में पर्याप्त व्यवस्था है। गलत तौर से अवरोध करने या घेरने के अर्थ में घिराव देश की दण्ड-विधि के अधीन दण्डनीय है। फिर भी राष्ट्रीय श्रम आयोग से औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है। इस आयोग की रिपोर्ट वर्ष 1968 के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है।

राशन में मेक्सिकन किस्म का गेहूँ की सप्लाई

*621. **श्री वी० चं० शर्मा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उगाया गया मेक्सिकन किस्म का गेहूँ दिल्ली में राशन कार्डों पर सप्लाई किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि इस गेहूँ से तैयार किया गया आटा राशन में दिए जाने वाले आटे से जो आयातित गेहूँ से तैयार किया जाता है भी खराब होता है; और

(ग) यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) जी, हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम

*622. **श्री शिवचन्द्र झा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने धान की अधिक उपज वाली किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ तो उस योजना का ब्यौरा क्या है और बिहार में तथा अन्य राज्यों में इसको क्रियान्वित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) समूचे देश में इसे अब तक कितनी सफलता मिली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) से (ग) 1966 के खरीफ के मौसम में आन्ध्र प्रदेश और मद्रास के चुनीदा क्षेत्रों में धान की अधिक उपज वाली किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने एक अग्रिम योजना को क्रियान्वित किया था। और रबी के मौसम में ऐसी ही एक योजना को 1967 में मैसूर में क्रियान्वित किया था। खाद्य निगम का अनुभव बताता है कि अनाज की समझौता बद्ध मात्रा को वसूल करने के मुख्य उद्देश्य में ये योजनायें सफल नहीं रहीं। अतः बिहार या अन्य राज्यों में निगम इस समय नई योजनायें आरम्भ नहीं करना चाहता।

आयल इण्डिया लिमिटेड में हड़ताल

*623. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन आयल वर्कस यूनियन, आसाम ने आयल इण्डिया लिमिटेड, आसाम को हड़ताल का नोटिस दिया है जिसमें आयल इण्डिया वर्कर्स यूनियन को मान्यता देने और पहले से रखी गई 14 भांगों सम्बन्धी न्यायनिर्णय की माँग की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हड़ताल 28 नवम्बर, 1967 को शुरू होनी थी; और

(ग) यदि हाँ, तो विवाद हल करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) श्रम प्रवर्त्तन अधिकारी (केन्द्रीय) डिब्रूगढ़ ने समझौते की कार्यवाही की और उनकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है। अब यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली में सहकारी समितियाँ

*624. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में किन-किन सहकारी समितियों के विरुद्ध, उनके द्वारा धन का दुरुपयोग किए जाने के बारे में जाँच की जा रही है;

(ख) प्रत्येक समिति के विरुद्ध किस तारीख को जाँच आरम्भ की गई थी; और

(ग) जो जाँच पूरी हो चुकी है उनके क्या परिणाम निकले हैं तथा सरकार ने दोषी समितियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1958/67**]।

(ग) इन समितियों के बारे में जाँच की जा रही है।

दिल्ली में खेती वाली भूमि का अर्जन

*625. **श्री मणिभाई जे० पटेल**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के चारों ओर इस आधार पर खड़ी फसल नष्ट कर दी है कि वह भूमि अर्जित कर ली गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रामीणों ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अपील पर इस खाली भूमि में खेती प्रारम्भ की थी; और

(ग) क्या गम्भीर खाद्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार दिल्ली प्रशासन को यह सलाह देने का है कि इस भूमि को फसल काटने के बाद ही लिया जाये और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी नहीं परन्तु दिल्ली प्रशासन ने भूमि पर निरन्तर अनधिकृत कब्जा रोकने के लिए कदम उठाये हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं, भूतपूर्व स्वामियों और कब्जेदारों को अर्जित भूमि केवल 1965–66 की रबी की बुवाई के लिए पट्टे पर दी गई थी। परन्तु लाइसेंस की अवधि की समाप्ति पर भी कुछ लाइसेंसदार भूमि को अनधिकृत रूप से बोते रहे और वे भूमि को वापिस लेने के प्रशासन के प्रयासों का प्रतिरोध करते रहे। दिल्ली प्रशासन को इस भूमि की उन विभिन्न विकास कार्यों के लिए आवश्यकता थी जिनके लिए इसका शुरू में अर्जन किया गया था। अतः प्रशासन के लिए ये अनधिकृत कब्जे रोकने के अतिरिक्त और कोई विकल्प न था।

खाद्यान्नों पर राजसहायता बन्द की जाना

*626. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों पर राज-सहायता बन्द करने से होने वाली बचत की धनराशि का उपयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) से (ग) केन्द्रीय भाण्डार से खाद्यान्न वितरित करने में सरकार इस समय भारी राज सहायता दे रही है। सरकार पर इस भार को कम करने के लिये हाल ही में चावल और माड़लो पर से राज सहायता कम करने और आयातित गेहूँ पर से राज सहायता हटाने का निर्णय किया गया है। इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है कि राज सहायता से जो रुपया बचेगा उसे किस प्रयोजन पर व्यय किया जायेगा।

चावल का निर्यात

*627. **श्री विश्वम्भरन:** **श्री मंगलाथुमाडोम:**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1965–1966 तथा 1967 में भारत से वर्षवार कितने चावल का निर्यात किया गया और उससे वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ख) चावल के निर्यात के लाइसेंस किन-किन पक्षों को दिए गए;

(ग) चावल के निर्यात के लाइसेंस दिये जाने के क्या कारण हैं जब देश में खाद्यान्न की भारी कमी है;

(घ) क्या ऐसी शिकायतें मिली हैं कि भारत से बड़े पैमाने पर चोरी छिपे चावल ले जाने के लिये इन ला सेंसों का दुरुपयोग किया गया; और

(ङ) यदि हाँ तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1959/67**]।

(ख) चावल का निर्यात केवल राज्य व्यापार निगम करता है न कि गैर-सरकारी पक्ष।

(ग) बासमती चावल का निर्यात बहुत थोड़ी मात्रा में केवल कुछ देशों को वहाँ पर रहने वाले भारतीयों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये किया जाता है और इसका देश की संभरण स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूरतगढ़ यंत्रीकृत प्रक्षेत्र (फार्म)

*628. **डा० कर्णी सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सूरतगढ़ यंत्रीकृत प्रक्षेत्र के कार्य-संचालन से सन्तुष्ट है; और

(ख) इस प्रक्षेत्र में होने वाला उत्पादन निजी किसानों के खेतों के उत्पादन की तुलना में कैसा है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) क्षेत्र की मौजूदा परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए सरकार फार्म को यथासम्भव कुशलतापूर्वक चलाने में अपनी पूरी कोशिश कर रही है।

(ख) फार्म मुख्यतया नस्ल बीजों के उत्पादन में लगा हुआ है अतः उन वैयक्तिक किसानों को उनसे ठीक तुलना नहीं की जा सकती जो व्यापारिक पैमाने पर फसलों को उगाते हैं।

हरियाना से पश्चिमी बंगाल भेजी गई मक्का का जब्त किया जाना

*630. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया:** **श्री प्रकाशवीर शास्त्री:**

श्री रामावतार शास्त्री: **डा० सूर्य प्रकाश पुरी:**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 नवम्बर, 1967 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित

इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि हरियाना के भूतपूर्व खाद्य मंत्री ने कहा था कि व्यापारियों द्वारा पश्चिमी बंगाल को भेजी गई मक्का जब्त करने के बारे में केन्द्रीय सरकार की कार्यवाही न तो ठीक है और न ही लोकहित में है;

(ख) क्या यह सच है कि स मक्का को हरियाना सरकार की मंजूरी से पश्चिम बंगाल भेजा गया था और व्यापारियों ने कानून के किसी उपबन्ध का उल्लंघन भी नहीं किया था;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जाँच की है और जब्त मक्का छोड़ने के आदेश दे दिये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) सरकार ने इस खबर को देखा है।

(ख) से (घ) अत्यावश्यक वस्तुएँ अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए एक केन्द्रीय आदेश के अन्तर्ग ही हरयाना से मक्का बाहर ले जाई जा सकती है। सूचना मिली है कि हरयाना से बंगाल को मक्का वैध परमिट के अन्तर्गत नहीं भेजी गई थी। मामले की जाँच की जा रही है। इस सम्बन्ध में दिल्ली उच्च न्यायालय में कुछ लेख याचिकाएं भी विचाराधीन हैं।

Textile Mills in Madhya Pradesh

3807. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the work is being assigned to some workers in some Textile Mills in Madhya Pradesh after fixed duty hours and on weekly holidays for which they are being paid in cash ;

(b) Whether this is being done in order not to include the nemes of these workers in the permanent cadre ;

(c) if so, the action taken by Government for getting such work done in regular shifts; and

(d) the action taken by Government for protecting the right of workers in respect of their being declared permanent and with a view to minimise un-employment in textile mills?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) to (d) The matter falls in the State sphere. The State Government has reported that work has to be assigned to some workers after duty hours and on holidays for essential maintenance repairs, security etc. for which suitable provision exists in the Factories Act, 1948. No specific complaint has been received by the State Government against this and the question of taking action by them dose not arise. The Standard Standing Orders applicable to textile mills under the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 provide that temporary workers can be deemed permanent after they have worked in an undertaking continuously for more than six months. Any Breach of Standing Order is punishable under the above Act.

Commision on Agricultural Problems

3808. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to constitute any high power Commission to look into the character, causes and remedial measures of food and agricultural problems of India with a view to analyse them in detail ;

(b) if so, when and how the Commission would he constituted ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise in view of (a) above.

(c) Government's view has been that such a Commission is at present not necessary as it would distract attention from the implementation of the [agricultural production programme.

सहकारी ऋण समितियाँ

3809. **श्री दामानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1966–67 के दौरान में कुल कितनी सहकारी ऋण समितियाँ कार्य कर रही थीं;

(ख) उक्त समितियों की कुल प्रदत्त अंश पूंजी तथा आरक्षित निधि कितनी है पुरुष, तथा महिलाओं सहित सदस्यता कितनी है। कितने सदस्यों ने कितना-कितना ऋण लिया है और इन समितियों को कुल कितना मुनाफा हुआ है;

(ग) क्या इन समितियों की कुल प्रदत्त अंश पूंजी, सदस्यता और मुनाफे में कोई वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) 30–6–1966 को 2.07 लाख।

(ख)	प्रदत्त अंश पूंजी	174.21 करोड़ रु०
	आरक्षित निधि	54.33 करोड़ रु०
	सदस्यता पुरुष तथा महिला	330.64 लाख
	ऋण लेने वाले सदस्यों की संख्या (1965–66 में)	145.69 लाख
	लिए गए ऋण (अल्प तथा मध्यकालीन) की राशि (1965–66 में)	614.09 करोड़ रु०
	समितियों द्वारा कमाया गया शुद्ध लाभ (1965–66 में)	16.52 करोड़ रु०

(ग) व (घ) जी हाँ। एक ब्यौरेवार विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1960/67**]।

उत्तर प्रदेश को उर्वरकों का संभरण

3810. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरकों के सम्भरण के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है;

(ख) यदि हाँ, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी मात्रा में उर्वरक माँगे हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय दल द्वारा मूल रूप से निर्धारित विभिन्न प्राथमिकता कृषि उत्पादन कार्यक्रमों की आवश्यकताओं के आधार पर और उर्वरकों के आयात तथा देशीय उत्पादन से प्राप्त उपलब्धियों को दृष्टि में रखते हुए, सन् 1967–68 के दौरान केन्द्रीय उर्वरक पूल से 1,46,810 मैट्रिक टन नाइट्रोजन पूरक उर्वरक उत्तर प्रदेश को सप्लाई करने का प्रस्ताव था। इसके अतिरिक्त, वे इस वर्ष 21,000 मैट्रिक टन नाइट्रोजनपूरक उर्वरक कारखानों से सीधी खरीद द्वारा प्राप्त करने की आशा रखते थे। रबी मौसम के दौरान बड़े क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम तथा बहुउद्देशीय फसल लागू करने के आधार पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी मौसम में प्राथमिकता के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 1,35,000 मैट्रिक टन नाइट्रोजन पूरक उर्वरक की अपनी आवश्यकता बताई है। इसकी तुलना में, पहली अक्तूबर 1967 को उनके पास 53,400 मैट्रिक टन नाइट्रोजनपूरक उर्वरक का स्टाक मौजूद था। इसके बाद 25 नवम्बर, 1967 तक उनको 34 000 मैट्रिक टन नाइट्रोजनपूरक उर्वरक की सप्लाई की गई। इस प्रकार कुल उपलब्धि 87,400 मैट्रिक टन नाइट्रोजनपूरक उर्वरक का हुई। आशा है दिसम्बर, 1967 के अन्त के लगभग 20,000 मैट्रिक टन नाइट्रोजनपूरक उर्वरक और दे दिया जाएगा और इस प्रकार उनकी रबी की आवश्यकताएँ पर्याप्त रूप से पूरी हो जायेंगी। शेष उर्वरक सम्भवतः जनवरी, 1968 के अन्त तक सप्लाई कर दिया जाएगा।

कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी

3811. **श्री देवराव पाटिल:**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में कृषि श्रमिक सम्बन्धी न्यूनतम मजूरी अधिनियम को क्रियान्वित किया जा रहा है और इस अधिनियम को किस ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ख) अधिनियम अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) और (ख) आन्ध्र-प्रदेश, असम, बिहार, केरल गुजरात, हरयाना मद्रास, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश मैसूर उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। लेकिन गुजरात, मद्रास और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में अभी तक न्यूनतम मजूरियाँ निश्चित नहीं हुई हैं।

राज्य क्षेत्राधिकार में न्यूनतम मजूरी अधिनियम की क्रियान्विति का दायित्व राज्य सरकारों का है समय-समय पर उनसे यह प्रार्थना की गई कि कृषि रोजगार में इस अधिनियम के उपबन्धों की कारगर क्रियान्विति के लिए वे प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनावें।

गुजरात को पम्पिंग सेटों की सप्लाई

3812. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा**: क्या **खाद्य तथा कृषिमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1967–68 में गुजरात राज्य को पम्पिंग सेट सप्लाई करने के बारे में गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसपर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) और (ख) गुजरात राज्य सरकार से पम्प सेटों के संभरण के बारे में कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

गुजरात में बागबानी के लिए सहायता

3813. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1966–67 में गुजरात को बागबानी के विकास के लिए मंजूर की गयी धनराशि पूरी की पूरी उपयोग में लायी गयी है; और

(ख) इस कार्य के लिये 1967–68 में इस राज्य को कितनी राशि देने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) और (ख) केन्द्रीय वित्तीय सहायता अलग-अलग योजनाओं के लिए स्वीकृत या प्रदान नहीं की जाती बल्कि केवल विकास के मुख्य शीर्षकों के लिए दी जाती है। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि केवल बागबानी की विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है।

फिर भी सन् 1968–69 के लिए राज्य की वार्षिक योजना के प्रारूप में राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि सन् 1966–67 के दौरान बागबानी के विकास के लिए 5.75 लाख पए का खर्च अनुमोदित किया गया था जिसमें से वास्तव में 4.07 लाख रुपया खर्च किया गया है। सन् 1967-68 के दौरान राज्य सरकार ने इन योजनाओं के लिए 10.40 लाख रुपए की बजट में व्यवस्था की है और समस्त राशि को पूर्वानुमानित खर्च दिखाया है।

गुजरात में सहकारी आन्दोलन

3814. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए 1966–67 में केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात सरकार को कोई ऋण अथवा सहायता दी गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे);

(क) जी हाँ।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपयों में)

योजना का नाम	ऋण	अनुदान	योग
1. कृषि ऋण	100.00	2.311	102.311
2. केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक के साधारण ऋण-पत्रों की खरीद	200.00	—	200.00
3. विपणन सहकारी समितियाँ	0.375	2.014	2.389
4. विधायन सहकारी समितियाँ, जिनमें चीनी कारखाने भी शामिल हैं	37.735	0.173	37.908
5. सहकारी गोदाम, जिनमें शीत गोदाम भी शामिल हैं	5.880	1.174	7.055
6. अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी	—	2.245	2.245
7. प्रशिक्षण तथा शिक्षा	—	1.770	1.770
8. विविध सहकारी समितियाँ	1.195	0.110	1.305
9. सहकारी खेती	1.840	0.360	2.200
10. उपभोक्ता सहकारी समितियाँ	21.813	4.767	26.580
11. विशेष विकास योजना (गोदामों के निर्माण के लिए कार्यक्रम)	8.189	2.713	10.852
योग	376.977	17.638	394.615

अनाज का आयात

3815. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में राज्यवार विभिन्न प्रकार का कितने टन और कितने मूल्य का आयातित अनाज दिया गया और इसके लिए प्रत्येक राज्य से कितनी राशि (रुपयों में) वसूल की गई; और

(ख) 31 मार्च, 1967 को आयात किए गए अनाज में से विभिन्न प्रकार का कितना अनाज स्टाक में था और रुपयों में उसका मूल्य कितना था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों को दिए गए आयातित गेहूँ और माइलो की मात्रा और मूल्य बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–1961/67**]। चूंकि आयातित और स्वदेशी चावल का पृथक पृथक हिसाब नहीं रखा जाता है इसलिए राज्य सरकारों को दिए गए आयातित चावल का मूल्य बताना संभव नहीं है।

(ख) 31.3.67 को केन्द्रीय सरकार के डिपुओं में आयातित गेहूँ और माइलो मात्रा और उसका मूल्य इस प्रकार था:—

	मात्रा 1000 टनों में	मूल्य करोड़ रु० में
गेहूँ	415.9	27.61
माइलो	27.4	1.49

ऊपर भाग (क) के उत्तर में दिए गए कारण से चावल की मात्रा बताना संभव नहीं है।

अनाज का दूषित हो जाना

3816. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1966–67 में विभिन्न प्रकार का कितने टन अनाज दूषित और मानव अथवा पशुओं के उपभोग के लिये अनुपयुक्त पाया गया और उसका मूल्य कितना था और उनमें किन रसायनों के मिल जाने से क्या खराबी उत्पन्न हो गई थी;

(ख) दूषित अनाज की क्या किस्म थी तथा उसे राज्यवार किस प्रयोजन के लिये तथा किस ढंग से निपटाया गया और उससे कितनी धनराशि (रुपयों में) प्राप्त हुई;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत सा दूषित अनाज बेईमान व्यापारियों के हाथ में चला गया तथा इससे सारे देश में विषाक्त भोजन के खाने से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और यदि हाँ तो उक्त अवधि में राज्यवार कितने व्यक्ति मरे;

(घ) सरकार के गोदामों में अभी कितने टन और कितने मूल्य का दूषित अनाज है और गोदाम कहाँ पर स्थित हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि यह दूषित अनाज जनता को बेचे जाने के लिये व्यापारियों के हाथ में नहीं पहुँचे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकर मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) 1966–67 के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त की गई खाद्यान्नों की कुल मात्रा में से 96.9 टन अनाज दूषित पाया गया जिसका मूल्य 49,000 रु० था। दूषण खनिज तेल और गन्धक के कारण था।

(ख) दूषित खाद्यान्नों में से अब तक कोई मात्रा नहीं बेची गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) लगभग 1500 टन दूषित खाद्यान्न जिसका मूल्य 10 लाख रु० है। काण्डला, भावनगर, अहमदाबाद, मनमाद, बम्बई मरमागोआ और कलकत्ता में पड़ा है। इसमें पिछले वर्षों की शेष मात्रा भी शामिल है।

(ङ) दूषित अनाज को जो कि मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त है केवल स्टार्च निर्माताओं को ही बेचा जाता है। भारत सरकार के अधिकारियों की निगरानी में यह किया जाता है। फिर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर भी जाँच की जाती है। स्टार्च पर साफ तौर से यह लेबल लगा दिया जाता है कि "मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त/केवल औद्योगिक

उपयोग के लिए" । स्टार्च बनाने वाले कारखानों द्वारा अखाद्य स्टार्च की बिक्री का विशिष्ट विवरण सम्बन्धित राज्यों में जिला अधिकारियों को दिया जाता है और यह अनुरोध किया जाता है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि अखाद्य स्टार्च का उपभोग न किया जाये।

बीजों का आयात

3817. **श्री बाबूराव पटेल :** **श्री गा० शं० मिश्र :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में देश में विभिन्न खाद्यान्नों (खाद्यान्नवार) फलों, सब्जियों, पौधों फूलों आदि के कितने बीजों का आयात किया गया उनका मूल्य कितना था और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उनका आयात करने वाले व्यापरियों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक व्यापारी द्वारा आयात के वार्षिक कोटे का मूल्य कितना है तथा उन व्यापारियों के पते क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि में सरकार द्वारा विभिन्न बीजों का कितना आयात किया गया तथा उनका मूल्य कितना था और उनका वितरण किस प्रकार किया गया है; और

(घ) सरकार ने देश में बीज उगाने का जो कार्यक्रम शुरू किया है उसका ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : 1966–67 की अवधि में बुवाई के लिए बीजों (तिलहन को छोड़कर परन्तु पौध हेतु आलू के बीजों सहित) तथा बीजाणुओं के आयात को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1962/67**] :

(ख) वास्तविक आयात के आँकड़े कुल मात्रा तथा मूल्य पण्यादेश के आधार पर तैयार किए जाते हैं न कि आयातकर्ता के हिसाब से।

(ग) 31 मार्च 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष की अवधि में भारत सरकार ने निम्नलिखित बीजों का आयात किया था :—

	आयात की गई मात्रा	मूल्य (रुपए)
1. मैक्सिकन गेहूँ का बीज	17743.275 मीटरी टन	1,79,09,601.68
2. मूंगफली का बीज (एसीरिया मविटाडे)	51.604 मीटरी टन	50,697.15
3. धान के बीज (आई० आर०–8)	10.000 मीटरी टन	फोर्ड संस्थान द्वारा उपहार
	10.032 मीटरी टन	रोकफेलर फाउंडेशन द्वारा उपहार
4. ज्वार का बीज (एम० एस० सी० के–60 ए)	88,440 पौंड	3,55,700.00
5. फोरेस्टर कोको का बीज	86 किलोग्राम	निःशुल्क

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान में अनुसंधान हेतु सर्वोत्तम विदेशी किस्मों के थोड़े से नमूने भी प्रचार के लिए मंगवाये गए थे। 2160 ऐसे छोटे नमूनों को प्राप्त करके उन्हें देशभर के सम्बन्धित पौध प्रजनकों को बाँट दिया गया। प्रयोगों के लिए विदेशी स्रोतों से प्रतिवर्ष लगभग 10,000 रुपए के ऐसे नमूने इकट्ठे किए जाते हैं।

मैक्सिकन गेहूँ का बीज राज्य सरकारों आदि को बाँटा गया था। मूंगफली के बीज वृद्धि हेतु राष्ट्रीय बीज निगम को दे दिए गए। राष्ट्रीय बीज निगम तथा कुछ राज्य सरकारों ने धान की आई आर –8 किस्म का भावी संवर्धन हेतु उपयोग किया था। ज्वार के बीज मादा पैत्रिक स्टाक के थे और राष्ट्रीय बीज निगम ने उसका प्रयोग ज्वार के बीज के संवर्धन हेतु किया था। कोको के बीज निम्नलिखित राज्यों आदि को प्रयोग के आधार पर बाँटे गए:—

1–मैसूर	35 किलोग्राम
2–आन्ध्र प्रदेश	40 किलोग्राम
3–मध्य प्रदेश	5 किलोग्राम
4–महाराष्ट्र	2 किलोग्राम
5–अंदमान तथा निकोबार द्वीप	4 किलोग्राम
कुल	86 किलोग्राम

(घ) बीजों का उत्पादन व वितरण करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। संकर फसलों के आधार बीजों की सप्लाई करने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम को जिम्मेदार ठहराया गया है। केन्द्र किसी प्रकार के बीज के उत्पादन की व्यवस्था नहीं करता। यदि अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के लिए बीजों की कमी होने की सम्भावना हो, तो राज्यों में बीज की उपलब्धि की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय बीज निगम बीज उत्पादन के विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है। कोको के बीज के लिए, आन्ध्र प्रदेश मैसूर तथा उड़ीसा में पाइलट केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये पाइलट केन्द्र अब से आगामी कुछ वर्षों में हमारी माँग को पूरा कर सकेंगे।

बीजों के मामले में देश आत्मनिर्भर है और भविष्य में उपलब्ध होने वाली कुछ नई किस्मों को छोड़कर, बीजों के बड़े स्तर पर किसी आयात की आवश्यकता नहीं है।

Post Offices in Maharashtra

3818. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Communication** be pleased to state :

(a) the number of Post Offices in Maharashtra State at present ;

(b) the number of Post Offices functioning in the private buildings ; and

(c) the amount of rent being paid for the buildings occupied by these post offices ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 8,121 on 31-10-1967. This includes extra-departmental Post Offices.

(b) 1,095.

(c) Rs. 2,09,514.00 per month.

Telephone Connections in Bamanwas (Bharatpur)

3819. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Communication** be pleased to state :

(a) the number of people and Government offices of Bamanwas (Bharatpur) whose demand for telephone connections is still outstanding ; and

(b) when connections are likely to be provided to them ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) One Government and nine private demands for telephone connections have been received at Bamanwas.

(b) Demand Notes have already been issued to the parties concerned. If payments are made in time, the connections are likely to be provided in Feb. 1968.

Public Call Offices in Bharatpur District

3820. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Communications** be pleasad to state :

(a) whether it is a fat that the opening of Public call offices at Gadhmora, Malarna, Doongar and Keladevi Sivad (Bharatpur) has been sanctioned ; and

(b) if so, when the work in proposed to be started and completed ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Opening of a Public Call Office at Sivad (Sewar) has been sanctioned. At the other three stations no such schemes have been sanctioned.

(b) Owing to general shortgage of stores it is not possible at this stage to indicate a time-limit for completion of work. The work will be commenced as soon as required stores are available.

Telephone Exchanges in Bharatpur District

3820. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in spite of the fact that sanction has been accorded for installation of Telephone Exchanges at Karauli, Chaksu and Chauth-ka-Barwada in Bharatpur District telephones have not so far been installed there ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the time by which new telephones are likely to be installed ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) Due to the delay in securing stores and suitable building accommodation.

(c) At Karauli and Chaksu by March 1968 and at Chauth-ka-Barwada by middle of 1968.

रामनाथपुरम् जिले में ब्रांच पोस्ट मास्टरों के भत्ते में कमी

3822. **श्री किशतिनन**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डाक विभाग में सभी अतिरिक्त विभागीय अधिकारियों के भत्ते में 15.50 रुपए की जिस तदर्थ वृद्धि की मंजूरी दी गई थी, उसे मद्रास राज्य के रामनाथपुरम् जिले में कार्य कर रहे ब्रांच पोस्ट मास्टरों के मामले में कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भत्ते में यह कमी 'ए' नान टीचर ब्रांच पोस्ट मास्टरों तथा 'बी' टीचर ब्रांच पोस्ट मास्टरों के मामलों में भी की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार थोड़े समय के पश्चात् भत्ते में इस कटौती को बहाल करने का है?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी नहीं। तथापि केवल उन अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्ट मास्टरों के सम्बन्ध में जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या उन अध्यापकों के मामले में, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय दरों पर मंहगाई भत्ता लेते हैं, भत्ते में कमी कर दी गई है।

(ख) तदर्थ वृद्धि केवल मंहगाई भत्ते के रूप में है। जबकि अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी पहले से केन्द्रीय दरों पर मंहगाई भत्ता ले रहे हैं; तदर्थ वृद्धि देने का अर्थ दुगना मंहगाई भत्ता देना होगा। अतः वे तदर्थ वृद्धि के भुगतान के लिये पात्र नहीं हैं।

(ग) तदर्थ वृद्धि का न दिया जाना केवल उन अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों पर लागू होता है जो केन्द्रीय दरों पर मंहगाई भत्ता ले रहे हैं चाहे वे अध्यापक हैं या कुछ और।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

रामनाथपुरम् जिले में टेलीफोन-संदेश वाहक सेवा

3823. **श्री किरुतिनन:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य के रामनाथपुरम् जिले में मानामदुरै तथा तिरुप्पुवनम नगर में टेलीफोन-संदेश वाहक सेवा को हाल ही में समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार लोगों, विशेषकर उन नगरों में सार्वजनिक टेलीफोनों का उपयोग करने वाले लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार कर रही है?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी हाँ। सितम्बर 1963 में मानामदुरै में और फरवरी 1967 में तिरुप्पुवनम में संदेश वाहक सेवा समाप्त कर दी गई थी।

(ख) स्वचालित एक्सचेंजों के चालू हो जाने पर तथा इन स्थानों पर अधिक दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोन को स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन के रूप में बदल देने के फलस्वरूप इस सेवा को बन्द कर दिया गया था।

(ग) टेलीफोन एक्सचेंज के स्थानीय क्षेत्रों में 'ट्रंक पब्लिक काल आफिसेज' में संदेश-वाहक सेवा की व्यवस्था करने के सामान्य प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

प्रादेशिक भाषाओं में मनीआर्डर फार्म

3824. **श्री किशतिनन**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मनीआर्डर फार्मों की प्रादेशिक भाषाओं विशेषकर तमिल में छपाई बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी हाँ। पहले सर्किल के अध्यक्ष मनीआर्डर फार्म दो भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में, जिनमें तमिल भी सम्मिलित है, स्थानीय रूप से छपवा लेते थे। अब इसे बन्द कर दिया गया है।

(ख) और (ग) एक नीति निर्धारित की गई है कि वे फार्म जैसे मनीआर्डर फार्म हैं और जो एक भाषाई क्षेत्र से दूसरे भाषाई क्षेत्र में जाते हैं वे दो भाषाओं में हिन्दी और अंग्रेजी में छापे जाने चाहिये।

हरियाना में निर्वाचन पर खर्च

3825. **श्री सूरज भान**: क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाना राज्य में पिछले साधारण निर्वाचनों में सरकार ने कुल कितना धन खर्च किया था; और

(ख) पिछले साधारण निर्वाचनों में राज्य के विधान सभा के उम्मीदवारों द्वारा कुल कितना खर्च किया गया था जो उनकी निर्वाचन विवरणियों में दिखाया गया है?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) चौथे साधारण निर्वाचन, 1967 पर हरयाणा राज्य की बाबत कुल व्यय 9,01,000 रु० हुआ। निर्वाचक नामावलियाँ तैयार कराने में और उनके मुद्रण में 1,30,000 रु० और साधारण निर्वाचनों के संचालन में 7,71,000 रु० व्यय हुए। अवस्थित प्रबन्धों के अनुसार जब लोक सभा और राज्य विधान सभा के लिए निर्वाचन एक ही समय पर कराए जाते हैं तो कुल व्यय को केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के आधार पर बाँटना होता है।

(ख) अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए निर्वाचन-व्ययों के लेखा निर्वाचन आयोग के पास नहीं हैं बल्कि सम्पृक्त जिला निर्वाचन आफिसरों के पास हैं। चूंकि अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या ने निर्वाचन व्ययों का अपना लेखा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उपनियम (5) के अधीन हेतुक दर्शित करने की सूचनाओं के निकाले जाने के पश्चात् भी फाइल नहीं किया है, अतः विधान सभा अभ्यर्थियों द्वारा पिछले साधारण निर्वाचन में किए गए कुल व्यय के बारे में जानकारी अभिनिश्चित नहीं की जा सकती। उन 471 अभ्यर्थियों में से जिन्होंने हरयाणा राज्य विधान सभा के लिए निर्वाचन लड़े, 68 अभ्यर्थियों को कोई लेखा न देने के कारण हेतुक दर्शित करने की सूचना भेजी जा चुकी है। शेष अभ्यर्थियों द्वारा दी गई निर्वाचन विवरणियों में दर्शित व्यय कुल 9,93,287 होता है।

बीजों की अधिक उपज वाली किस्में

3826. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ग्रामों के किसानों में बीजों की अधिक उपज वाली किस्मों के उत्पादन को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस कार्य में कितनी सफलता मिली है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1963/67**]।

Sale of Nylon to Fishermen

3827. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that nylon is being sold at cheaper rates in the open market in Gujarat than the rates at which it is sold to fishermen for fishing nets through Government Co-operative Stores, agencies etc. ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) The Government have discontinued import of nylon and only indigenously manufactured nylon twine is being supplied through governmental agencies and cooperative organisation. Indigenously manufactured nylon twine is not being sold at cheaper rates in the open market. Limited quantities of imported nylon are understood to be available at cheaper rates in the open market.

Seats in Parliament and State Legislatures

3828. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) whether Government have considered the suggestion made by the Health Msnister of Maharashtra that during the next ten years, the number of seat in Parliaeut and State Legislatures should not be raised so that the States, implementing the family planning measures might not suffer as regards the representation of these State is concerned ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Law (Shri Govind Menon) :

(a) No such suggestion has been received.

(b) Does not arise.

Import of Pig Fat into Delhi

3829. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Nihal Singh** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of pig fat imported in the capital during the last two years and the names of the places from where it was brought ;

(b) whether it is a fact that this fat is mixed in ghee and butter by the Delhi Milk Scheme and supplied to the public ; and

(c) the other purposes for which this fat is being utilised ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Coommunity Development and Cooperaation (Shri Annasahib Shinde):

(a) No authentic data is availahle.

(b) No, Sir.

(c) Pig fat is available in two categories: prime lard and rendered or mixed lard. Prime lard is of better quality and is used for cooking purposes. It is under stood that to some extent it is also being used for adulterating ghee. The second variety, i.e. 'Rendered or Mixed lard, is inferior one and is used in the manufacture of soaps, polishes, etc.

कृषि के विषय में अधिकारियों का विदेशों में प्रशिक्षण

3830. **श्री राम चरण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों/विभागों में यह महसूस किया गया है कि पिछली तीन योजनाओं की कालावधि के खाद्य तथा कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०) जैसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अधीन जो लोग कृषि के विषय में सरकारी खर्च पर विदेशों में प्रशिक्षित किए गए थे, लाभप्रद सिद्ध नहीं हुए हैं;

(ख) विभिन्न विभागों में उनको दिए गए काम का निरीक्षण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में विदेशों में प्रशिक्षित अधिकारियों के कृषि संबंधी क्षेत्र में उनके काम की उपयोगिता के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) जी, नहीं।

(ख) सम्बन्धित संस्थाओं और कार्यालयों में से रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं कि विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे व्यक्तियों को उचित रूप से नौकरी पर रख लिया है या नहीं। इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्राप्त हुए प्रशिक्षण की उपयोगिता के विषय में समय-समय पर सर्वेक्षण किए जाते हैं।

(ग) जी नहीं। मार्च, 1963 में एक सर्वेक्षण किया गया था और भारतीय प्रशिक्षणार्थियों द्वारा विदेशों में कृषि विषय में प्राप्त किए हुए प्रक्षिणों के विषय में एक और अध्ययन किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Bomb explosion in R. M. S. Compartment of Jhansi-Lucknow Express

*3831. **Shri Onkar Lal Berwa : Shri Ram Singh Ayarwal : Shri Nathu Ram Ahirwar :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that four employees were wounded as a result of a bomb explosion in a R.M.S. Compartment of Jhansi-Lucknow Express on the 21st October, 1967 ;

(b) whether any enquiry has been held in this regard ; and

(c) if so, the result thereof ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affair and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) An explosion took place in the R.M.S. Van of the Jhansi-Lucknow Express on 17-10-67, due to which an R.M.S. Official was seriously wounded. Anotherofficial received slight injuries.

(b) and (c) The police are investigating the matter and the result is awaited.

Loans to Fishermen

3832. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Minister Food and Agriculture** pleased to state :

(a) whether Government have decided to exempt the repayment of loan given to fishermen in Gujarat in possession of the defective Torpedo engines imported from Yugoslavia for their fishing boats which broke down within the six months of the purchase; and

(b) whether Government have got these engines checked and if so, the cause thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No proposal for exemption from repayment of loans has been received by the Central Government. Marine diesel engines are issued to fishermen and fishermen's cooperatives by the State Governments on subsidy-cum-loan basis. The loan is repayable to the State Government.

(b) The engineers of the suppliers have visited the State from time to time to look into complaints. A technical examination of Torpedo engines was also made. It was found that the most frequent sources of trouble in operation were the fuel pump and the propellor shaft. The propellor shafts were found to be liable to corrode. Difficulties in the operation of the fuel pump could be overcome by proper maintenance. The absence of adeqaute supplies of spare parts was also found to be presenting a problem in the efficient operation of the engines. Torpedo engines are not being imported since 1966. For the proper maintenance of the engines already in use, steps have been taken to arrange for regular import of spare part.

Installation of Tube-Wells in U. P.

3833. **Shri Prakash Vir Shastri:** **Shri Ram Avtar Sharma:**
Shri Shiv Kumar Shastri: **Shri Raghuvir Singh Shastri:**
Dr. Surya Prakash Puri; **Shri Y. S. Kushwah** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the tube-wells, for which loans were granted in villages in Uttar Pradesh during the last 3 years have either not been installed or those which were installed are not working properly ;

(b) if so, whether Government propose to install tube-wells instead of granting loans to the villagers and recover the cost thereof ; and

(c) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) to (c) The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received.

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में सतर्कता अधिकारी के ध्यान में लाये गए मामले

3834. **श्री मधु लिमये**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय में किस प्रकार के मामलों की ओर सतर्कता अधिकारी का ध्यान आकर्षित कराया जाता है;

(ख) सतर्कता अधिकारी का ध्यान इन मामलों की ओर आकर्षित कराने का उत्तरदायित्व मंत्रालय में किस का होता है; और

(ग) 1962-63 में इसकी स्थिति क्या थी?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) कृषि, खाद्य, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता विभागों के लिए अलग-अलग मुख्य सर्तकता अधिकारी हैं। स्थानीय सतर्कता अधिकारी संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के लिए भी नियुक्त किए जाते हैं। सभी मामले जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं या जिन में आरोपित वास्तविकता से पता चलता है कि भ्रष्टाचार दुराचार, दुर्भावना, धोखा या धोखा देने का प्रयत्न या कपटता के तत्व मौजूद हैं, सम्बन्धित विभाग या कार्यालय के सतर्कता अधिकारी के ध्यान में लाए जाते हैं। इसी प्रकार के मामले भी जिनमें बहुत गम्भीर दुष्कर्म होता है और जिसके लिए सी० जी० एस० (सी० सी० ए०) के अन्तर्गत औपचारिक विभागीय कार्यवाही करनी होती है, सम्बन्धित विभाग या कार्यालय के सतर्कता अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के राजपत्रित अधिकारियों को मंत्रालय के प्रशासनिक अनुभाग की सलाह लेनी होती है और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ दण्ड देने वाले प्राधिकारी से आज्ञा लेनी होती है। वे मामले भी जिनमें काली सूची प्रस्तावित है सम्बन्धित विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा देखे जाते हैं। सतर्कता के मामलों में दिए गए दण्ड के विरोध में संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के मुख्य प्रधानों को की गई अपीलें भी सम्बन्धित कार्यालय के सतर्कता अधिकारी द्वारा देखी जाती है। सतर्कता के मामलों में दिए गए दण्ड के विरोध में मंत्रालय के किसी अधिकारी या राष्ट्रपति को की गई अपीलें भी सम्बन्धित विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा देखी जाती है।

(ख) प्रत्येक कार्यालय में प्रशासनिक यूनिट के प्रधान का कर्त्तव्य है कि वे ऐसे मामलों को शीघ्र ही सतर्कता अधिकारी के ध्यान में लायें।

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) में वर्णित पद्धति के अनुसार सन् 1962-63 में निदेश दिए गए। किन्तु सन् 1963 में जारी किए गए परिपत्र से ऐसा मालूम होता है कि कुछ संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कुछ प्रशासनिक अनुभाग उस निदेश का पालन नहीं कर रहे हैं जिनके अनुसार सतर्कता सम्बन्धी मामले को स्थानीय सतर्कता अधिकारी को सौंप दिया जाना चाहिए, यह देखते हुए पहले निदेशनों को दोहराया गया।

खण्ड विकास अधिकारी

3835. **श्री शिव चन्द्र झा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खण्ड विकास अधिकारियों ने पंचायती राज के कार्य संचालन और ग्रामदान में प्राप्त हुए गाँवों में क्या काम किया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): पंचायती राज में खण्ड विकास अधिकारी के काम राज्य सरकारों द्वारा पारित विभिन्न

पंचायती राज अधिनियम में निर्धारित किया गया है। वह पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और पंचायत समिति द्वारा प्रारम्भ की गई विकास योजनाओं को क्रियान्वित और उसकी निगरानी के लिये उत्तरदायी है। एक खण्ड में जहाँ ग्रामदान का गाँव है और खण्ड एजेंसी के माध्यम से ग्रामदान क्षेत्रों के लिये विशेष कार्यक्रम चलाये जाते हैं वहाँ ऐसी योजनाओं की क्रियान्विति तथा उनकी निगरानी का काम खण्ड विकास अधिकारी का है।

दिल्ली के कृषकों को तकाबी ऋण

3836. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान बाढ़-पीड़ित किसानों को 5 करोड़ रुपए के जो तकावी ऋण दिए गए थे उन्हें माफ कर दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है;

(ग) क्या किन्हीं अन्य राज्यों ने भी सरकार के समक्ष ऐसे ही प्रस्ताव रखे हैं जिनमें केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध किया गया हो; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उन्होंने कितनी सहायता मांगी है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय चीता

3837. **श्री क० प्र० सिंह देव**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में भारतीय चीतों की नस्ल समाप्त हो गयी है और केवल एक ही चीता रह गया है जो दिल्ली के चिड़ियाघर में है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी नस्ल बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) भारत में भारतीय चीता की नस्ल विलुप्त हो गई है। दिल्ली के चिड़ियाघर में जो चीते हैं वे अफरीकी नस्ल के हैं।

(ख) इन नस्लों को सुरक्षित घोषित किया गया है। प्रस्ताव है कि दिल्ली चिड़ियाघर को चीतों के लिए प्रजनन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाये और इस प्रयोजन के लिए अभी हाल ही में अमरीकी चीतों का एक जोड़ा प्राप्त किया गया है।

(ग) पता लगा है कि बन्दी-अवस्था में चीतों का सफल प्रजनन बहुत ही कम होता है। फिर भी उनके प्रजनन के लिए दिल्ली के चिड़ियाघर में प्रयत्न किए जायेंगे।

केलों की काश्त के लिए फार्म

3839. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात किए जाने वाले केलों की काश्त के लिए दक्षिण भारत में नए प्रक्षेत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने प्रक्षेत्र स्थापित किए जायेंगे;

(ग) वे प्रक्षेत्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे; और

(घ) इस काम के लिए राज्यों को कितनी सहायता देने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली से अनाज का तस्कर व्यापार

3840. **श्री चेंगल राय नायडू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली अनाज के तस्कर व्यापार का एक प्रमुख केन्द्र बन गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी मात्रा में चोरी-छिपे लाई गई सूखी मटर और मोठ की दाल दिल्ली से देश के सभी भागों में भेजी जाती है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) : जी, नहीं।

(ख) इस समय उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान से मटर और मोठ की दाल ले जाने पर कोई निर्बन्धन नहीं है। दिल्ली से या दिल्ली में इन वस्तुओं के लाने ले जाने पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Employees State Insurance Corporation Dispensaries

3841. **Shri P. N. Solanki** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees working in Employees' State Insurance dispensaries are not treated properly ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) No.

(b) Does not arise.

नियोजकों के मकानों पर प्रदर्शन

3842. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों द्वारा नियोजकों के मकानों पर प्रदर्शन करने का कोई कानूनी आधार है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रकार के आन्दोलन को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी नियोजकों के विरुद्ध भद्दे नारों का प्रयोग करते हैं और बहुत आपत्तिजनक इश्तहार जारी करते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार के आन्दोलनों को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) किसी कानून में विशिष्ट रूप से यह व्यवस्था नहीं है कि कर्मचारियों को नियोजकों के निवास-स्थानों पर प्रदर्शन करने का अधिकार है। फिर भी सब नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति तथा बिना शस्त्र धारण किए शान्तिपूर्वक समवेत होने का अधिकार है।

(ग) इस संबंध में कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(घ) अनुशासन संहिता जो कि श्रमिकों के सब मुख्य-मुख्य संगठनों द्वारा स्वीकृत हैं ऐसे सब तरीकों का निरनुमोदन करती हैं जिनमें बल-प्रयोग और अभित्रास की बातें आती हैं।

नागालैण्ड के साथ दूरसंचार सम्पर्क

3843. **श्री य० अ० प्रसाद:** **श्री रा० रा० सिंह देव:**

श्री वेदव्रत बरुआ:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या यह सच है कि नागालैण्ड और देश के शेष भागों के बीच दूरसंचार सम्पर्क संतोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) पिछले कुछ महीनों में दीमापुर और कोहिमा के बीच लाइन को सुदृढ़ बनाने तथा उसके पुनर्निर्माण के कार्य के कारण सर्किटों में कुछ गड़बड़ हुई थी।

(ख) यह पुनर्निर्माण कार्य अब पूरा हो गया है और सर्किटों में अब सुधार हुआ है। हाल ही में कोहिमा और लिशाँग के बीच एक सिंगल चेनल वी० एच० एफ० लिंक बनाया गया है। इससे स्थिति में और सुधार हुआ है।

बागान मजदूर

3844. **श्री रा० रा० सिंह देव:** **श्री वेदव्रत बरुआ:**

श्री य० अ० प्रसाद:

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बागानों के मजदूरों के लिए सेवानिवृत्ति एवं परिवार पेंशन लागू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) (क) कर्मचारी भविष्य निधि (जिसमें बागान श्रमिक भी शामिल हैं) और कोयला खान भविष्य निधि के नये सदस्यों के बारे में एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं हुआ है।

चावल कारखानों की मशीनरी का आयात

3845. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने चावल कारखानों की मशीनरी की सप्लाई के बारे में एक जापानी फर्म के साथ करार किया है, और

(ख) यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) : जी हाँ।

(ख) इस करार में पाँच संयुक्त चावल मिलें और 19 मिलों के लिए फालतू पुर्जों सहित मूल संघटक और चावल की मिलों से सम्बन्धित कृषि सम्बन्धी मशीनें 38.56 लाख रुपए की लागत पर खरीदने की व्यवस्था है जिसमें लागत और किराया-भाड़ा सम्मिलित है। निर्यातक एक संयुक्त मिल लगायेगा और उसे चालू करेगा और उसे संतोषजनक कार्य के योग्य बनायेगा। दूसरी मिल लगाने के लिये भी इस शर्त पर सहायता दी जा सकती है कि दो मिल लगाने का कुल समय तीन महीने से अधिक न हो। निर्यातक इस बात की गारण्टी देगा कि भारत में सब मशीनें आ जाने की तारीख से कम से कम एक वर्ष तक वे बिना किसी गड़बड़ के काम करेंगी। पाँचवें येन क्रेडिट के अन्तर्गत खरीद के लिए धन दिया जायेगा।

बोनस भुगतान अधिनियम

3846. **श्री नम्बियार:** **श्री अ० क० गोपालन:**

श्री विश्वनाथ मेनन: **श्री उमानाथ:**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोनस अधिनियम के पास होने के बाद से बोनस के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद बढ़ गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समय बोनस सम्बन्धी कुल कितने विवाद विभिन्न राज्यों के विचाराधीन हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) पिछले चार वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रों में हुए बोनस सम्बन्धी विवादों की संख्या के पुनरीक्षण से यह पता चलता है कि इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। परन्तु यह कहना कठिन है आया कि इस वृद्धि का कोई सम्बन्ध बोनस भुगतान अधिनियम के पास होने से है।

(ख) जहाँ तक केन्द्रीय क्षेत्र का सम्बन्ध है पश्चिम बंगाल में एक, मध्य-प्रदेश में 3 और मद्रास में 4 विवाद अनिर्णीत पड़े हैं। केरल उड़ीसा और महाराष्ट्र तथा गोवा दमन और द्वीप के संघीय क्षेत्र से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अन्य राज्यों में कोई विवाद अनिर्णीत नहीं पड़े हैं। राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विवादों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

आस्ट्रेलिया द्वारा दूध देने वाले पशुओं की पेशकश

3847. **श्री स० च० बेसरा:** **श्री मयावन:**
श्री प्रेमचन्द वर्मा:

क्या **खाद्य तथा** कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष आस्ट्रेलिया ने भारत को 900 दुधारु ढोर देने की पेशकश की है:

(ख) उनके कब तक भारत को दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इससे देश में दुग्धशाला परियोजनाओं को बढ़ाने में भारत को कितनी सहायता मिलेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) आस्ट्रेलिया की सरकार ने 600 पशु देने की पेशकश की है। इन पशुओं में से लगभग 80 प्रतिशत सम्भाव्यत: साँड़-बछड़े होंगे। सके अतिरिक्त "फार दोज़ हू हैव लैस" नामक आस्ट्रेलिया की सोसायटी द्वारा 54 पशु देने की पेशकश की गई है।

(ख) सन् 1967–68 के दौरान 204 पशुओं के प्राप्त किए जाने की सम्भावना है और शेष 450 पशु सन् 1968–69 के दौरान प्राप्त किए जायेंगे।

(ग) इन पशुओं को अधिकतर दुग्धशाला वाले क्षेत्रों में और प्रजनन फार्मों में उपयोग किया जाएगा, उनकी नस्ल दुग्धशाला वाले क्षेत्रों में दूध उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करेगी। इस समय ठीक तरह से यह बताना सम्भव नहीं है कि किस हद तक ये विदेशी पशु डेरी परियोजनाओं की वृद्धि में सहायता करेंगे।

केरल में बेरोजगार इंजीनियरी स्नातक

3848. **श्री अ० क० गोपालन:** **श्री प० गोपालन:**
श्री चक्रपाणि: **श्रीमती सुशीला गोपालन:**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अक्तूबर, 1967 को केरल में इंजीनियरी के कितने स्नातक बेरोजगार थे;

(ख) इसके कारण क्या हैं; और

(ग) उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) यथा तथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है । फिर भी नवीनतम् आँकड़ों के अनुसार केरल के नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 30 जून, 1967 को 540 इंजीनियरिंग ग्रेजुएटों के नाम दर्ज थे। हालही में नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश के नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज व्यक्तियों में से 50% नियुक्त थे और अच्छी नौकरी के लिए उन्होंने अपना नाम दर्ज करा रखा था।

(ख) आर्थिक मंदी और बहुत से राज्यों के इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक संस्थानों के कई कारणों से बन्द होने के कारण।

(ग) अच्छी फसल के फलस्वरूप आर्थिक सुधार और औद्योगिक उत्पादन में तेजी के कारण बेरोजगार लोगों को, जिनमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी शामिल हैं, बढ़े हुए रोजगार अवसर मिलेंगे।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाई गई सम्पत्ति

3849. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये कितने मकान और दुकानें बनाई तथा उनपर कितना धन व्यय हुआ;

(ख) ये मकान तथा दुकानें किस प्रकार किराये पर दी गई, बेची गई अथवा पट्टे पर दी गई; और

(ग) मकानों तथा दुकानों का वार्षिक किराया कितना है तथा कितनी रकम प्रतिवर्ष वसूल की जाती है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली में पुनर्वास बस्तियों में सरकार द्वारा बनाये गए मकानों, फ्लैटों तथा दुकानों की संख्या 51,886 है और उनके निर्माण पर 23,80,72, 027 रुपए खर्च किए गए हैं। यह आँकड़े अस्थायी हैं और इस सम्बन्ध में आँकड़ों का पुनर्मिलान किया जा रहा है।

(ख) इनके निर्माण के बाद ये सम्पत्तियाँ दिल्ली प्रशासन के हवाले कर दी गई थीं। उन्होंने समय-समय पर इन सम्पत्तियों के अलाटमेंट के लिये बनाये गए श्रेणियों के अनुसार पात्र विस्थापित लोगों को किराये पर अलाट की थीं। इस प्रकार की सम्पत्ति अब किराये पर नहीं दी जा रही है।

कुछ अहस्तान्तरणीय सम्पत्तियों को छोड़ कर सभी सम्पत्तियाँ विस्थापित व्यक्ति (सी० एण्ड आर०) नियम, 1955 के उपबन्धों के अनुसार बिक्री/हस्तान्तरण करके निपटा दी गयी हैं।

(ग) अहस्तांन्तरणीय सम्पत्तियों के अलाटियों से 1966–67 के किराये की वार्षिक माँग 3,17,691 रु० 25 पैसे थी जबकि उस वर्ष में वसूल की गई धन-राशि 3,31,904 रु० 94 पैसे थी। इस धन-राशि में चालू वर्ष की माँग एवं बकाया धन-राशि की वसूली भी सम्मिलित है।

Increase in Prices of D. M. S. Products

3850. **Shri Onkar Lal Berwa** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the increase in prices of D.M.S. Milk and Ghee since 1962 ; and

(b) the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Prices of milk and ghee sold by the Delhi Milk Scheme during the period 1962 to 67 are indicated below :—

Milk	Upto *12.5.64*	From *13.5.64*	From *10.6.65*	From *12.11.65*
	(Paise per litre)			
Buffalo	62	70	—	Discontinued. w.e.f. 5.5.65.
Standardised.	—	—	70	84 Introduced w.e.f. 10.6.65
Cow	62	70	70	84
Toned	42	44	54	54
Double toned milk.	—	—	40	40 Introduced w.e.f. 1.6.65.

(In rupees per tin).

Ghee	Upto *22.12.63*	From *23.12.63*	From *1.2.65*	From *11.8.65*	From *20.12.66*	From *31.8.67*
1 Kg.	8.25	8.30	9.30	11.00*	11.75*	13.50*
2 Kg.	16.00	16.15	18.15	21.50*	23.00*	26.50*
4 Kg.	31.50	31.65	35.65	42.50*	45.50*	52.50*
16 Kg.	—	—	—	164.75	176.75	204.75*

*Excluding 3% Sales Tax leviable on ghee from 1.7.1966.

(b) There has been steady increase in the procurment price of milk since 1962. The average procurement price per litre of buffalo milk since April, 1962 is indicated below :—

1962-63	51.30 P. per litre.
1963-64	53.34 „ „ „
1964-65	68.65 „ „ „
1965-66	73.34 „ „ „
1966-67	78.10 „ „ „

There has been in crease also in other expenses incurred by the Scheme including cost of stores like skimmed milk powder, transport charges, and commission paid to milk suppliers.

खाद्यान्न का रक्षित भण्डार

3851. **श्री हिम्मतसिंहका**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में गेहूँ तथा चावल के रक्षित भण्डार बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) रक्षित भण्डार का के लिये कितने अनाज का आयात किया जायेगा; और

(घ) क्या इस काम में कुछ प्रगति हुई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) से (ग) जी हाँ। वर्ष 1968 के अन्त तक कुछ अनाज आयात करके और कुछ देश में वसूली करके विभिन्न क्षेत्रों में 30 लाख टन अनाज का केन्द्रीय भण्डार बनाने का प्रस्ताव है।

(घ) अभी यह कार्य आरम्भ हुआ है?

काँगड़ा में आटा मिल

3853. **श्री हेम राज**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 1 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7473 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने काँगड़ा में आटे की एक मध्यम मिल स्थापित करने के लिये किसी आवेदन-पत्र की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसपर क्या निर्णय किया गया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने काँगड़ा में आटे की मिल लगाने के मामले में अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने की फिर सिफारिश की है।

(ख) यह मामला विचाराधीन है और अभी कोई निर्णय नहीं किया गया।

कोकती कपास

3854. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के बांका और देवघर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जो कोकती कपास पैदा की जाती थी वह अब पैदा नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस क्षेत्र में कपास अथवा अन्य फसलों की खेती करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा के पटल पर रख दी जायेगी ?

भागलपुर से बाँका तक टेलीफोन

3855. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भागलपुर से बाँका तथा उस जिले में अन्य डाकखाने वाले नगरों को मिलाने वाली टेलीफोन लाइन सप्ताह में कम से कम पाँच दिन खराब रहती है; और

(ख) यदि हाँ तो इस लाइन को चालू हालत में बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) नहीं यद्यपि सितम्बर 1967 में बाढ़ के कारण और अक्तूबर 1967 में ताँबे की तार की चोरी के कारण सर्किटों पर विपरीत प्रभाव पड़ा था परन्तु नवम्बर 1967 में उनका कार्य संतोषजनक रहा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। अब ये सर्किट आम तौर पर संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

High Yielding Seeds Produced by I. A. R. I.

3856. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the black-marketing in high yielding seeds produced by the Indian Council of Agricultural Research, Pusa and such other Institutes and the adulteration of inferior qualities of seeds with these seeds ; and

(b) if so, the action by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No please.

(b) Does no arise.

Price of Foodgrains

3857. **Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Shri Chand Goel : Shri Srinibas Misra :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the press reports to the effect that farmers are not getting reasonable prices for their foodgrains and the prices of foodgrains are going down; and

(b) the measures taken by the Food Corporation of India to ensure the reasonable prices of foodgrains to the farmers and to end the exploitation of farmers by the traders ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Some reports of fall in prices of foodgrains have come to the notice of the Government.

(b) The State Governments and the Food Corporation of India have been asked to ensure purchase of all quantities that may be offered at the procurement prices fixed by the Government.

भारत की खाद्य सम्बन्धी संभावना

3858. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अगस्त 1967 के दैनिक समाचार पत्र 'स्टेट्समैन' में "भारत की खाद्य सम्बन्धी सम्भावना चिन्ताजनक—अमरीकी विज्ञान सलाहकार समिति की चेतावनी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) जी हां। समाचार में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है।

(ख) उत्पत्ति के पूर्वानुमानित दरों, आबादी सम्बन्धी वहिर्वेशनों और कटाई के बाद की हानि के अनुमानों के सम्बन्ध में जिन धारणाओं पर रिपोर्ट की बातें आधारित हैं उन धारणाओं में और भारत सरकार की धारणाओं में अन्तर है। धारणाओं के इस अन्तर के फलस्वरूप और नई नीति के हाल ही के अनुभव को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार सन् 1970-71 तथा सन् 1975–76 तक खाद्यान्नों में आत्म-निर्भर होने के सम्बन्ध में अमरीकी विज्ञान सलाहकार समिति की आशंकाओं से सहमत नहीं है।

भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजनायें

3859. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये देश में कितनी योजनायें चल रही हैं;

(ख) अब तक कुल कितनी भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है और कितनी अधिक भूमि कृषि-योग्य बनाई जा सकती है;

(ग) प्रतिवर्ष कितनी भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है; और

(घ) ऐसी समूची भूमि को जिसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है कृषि योग्य बनाने में कितना समय लगेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1964/67]**

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हड़ताल

3860. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले छः महीनों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बड़ी संख्या में हड़तालें हुई हैं;

(ख) यदि हां तो विभिन्न उपक्रमों में कितनी हड़तालें हुई, प्रत्येक हड़ताल में कितने जन-दिवसों की हानि हुई तथा प्रत्येक हड़ताल में उत्पादन की कितनी हानि हुई और कितने मूल्य के उत्पादन की हानि हुई; और

(ग) इन हड़तालों के मुख्य कारण क्या थे तथा ऐसी हड़तालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में हुई हड़तालों की सरकार को जानकारी है।

(ख) और (ग) हड़तालों, नष्ट हुए श्रम दिनों आदि के कारणों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी। सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करने की आवश्यकता का सरकार को ज्ञान है जिससे कि औद्योगिक विवादों के कारणों में अधिकाधिक कमी हो सके। इस सम्बन्ध में उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं।

फसल ऋण प्रणाली

3861. **डा० रानेन सेन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों की अल्पकालिक ऋण आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाई गई फसल ऋण प्रणाली ने राज्य में अधिक प्रगति नहीं की है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिनमें अब तक इस प्रणाली को क्रियान्वित किया जा चुका है तथा उन राज्यों में कितना ऋण दिया गया है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित 500 करोड़ रुपए की अल्पकालिक कृषि ऋण की राशि का पूरा उपयोग न होने की कोई सम्भावना है और यदि हाँ, तो कितनी कमी होने की सम्भावना है ; और

(घ) इस काम के लिये नियत धनराशि का अधिक से अधिक उपयोग हो, इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) और (ख) जिन राज्यों ने फसल ऋण प्रणाली लागू की है, उनके नाम तथा इस प्रणाली के कार्यान्वियन में हुई प्रगति, 6 जून, 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1502 के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है। चूंकि अधिकांश राज्यों में यह प्रणाली केवल एक वर्ष से लागू है अत: इतनी जल्दी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। जून 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष 1966–67 में सहकारी समितियों ने जो अल्प तथा मध्यकालीन ऋण दिये हैं, उनके आँकड़े अभी संकलित नहीं किए गए हैं।

(ग) फसल-ऋण प्रणाली के अन्तर्गत ऋण देने के लिये सरकार की ओर से कोई धनराशि नहीं रखी जाती है। सहकारी समितियाँ अपने साधनों, अर्थात् अंश पूंजी तथा डिपाज़िट्स और भारत के रिज़र्व बैंक से उधार लेकर ऋण देती हैं। राज्य सरकारों द्वारा सूचित किए गए कार्यक्रम के अनुसार यह उम्मीद की गई थी कि जून 1967 को अन्त होने वाले वर्ष 1967–68 में सहकारी समितियाँ लगभग 500 करोड़ रुपए के अल्प तथा मध्यकालीन ऋण बाँट लेंगी। वास्तव में कितना ऋण दिया गया इसका पता जून, 1968 के बाद चलेगा।

(घ) सहकारी ऋण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये हर प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि जितना सम्भव हो उतना ऋण वह दे सके। इस बारे में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम ये हैं—

(1) प्राथमिक ऋण व्यवस्था को पुनरुज्जीवित करना;

(2) प्रबन्ध कर्मचारी उपलब्ध करके तथा उनकी परिचालन कुशलता में सुधार लाकर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को मजबूत बनाना;

(3) अभावग्रस्त क्षेत्रों में अतिदेय अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में बदलने के लिए ऋण स्थिरीकरण प्रबन्ध करना; और

(4) ऋण वितरण का उत्पादन सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं आदि के वितरण से समन्वय स्थापित करना।

मजूरी निर्धारण व्यवस्था

3862. **डा० रानेन सेन**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ख) क्या स्थायी श्रम सम्मेलन द्वारा उपयुक्त मजूरी निर्धारण तैयार करने के लिये नियुक्त की गई द्विपक्षीय समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समिति ने इस सम्बन्ध में क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) स्थायी श्रम समिति द्वारा स्थापित द्विपक्षीय समिति का काम मजूरी बोर्ड के कार्य में होने वाली देरी को समाप्त करने और उनकी सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करवाने की प्रक्रिया तैयार करने के लिये उपाय सुझाना है।

(ख) इस समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में चावल का राशन

3863. **श्री मा० ला० सोंधी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में चावल के राशन में पहले की गई कटौती को बहाल करना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो अब प्रत्येक परिवार को कितना चावल मिला करेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) भारत सरकार की राय यह है कि दिल्ली में चावल के राशन में कटौती को बहाल करना अभी उचित नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल और केरल में जहाँ केवल चावल खाये जाते हैं; अभी यह कटौती चल रही है। यह सलाह दिल्ली प्रशासन को दी गई थी। फिर भी उन्होंने 13–12–67 से दिल्ली में चावल के राशन की कटौती को बहाल करने का निर्णय किया है। राशन में दिए जाने वाले चावल की मात्रा निम्नलिखित है:—

जिन कार्डों पर 'आर'का चिह्न है। .. 875 ग्राम प्रति वयस्क प्रति व्यक्ति

जिन कार्डों पर 'डब्ल्यू' का चिह्न होता है। .. 4 खाद्यान्न एककों तक प्रति कार्ड प्रति 4 सप्ताह के लिये 500 ग्राम चावल;

5 से 8 खाद्यान्न एककों तक प्रति कार्ड प्रति 4 सप्ताह के लिए 1 किलोग्राम चावल;

9 खाद्यान्न एकक और उससे अधिक ; प्रति कार्ड प्रति 4 सप्ताह के लिये 1.5 किलोग्राम चावल

Landless Families

3864. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have made any survey to ascertain the number lf landless families in the country ;

(b) if so, the number othereof ; and

(c) the number of such landless families which have been given land by Government for their settlement during the last twenty years ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) The second Agricultural Labour Enquiry Committee in 1956-57 estimated the number of **families** of landless agriculturists at 96 lakhs. According to 1961 census, the population of agricultural workers and their dependents is 3,15,21,641.

(c) An area of 107.54 lakh acres has been distributed to the landless agricultural families in various States since 1951-52. In addition, under the Centrally-sponsored scheme of settlement of landless agricultural labourers, 1.04 lakh families have been settled on 4.36 lakh acres of land upto the end of 1966-67.

विषय संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में नहर के निर्माण के लिए सहायता

3865. **श्री मरंडी:** **श्री मयावन:**

श्री हिम्मतसिंहका: **श्री हरदयाल देवगुण:**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के नहर परियोजना के लिए भारत को 30 लाख डालर का दान देना स्वीकार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई करार किया गया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) राष्ट्रसंघ तथा खाद्य और कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित विश्व खाद्य कार्यक्रम ने गेहूँ, स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण, वनस्पति तेल व सेम के रूप में लगभग 29.2 लाख डालर की खाद्य सहायता देना स्वीकार कर लिया है। ये वस्तुएँ राजस्थान नहर के निर्माण पर लगे हुए उन मजदूरों को रियायती दरों पर बेची जायेंगी जो मुख्य नहर के 65 मील तथा शाखा नहर आदि के 15 मील टुकड़ों के निर्माण में लगे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा रियायती दरों पर संभरण की गई वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने वाला धन भूमि विकास भूमि संरक्षण, पशु-पालन, वन नर्सरी व वृक्षारोपण के कार्यों पर व्यय होगा।

(ख) जी हां, 10 नवम्बर 1967 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये।

अन्तर्राष्ट्रीय युवा किसान आदान-प्रदान कार्यक्रम

3866. **श्री मयावन:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय युवा किसान आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेकर 11 किसानों का एक दल अमरीका गया था;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा से किसानों को क्या लाभ हुआ; और

(ग) क्या पारस्परिक आधार पर अमरीकी किसान भी भारत आयेंगे?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) जी हाँ। अन्तर्राष्ट्रीय युवा किसान आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत मई, 1967 में 11 युवा किसानों को 6 महीने के लिये अमरीका भेजा गया था।

(ख) (1) युवा किसान क्योंकि अमरीका में किसान परिवारों के साथ ठहरे और उनके साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने फार्म-मशीनों, फसल उत्पादन, बीज संवर्धन, सम्बन्धित विभिन्न आधुनिक वस्तुओं के प्रयोग, फल तथा सब्जी, उगाने, मुर्गी पालन, फार्म लेखा, गृह सुधार आदि कार्यों में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया। उन्नत कृषि तरीकों के, विशेषतया अधिक उपज देने वाली किस्मों के अपनाने में ग्रहण किया गया ज्ञान तथा निपुणता का वे लोग स्थानीय क्षेत्र परिस्थितियों के अनुसार अपने फार्मों में उपयोग कर रहे हैं।

(2) वे उन्नत कृषि पद्धतियों के प्रभावशाली प्रदर्शकों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(3) ये युवा किसान अपने क्षेत्रों में युवा किसानों के क्लब कार्यक्रम को विकसित करने में सहायता कर रहे हैं और ऐच्छिक युवा नेताओं के रूप में सेवा कर रहे हैं।

(5) वे ग्राम सेवक तथा ग्राम सेविका प्रशिक्षण केन्द्रों में जाते हैं और उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हैं;

(ग) जहाँ, पारस्परिक आधार पर अमरीकी युवा किसान भी भारत आते हैं। 1967 वर्ष के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, अमरीकी युवा किसान पहले ही सितम्बर, 1967 से भारत में हैं।

प्रगतिशील किसानों का सम्मेलन

3867. **श्री मरंडी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 15 और 16 नवम्बर, 1967 को दिल्ली में प्रगतिशील किसानों का द्वि-दिवसीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो उस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था; और

(ग) इस देश में खाद्य की कमी को दूर करने में सहायता करने हेतु उन्होंने क्या कार्यवाही करने का सुझाव दिया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक बिकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) जी हाँ। प्रगतिशील किसानों का सम्मेलन दिल्ली में 16,17,18 और 19 नवम्बर, 1967 को हुआ था। यह सम्मेलन "आल इण्डिया हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कन्वेन्शन" के नाम से हुआ था और इसका आयोजन "नेशनल (क्राप्स) टनएज क्लब आफ फार्मरज़ आफ इण्डिया" ने किया था।

(ख) इस सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उपायों को ढूंढने के विचार से प्रगतिशील कृषकों द्वारा आपस में गैर वैज्ञानिकों के साथ अपने अनुभव व ज्ञान का आदान-प्रदान करें। सम्मेलन में कृषि के विषय में नए दृष्टिकोण, सघन सस्य चक्र के माध्यम से बहुत फसलें उगाना बड़ी तथा मध्य श्रेणी की सिंचाई परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों के विकास व उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ था।

(ग) कृषि उत्पादन बढ़ाने के विषय में दिए गए सुझावों को नेशनल (क्राप्स) टनएज क्लब अन्तिम रूप दे रहा है और सरकार को प्राप्त होने पर उन्हें सभा पटल पर रखा जा सकता है।

बेरोजगार व्यक्तियों का सर्वेक्षण

3868. **श्री श्रीचन्द गोयल**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में एकदम बेरोजगार तथा आंशिक रूप से बेरोजगार लोगों की संख्या का पता लगाने के लिये हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) क्या बेरोजगारी, काम न मिलने अथवा बेरोजगार व्यक्ति द्वारा काम न करने की इच्छा के फलस्वरूप है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम के आधीन, नियोजित, अनियोजित और अपूर्ण नियोजित लोगों के सम्बन्ध में आँकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। नवीनतम परिणाम, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 16 वें सर्वेक्षण से सम्बन्धित है, जिसमें जुलाई 1960 से जून 1661 का समय लिया गया है।

(ग) मुख्य रूप से लाभकारी कार्यों की कमी के कारण।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

3869. **श्री श्रीचन्द गोयल**: क्या **संचार** मंत्री 28 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2143 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : तीसरी योजना के अन्त में 12,500 स्टाफ क्वार्टर थे और 490 क्वार्टर बनाये जा रहे थे, जिनमें से 300 क्वार्टर 1966-67 में बन गए थे।

एक अप्रैल, 1966 को 2.15 करोड़ रुपए की लागत पर 1485 क्वार्टर बनाने की मंजूरी दी गई थी जैसा कि विवरण (क) में उल्लिखित है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1965/67]।

इस मंजूरी के अतिरिक्त भूमि अर्जन के लिये 2.08 करोड़ रुपए की और मंजूरी दी गई थी जिसका उल्लेख विवरण (ख) में है। धन की और उपलब्धि होने पर और मंजूरी दी जायेगी।

दिल्ली तथा चंडीगढ़ के बीच सीधा टेलीफान करने की व्यवस्था

3870. **श्री श्रीचन्द गोयल**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली, तथा चंडीगढ़ के बीच सीधे टेलीफोन की व्यवस्था आरम्भ करने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब तक इसके चालू हो जाने की सम्भावना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1968 के अन्त तक।

भारतीय तेल निगम (बोनस विवाद)

3871. **श्री मयावन:** **श्री सं० चं० बेसरा:**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय तेल निगम के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच निगम के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच बोनस विवाद का मामला निर्णय के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, बम्बई को सौंप दिया है;

(ख) यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ। यह मामला अब राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद को भेज दिया गया है।

(ख) इस विवाद में राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न निहित था और यह कुछ ऐसे ढंग का था कि एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों की इसमें रुचि हो सकती थी।

(ग) न्यायाधिकरण का पंचाट प्राप्त होने पर यथा-शीघ्र ।

फसल काटने से पहले तथा फसल काटने के बाद खाद्यान्नों की बर्बादी

3872. **श्री यज्ञदत्त शर्मा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फसल काटने से पहले तथा फसल काटने के बाद होने वाली खाद्यान्न की बर्बादी का अनुमान लगाने के लिये सरकार ने कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है;

(ख) क्या उस समिति ने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हाँ तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) फसल काटने के बाद खाद्यान्नों की बर्बादी का अनुमान लगाने के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की है।

(ख) इस समिति ने अभी केवल अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ।

(ग) अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें और उनपर की गई कार्यवाही इस विवरण में दी गई है जो सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1966/67]।

उर्वरकों की सप्लाई

3873. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष अनेक राज्यों में विशेष रूप से हरियाणा और पंजाब में किसानों को समय-समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक नहीं दिए गए हैं जिसके कारण संकर बीजों के उत्पादन पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस स्थिति को सुधारने के हेतु उपयुक्त सरकारी व्यवस्था को सुव्यविस्थत करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ट्रैक्टरों का आयात

3874. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्रैक्टरों तथा कृषि के अन्य उपकरणों के गैर-सरकारी आयातकों द्वारा लिए जाने वाले अधिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कृषि संबंधी मशीनरी प्राप्त करने के लिए कृषकों की सहकारी समितियों को सीधे आयात लाइसेंस देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) अभी कृषकों की सहकारी संस्थाओं को आयात के लाइसेंस देने की कोई औपचारिक योजना नहीं है, लेकिन इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ट्रैक्टर और अतिरिक्त पुर्जे उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें, जैटर 2011 ट्रैक्टरों के आयात और वितरण का कार्य पहले ही एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को सौंप दिया गया है। उन्हें अन्य प्रकार के ट्रैक्टरों का कार्य सौंपने का प्रश्न विचाराधीन है। यदि कृषकों की सहकारी समितियाँ स्थापित हो जायें तो उन्हें लाइसेंस देने के विषय में विचार किया जा सकता है।

कृषकों की सहकारी समितियों का ऋण

3875. श्री **यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषकों की सहकारी समितियों को दिए जाने वाला सहकारी ऋणों पर लिये जाने वाले ब्याज की दर कम करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) आजकल भारत का रिजर्व बैंक किसानों को मौसमी कृषि कार्यों तथा फसलों के विपणन के लिए ऋण देने हेतु सहकारी ऋण ढाँचे को ऋण देता है। ये ऋण रियायती दरों पर दिए जाते हैं। अल्पकालीन ऋण बैंक दर से 2 प्रतिशत कम पर और मध्यकालीन ऋण बैंक दर से 1½ प्रतिशत कम पर दिए जाते हैं। रिजर्व बैंक से ऋण लेने के अलावा, सहकारी ढांचा अंश पूंजी तथा डिपाजिट एकत्रित करके अपने साधन बढ़ाता है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक ऋण समितियों के स्तर पर किसानों को ऋण देने के लिए जिस धनराशि का उपयोग किया जाता है उसका लगभग 40 प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक से प्राप्त होता है और 60 प्रतिशत भाग अन्य साधनों से एकत्रित किया जाता है। प्राथमिक ऋण समितियाँ जो ब्याज लेती हैं; वह रिजर्व बैंक की ऋण देने की दर, डिपाजिटों पर दिए जाने वाले ब्याज और ऋण ढांचे के तीन स्तरों के खर्च को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है। राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे सहकारी बैंकों तथा समितियों को काम करने की कुशलता में सुधार करके प्राथमिक स्तर पर लिए जाने वाले ब्याज की दरों में समीकरण लाएं, ताकि प्राथमिक उधार लेने वाले को 9 प्रतिशत या सी के आसपास से अधिक ब्याज न देना पड़े।

कर्मचारी राज्यकीय बीमा निगम

3876. श्री **रवि राय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोजक कर्मचारी राजकीय बीमा निगम में अपने विशेष अंशदान की राशि बढ़ाने के लिये सहमत हो गए हैं; और

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (जिसमें नियोजकों के प्रतिनिधि शामिल हैं) ने सर्वसम्मत से निर्णय किया है कि क्रियान्वित

क्षेत्रों में 1 अप्रैल 1968 से नियोजकों के विशेष अंशदान की दर को कुल मजूरी बिल के 2½ प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने की केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की जाए।

तार यातायात के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी संघ का ज्ञापन

3877. **श्री रवि राय**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तार यातायात के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी संघ से उनकी शिकायतें दूर करने के बारे में कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य माँगें क्या हैं; और

(ग) उन्हें पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी हाँ।

(ख) मुख्य माँगें तीन थीं; अर्थात्:

(एक) सभी तार कर्मचारियों को दक्षता बोनस का मंजूर किया जाना।

(दो) सभी केन्द्रीय तथा प्रभागीय तारघरों में स्थायी रूप से ओवरसियरों के पदों का बनाया जाना; और

(तीन) मुंशियों के वेतनक्रमों का बढ़ाया जाना।

(ग) ऊपर (एक) और (दो) में दी गई संघों की माँगों के सम्बंध में डाक तार विभाग के महानिदेशक तथा संघ के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी और आदेशों को किसी हद तक उदार बना दिया गया है। माँग संख्या (तीन) से सहमत होना संभव नहीं पाया गया है।

Educated Unemployed

3879. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Labour and Rehibilitation** be pleased to state :

(a) the total number and percentage of educated and uneducated unemployed in the country in 1948 and 1951, their ratio to the total adult population of the country and also their number in the country and percentage to adult population as in the beginning of 1967; and

(b) the number and ratio of unemployed persons to total number of educated and uneducated persons in various States ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Information is not available for 1948 and 1951. The latest estimates made by the Planning Commission in this regard, which are admittedly rough, are indicated below :—

		March 1966
1.	Total No. of unemployed persons	9-10 million
2.	No of educated persons (Matriculates and above in item No. 1)	0.9-1.0 million
3.	Percentage of educated total unemployed.	10%
4.	Percentage of educated unemployed to the total labour force.	0.4%

(b) State-wise break up is not available.

खाद्यान्नों की एकाधिकार वसूली

3880. **श्री मधु लिमये: श्री क० मि० मधुकर:**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने मक्का, बाजरा, धान आदि की वसूली के लिए एकाधिकार वसूली की नीति अपनाई है;

(ख) इस योजना की राज्यवार मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इन खाद्यान्नों के मूल्य क्या निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) खाद्यान्नों की वसूली किस अभिकरण के माध्यम से की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) तीन राज्यों में । आसाम, महाराष्ट्र और उड़ीसा में धान पर और महाराष्ट्र में जवार पर।

(ख) 1. आसाम

आसाम में धान राज्य सरकार के खाते में एकाधिकार पद्धति के अन्तर्गत धान का समाहार किया जा रहा है । खरीद अधिसूचित मूल्यों पर की जाती है। भारतीय खाद्य निगम बहुतायत वाले क्षेत्रों में जनवरी, 1967 से विपणन सहकारी समितियों के द्वारा धान का समाहार कर रहा है।

2. महाराष्ट्र

राज्य सरकार धान, चावल और जवार का समाहार एकाधिकार समाहार और एकाधिकार क्रय की पद्धति से कर रही है। धान, जवार और नागली के सम्बन्ध में एकड़ के आधार पर उत्पादकों पर वसूली की दर लागू है जो कि अतिरिक्त उत्पादन पर आधारित है। खरीद राज्य सरकार द्वारा इसके अपने खाते पर एपेक्स सहकारी समिति द्वारा समाहार के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए क्रय मूल्यों पर की जा रही है।

3. उड़ीसा

राज्य सरकार ने धान और चावल के एकाधिपत्य समाहार की एक पद्धति को अपनाया है। भारतीय खाद्य निगम को सम्पूर्ण समाहार कार्य सौंपा जा रहा है।

(ग)

		(प्रति क्विंटल रु० में)
आसाम	धान	56.25
महाराष्ट्र	धान	56.00
	जवार साधारण	43.00
	मध्यम	54.00
	बढ़िया	56.00
	मकई–एफ० ए० क्यू०	47.00 और 55.00 के बीच
उड़ीसा	धान	48.00

(घ) आसाम में अभिकरण भारतीय खाद्य निगम और एपेक्स सहकारी विपणन समिति हैं। महाराष्ट्र में खरीद राज्य सरकार द्वारा इसके अपने खाते में एपेक्स सहकारी समिति द्वारा की जा रही है। उड़ीसा में सम्पूर्ण समाहार कार्य भारतीय खाद्य निगम को सौंपा जा रहा है।

कपास का उत्पादन

3881. **श्री मधु लिमये** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1966–67 में कपास का कितना उत्पादन हुआ था;

(ख) 1967–68 में कपास का कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ग) क्या इस वर्ष कपास का आयात करने की कोई आवश्यकता होगी; और

(घ) यदि हाँ, तो कितनी और किस किस्म की कपास का आयात किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) सन् 1966–67 में भारत में कपास (लिन्ट) का कुल उत्पादन अनुमानत: 4931.3 हजार गाँठें थीं, इनमें प्रत्येक गाँठ में 180 किलोग्राम कपास थी।

(ख) सन् 1967–68 के लिए कपास के उत्पादन का पक्का अनुमान कृषि वर्ष के अन्त में उपलब्ध होगा। फिर भी वर्तमान संकेतों के अनुसार, कपास का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा बेहतर होने की सम्भावना है।

(ग) जी हाँ।

(घ) लगभग 9.76 लाख कपास की गाँठें। कपास की साधारणतया स्टेपल लम्बाई 1–1/16 इंच और उससे अधिक होती है।

निर्वाचन याचिकाएँ

3282. **श्री मधु लिमये**: क्या **विधि** मंत्री 30 मई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 157 के उत्तर के सबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 6 महीनों की अवधि में उच्च न्यायालयों द्वारा कितनी निर्वाचन याचिकाएं निपटाई गईं; और

(ख) सदस्यों की मृत्यु, उनके त्यागपत्र, निर्वाचन रद्द किए जाने या किसी अन्य कारण से अब तक कितने उप-निर्वाचनों की आवश्यकता पड़ी ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) छह मास की कालावधि के दौरान उच्च न्यायालयों द्वारा, 396 निर्वाचन याचिकाओं में से 113 निर्वाचन याचिकाएँ निपटाई गईं।

(ख) साधारण निर्वाचन, 1967 से लेकर आज तक, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के लिए 64 उप-निर्वाचनों की आवश्यकता पड़ी है।

Rice Supply to Patients in Delhi

3884. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that several patients are not able to obtain rice from the Rationing Department in Delhi even after producing a medical certificate ; and

(b) if so, whether Government propose to issue any orders to the Delhi Rationing Department in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) It is not a fact that patients are not allowed to draw rice even after producing a medical certificate to the Rationing Department.

(b) Does not arise.

पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों का बसाया जाना

3885. **श्री समर गुह**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्दमान द्वीप समूह में पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए कितने शरणार्थी बसाये गए हैं तथा वहाँ और कितने शरणार्थी जायेंगे;

(ख) उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा शिक्षा का विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विशेषत: समुद्र तटवर्ती तथा नदियों के निकटवर्ती क्षेत्रों से आये हुए शरणार्थियों को भारतीय नौ सेना में भर्ती करने की ओर कोई विशेष ध्यान दिया गया है?

श्रम, तथा रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) और (ख) बस्तियाँ बसाने की पुरानी योजना के अन्तर्गत 1949 और 196·3 के बीच अन्दमान ग्रुप के द्वीपों में पुराने प्रव्रजकों में से 2,861 परिवार बसाये गए थे। 1965–1966 और 1967 के दौरान बसाये जाने के लिये नए प्रव्रजकों में से 500 परिवारों को अन्दमान और नील द्वीप के मध्य में बेतापुर में ले जाया गया है। एक अन्तर्विभागीय दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। दल ने सिफारिश की है कि 75000 की वर्तमान जनसंख्या को दुगना किया जाये और पाँच वर्षों में लगभग 25,000 रोज़गार के नए अवसर पैदा किए जायें। पूर्व पाकिस्तान के प्रव्रजक तथा बर्मा और श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्ति जनसंख्या में इस वृद्धि के मुख्य स्रोत होंगे। प्रस्तावित विकास कृषि, बनीकरण, वन पर आधारित उद्योगों, मत्स्यपालक आदि के क्षेत्रों में होगा। नए प्रव्रजक परिवारों को रिहायशी तथा अन्य सुविधाएँ दी गई हैं।

नए प्रव्रजकों को बसाने के लिये भूमि साफ की जा रही है और इस कार्य के पूरा होते ही उन्हें पुनर्वास सम्बन्धी सहायता दी जायेगी।

जो परिवार द्वीपों में पहले से हैं उनको पर्याप्त शिक्षा सुविधाएँ दी गई हैं और भविष्य के विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति के समय भी यह ध्यान रखा जायेगा कि वहाँ पर बसाने के लिये भेजे गए लोगों को समुचित शिक्षा सुविधाएं दी जायें।

(ग) जी नहीं।

Custodian Properties in Delhi

3886. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the details of the immovable property with area and the value thereof handed over to the Delhi Municipal Corporation by the Custodian Department ;

(b) the dates on which the said property was handed over and the amount of rent due from the tenants to the Custodian Department on those dates ;

(c) the monthly rent of the said property ;

(d) whether the property sold by the Custodian Department to the people are still shown in the name of that Department ;

(e) whether the tax to the tune of lakhs of rupees in respect of the said property is due to the Corporation ;

(f) whether the Corporation is sustaining financial loss as a result thereof ; and

(g) if so, the measures which Government propose to take in this regard ?'

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) :

(a) 1959 acquired evacuee properties situated in slum areas have been transferred to the Delhi Municipal Corporation on payment of compensation under the Slum Areas (Improvement & Clearance) Act, 1956, which works out to Rs. 23.08 lakhs. Of this amount, Rs. 16.97 lakhs has been paid by the Corporation, while the balance of Rs. 6.11 lakhs is still outstanding against the Corporation. The information with regard to the plot area of these properties is not available.

(b) The properties were transferred to the Delhi Municipal Corporation in different lots over a period of 10-11 years since 1956. A sum of Rs. 13.63 lakhs was due to the Custodian as rent from the tenants up to the date of transfer.

(c) Rs. 0.64 lakhs.

(d) The ownership of acquired evacuee properties vests in the Central Government till full price is paid by the purchasers/transferees.

(e) to (g) The Corporation has sent to the Department of Rehabilitation bills in four lots aggregating Rs. 2.59 lakhs during the last 7 months, the last bill having been received on 10.10.1967. Bills amounting to Rs. 23,817.67 have already been scrutinised, and their payment to the Corporation is being arranged. The remaining bills are under scrutiny and the position will be finalised as early as possible. There is no question of any financial loss being sustained in the meantime by the Corporation which, it is to be noted, owes a much higher amount of Rs. 6.11 lakhs to the Government in connection with these transferred properties.

Realisation of Telephone Bills in M. P.

3887. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large amount of arrears of telephone bills is to be realised from the telephone users in Madhya Pradesh ;

(b) whether it is also a fact that the persons who have not paid the telephone bills also include industrialists and big businessmen ; and

(c) the steps proposed to be taken to realise the arrears ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) A sum of Rs. 10.65 lakhs was outstanding on 1.7.67 in respect of bills issued upto 31.3.67 to users in Madhya Pradesh.

(b) Subscribers from different walks of life defaulted in payment.

(c) Steps, such as, issue of notices, disconnection of telephones, personal contact with subscribers, and finally legal action, where necessary, are being taken with a view to enforce recovery.

Exploratory Tube-wells in Madhya Pradesh

3888. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agricultnre** be pleased to state the number of exploratory tube-wells proposed to be bored in Madhya Pradesh during 1967-68 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

The Exploratory Tubewells Organisation under the Union Department of Agriculture has at present no programme of drilling any exploratory or production tubewells in Madhya Pradesh during the year 1967-68.

Foodgrains requirement of M. P.

3889. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the annual requirements of foodgrains for Madhya Pradesh ;

(b) the approximate annual production of foodgrains in Madhya Pradesh in normal conditions.

(c) the quantity of jowar produced in Madhya Pradesh this year and the estimated production in Kharif crop ; and

(d) whether Government propose to give special help to Madhya Pradesh to make it self-sufficient in foodgrains ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Requirements of foodgrains depend upon a number of factors, e.g. population, extent of material prosperity and food habits of the people and the availability of subsidiary and substitute foods. In India , all these factors are constantly changing. In view of this and in the absence of scientific surveys regarding consumption of foodgrains, it is difficult to estimate the requirements even of the country as a hole more so of any individual State.

(b) Approximate annual production of foodgrains in Madhya Pradesh under normal conditions is around 95 lakh tonnes.

(c) Estimates of production of kharif and rabi jowar during the current year (1967-68) for Madhya Pradesh have not become available.

(d) Taking all foodgrains together, Madhya Pradesh is a surplus State in years of normal production. Every effort is, however, being made to help the State Government to increase their foodgrains production further by giving assistance in the form of technical guidance and also loans and grants for the execution of the State Plan Schemes and Centrally Sponsored Schemes of agriculture production.

Seeds Farms and Research Centres in M. P.

3890. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether seed farms and research centres are being set up in every district of Madhya Pradesh with the help of the Centre ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) to (c) The required information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha, as soon as it is received from them.

केन्द्रीय सरकार के विभागों और सरकारी उपक्रमों में नौकरी के मामले में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता

3891. **श्री स० कुण्डू**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के विभागों तथा सरकारी उपक्रमों में अन्य राज्यों की तुलना में उन राज्यों के लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता देने के लिए कोई मार्ग-दर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं जिनमें ये संस्थान और उपक्रम विद्यमान हैं;

(ख) यदि हाँ तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं और उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित किया जाता है

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इन उपक्रमों में अन्य राज्यों के लोगों को रोजगार देने का विरोध किया है;

(घ) यदि हाँ, तो विरोध करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ङ) अन्य लोगों की तुलना में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) और (ख) जी नहीं। सरकारी क्षेत्र के कारखाने या प्रतिरक्षा प्रायोजना के लिए जिन लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है उन्हें, चौथी श्रेणी तथा कुशल कर्मचारियों के लिए रिक्त पदों पर एवं क्लर्कों और अन्य गैरतकनीकी कर्मचारियों के लिए होने वाले रिक्त स्थानों पर जहाँ तुलनात्मक रूप में वेतन की दरें नीची होती हैं सम्बन्धित कारखाने/प्रायोजना में नियुक्ति के लिए तरजीह दी जाती है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के विभागों के आधीन वे रिक्त स्थान जिन पर कार्य करने वाले को रु० 200/- से कम प्रतिमाह मिलता है, जिसे बढ़ा कर 210/- रु० (मूल) प्रति-माह तक किया जा रहा है अथवा भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले सरकारी क्षेत्र के कारखानों के रु० 500/- प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले रिक्त स्थानों की सूचना पहिले स्थानीय नियोजन कार्यालयों को दी जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कृषि श्रमिकों को ऋण

3892. **श्री देवराव पाटिल**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यक्तिगत प्रतिभूति अथवा बनाई जाने वाली बस्तियों पर कृषि श्रमिकों को ऋण देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर

3893. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों के कई श्रम संगठन इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर लगाने का विरोध कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इस मामले पर विचार करने के लिए कोई त्रिपक्षीय बैठक बुलाई जायेगी?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार को यह जानकारी है कि कर्मचारियों के कुछ संगठनों ने इलेक्ट्रानिक संगणक लगाने का विरोध किया है।

(ख) इस संबंध में सरकार की नीति यह रही है कि इलेक्ट्रानिक साधनों की शुरूआत चयनात्मक होनी चाहिये और इलेक्ट्रोनिक संगणक लगाने के सब मामलों में भारतीय श्रम सम्मेलन के 15वें अधिवेशन में निश्चित की गई अभिनवीकरण सम्बन्धी नयी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए तथा इसके परिणामस्वरूप कोई छंटनी नहीं होनी चाहिए।

(ग) जी नहीं, लेकिन इस विषय पर स्थायी श्रम समिति की हाल की दो बैठकों में विचार-विमर्श हुआ था।

फार्मों के श्रमिक और कारखानों के मजदूरों की आय

3894. **श्री लोबो प्रभु**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1966 में कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की वार्षिक आय क्या है और उसकी तुलना में खेतिहर श्रमिकों की आय क्या थी; और

(ख) क्या कारखाने के मज़दूरों को अधिक वेतन मुनाफे से दिया जाता है अथवा मूल्यों से दिया जाता है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) खेतिहर श्रमिकों की आय के सम्बन्ध में तुलनात्मक सूचना तो उपलब्ध नहीं है, परन्तु निर्माण उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ उद्योग समूहों/राज्यों के उन कारखाना श्रमिकों की वार्षिक आय संलग्न विवरण में दी गई है जिनकी 1966 के दौरान मासिक आय 4001 रुपए से कम थी। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1967/67**]।

(ख) आय विभिन्न तथ्यों—जैसे कि मजूरी, काम के घंटे, हुनर, उत्पादिता, परिस्थितियों जिनके अधीन काम किया जाता है निर्वाह-खर्च इत्यादि को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है।

रोजगार के अवसर

3895. **श्री लोबो प्रभु**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रमिकों को रोजगार देने वाले गैर सरकारी उप क्रमों को ऋण और राज सहायता देकर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये प्रोत्साहन देने के हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि रोजगार के अवसर और न्यूनतम मजूरी की व्यवस्था करने सम्बन्धी संविधान के निदेशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित किया जा सके; और

(ख) क्या सरकार ने मजदूरों के लिये नौकरी के नए अवसर पैदा करने के लिये पश्चिमी जर्मनी की कर प्रमाण पत्र योजना पर विचार किया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) निजी क्षेत्र में बड़े और दर्मियानी दर्जे के उद्योगों के लिए भारत का औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम, भारत का औद्योगिक ऋण और विनियोग निगम आदि संस्थाओं द्वारा कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। ग्रामीण और लघु उद्योगों के विकास कार्यक्रमों का एक प्रमुख लक्ष्य काफी बड़ी संख्या में नियोजन अवसर पैदा करना है। इन कार्यक्रमों में अधिकतर वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण तकनीकी सलाह, किराया-खरीद की शर्तों पर उन्नत ढंग के साज-सामान और मशीनें दिलाने की व्यवस्था, आम सेवाओं की सुविधाएं और कारखाने के लिए जगह की व्यवस्था आदि सम्बन्धी योजनाएं शामिल हैं। सहायता की इन योजनाओं में कर्ज और आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था करना भी शामिल है। इन उद्योगों के सरकारी क्षेत्र में विस्तार के लिए अनुमानित विनियोग नीचे लिखे अनुसार किया गया है :—

सरकारी क्षेत्र के अधीन अनुमानित विनियोग

(करोड़ रुपयों में)

पहली योजना	44
दूसरी योजना	191
तीसरी योजना	223

इसके अतिरिक्त निजी साधनों द्वारा जिनमें बैंक भी शामिल हैं, काफी बड़ी रकमें उपलब्ध की जा रही हैं।

मुख्य रूप से विस्थापितों और विदेशों से लौटे भारतीयों को नियुक्त करने वाले कुछ नए औद्योगिक उपक्रमों को वित्त (क्रमांक 2) अधिनियम 1967 के आधीन कर सम्बन्धी कुछ रियायतें भी दी गई हैं। यह व्यवस्था आगणन वर्ष 1968-69 के लिए और उसी वर्ष से लागू होंगी।

(ख) जी नहीं।

कारखानों के मजदूरों को बेरोजगारी सहायता

3896. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कारखानों के मजदूरों को सम्बन्धित कानूनों के अन्तर्गत बेरोजगारी अथवा छंटनी के लिये क्या सहायता दी जाती है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में जबरी छुट्टी और छंटनी की दशा में श्रमिकों को मुआवजा देने की व्यवस्था है। इस अधिनियम के धारा 25 सी के अन्तर्गत जबरी छुट्टी का मुआवजा मूल मजूरी और महंगाई भत्ते की कुल रकम का आधा दिया जाना चाहिये। छंटनी की अवस्था में धारा 25 एफ में एक महीने का लिखित नोटिस या नोटिस के बदले एक महीने की मजूरी और सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के औसत वेतन के हिसाब से मुआवजे की व्यवस्था है ।

Damage of Paddy due to Cyclone in Manipur

3897. **Dr. Surya Prakash Puri:** **Shri Shiv Kumar Shastri:**
Shri Ram Avtar Sharma: **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri M. Meghachandra:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 2 lakh maunds of paddy have been destroyed due to the recent heavy storm and cyclone in Manipur ;

(b) the other losses suffered by the farmers in Manipur ; and

(c) the extent of assistance proposed to be given by the Central Government to the affected farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) Detailed information has been callected for from the Manipur Government and will be placed on the Table of the Sabha as soon as received.

(c) Question of assistance would arise on receipt of a request for the same from the Manipur Administration.

बेरोजगारी

3898. **श्री बाबू राव पटेल**: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) (1) 31 मार्च, 1956, (2) 31 मार्च 1961 (3) 31 मार्च 1966 तथा (4) 31 मार्च, 1967 को देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ;

(ख) तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद इस उत्तरोत्तर वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बेरोजगारी की समस्या के हल होने की क्या सम्भावना है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा रोजगार सम्बन्धी निर्धारित लक्ष्य पूरे किए जा चुके हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) 31 मार्च, 1956 को : 50 लाख
31 मार्च 1961 को : 73 लाख
31 मार्च 1966 को : 93 लाख
स्रोत : योजना आयोग
इसके बाद के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) क्रमागत योजनाओं द्वारा उत्पन्न नियोजन अवसरों की तुलना में श्रम शक्ति की वृद्धि तेज रफ्तार से होती रही है।

(ग) और (घ) क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के आधीन किए जाने वाले धन विनियोग के बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है अतः चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त की नियोजन स्थिति के बारे में अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

Bogus Ration Cards in Delhi

3899. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any steps to detect the bogus ration card-holders besides doing physical verification of the card-holders ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) : Physical verification is the best method of detecting bogus cards. However, in addition to doing physical verification Delhi Administration have taken the following steps to appeal to the civic consciousness of the people and to persuade them to surrender bogus cards voluntarily. Ration card-holders in Delhi have been made aware through Press Notes, Posters and Cinema slides that the use of bogus ration cards is an offence. Boxes for surrender of ration cards while leaving Delhi have been fixed at various railway stations, air-ports, inter-State bus terminal and rationing offices.

Two appeals were also made to the public—one on 25.3.67 and another on 15.9.67 to voluntarily surrender bogus ration cards.

Rice and Sugar Supply to Jammu and Kashmir, U.P. and Bihar

3900. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of rice and sugar supplied to the Jammu and Kashmir State by the Central Government in 1966-67 and the rates at which they were supplied ;

(b) the rates at which rice and sugar were sold by the State Government to the people; and

(c) the quantity of rice and sugar supplied by the Central Government to U. P. and Bihar, separately, during the above period and the rates at which they were supplied ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) During 1966-67 (April, 1966 to March, 1967), Jammu & Kashmir were supplied 60,500 tonnes of rice on Central Government issue prices indicated below :

Coarse rice

1-4-66 to 9-6-66	Rs. 55 per quintal
10-6-66 to 14-12-66	Rs. 58 per quintal
15-12-66 to 31-3-67	Rs. 69.50 per quintal

Medium rice

1-4-66 to 9-6-66	Rs. 71 per quintal
10-6-66 to 11-12-66	Rs. 73 per quintal
12-12-66 to 31-3-67	Rs. 84 per quintal

Jammu & Kashmir were allotted 20,760 tonnes of sugar during 1966-67 at ex-factory prices which varied from time to time within the range of Rs. 129.35 to Rs. 138.80 per quintal. The State Government was to lift the quantities from the factories on payment of controlled ex-factory prices. The quantity actually lifted is not readily available with the Government of India.

(b) The rates at which rice and sugar were sold by the State Government to the people were :—

	Rice (Rs. per quintal)	Sugar (Rs. per Kg.)
Jammu City and Mufassils	43.00	1.52 to 1.55
Kashmir	36.00 in Srinagar City and 43.00 in other tonws.	1.50 to 1.62

(c) During the same period no rice was supplied to U. P. and about 3,100 tonnes of rice was supplied to Bihar at Central Government's normal isue prices which varied from time to time as follows :—

Coarse rice	
1-4-66 to 9-6-66	Rs. 60 per quintal
10-6-66 to 14-12-66	Rs. 63 per quintal
15-12-66 to 31-3-67	Rs. 69.66 per quintal.
Medium rice	
1-4-66 to 9-6-66	Rs. 71 per quintal
10-6-66 to 11-12-66	Rs. 73 per quintal
12-12-66 to 31-3-67	Rs. 84 per quintal

The quantities of sugar allotted to U. P. and Bihar during the same period and the ex-factory prices charged from them are indicated below :—

State	Quantity allotted (in tonnes)	Rate (Rs. per quintal)
U. P.	3,28,880	124.35 to 145.85
Bihar	1,77,098	126.35 to 145.30

The State Goverments were to lift the allotted quotas from the factories on payment of controlled ex-factory prices. The actual quantity lifted is not readily available with the Government of India.

Supply of Fertilizers to States

3901. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 6668 on the 25th July, 1967 and state:

(a) the reasons for supplying alomost the same quantity of fertilizers to Madras State as was allotted to it whereas the quota of U. P. and West Bengal were cut by about 6,000 and 3,000 tons, respectively ; and

(b) the reasons due to which Madras and U. P. were allotted about 48 per cent and 38 per cent, of fertilizers, against the respective quantities asked for by them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde):

(a) The outstanding quantities of 6,000 tonnes and 3,000 tonnes, against the quota for 1965-66 were not cut but were supplied to the State Government of U. P. and West Bengal respectively during the year 1966-67 as the same could not be supplied during the year 1965-66.

(b) The demand from the States is not always made on any specific basis. Allotments are, however, made on the basis of availability. Consideration is also given in making

allotments to the fertiliser consumption in the States in the previous year and the carry over stocks held by the States at the beginning of the year in question. This accounts for the difference in the extent to which the demand from different States is met by allotments from the Central Fertiliser Pool.

Instructors' Training Institute, Kanpur

3902. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of persons, category-wise, working in the Central Instructors' Training Institute, Kanpur ;

(b) the number of posts reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(c) whether all the reserved posts have been filled up with persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(d) if not, the reasons therefor ; and

(e) the steps being taken to fill up the reserved posts with the persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a) Class I 4
Class II 23
Class III 98
Class IV 81

(b) So far as Class I and Class II Gazetted posts are concerned reservation is not made for the individual officers/institutes as such, but for the Department of Labour and Employment as a whole.

As regards Class III and Class IV, the number of posts reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is shown as under :—

Class	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
III	23	7
IV	22	6

(c) No, except for Class IV posts reserved for Scheduled Castes wherein 30 posts have been filled by persons from Scheduled Castes as against 22 posts reserved for them.

(d) Most of the posts, particularly Class III, are technical ones for which requisite number of candidates from Scheduled Castes and Scheduled Tribes possessing the minimum prescribed qualifications are not available.

(e) The vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes were advertised in news-papers and also circulated to the Employment Exchanges. Steps are now being taken to contact the Associations etc. recognised as representative of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Sale Proceeds of Foodgrains Received as Gift

3903. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be plased to state :

(a) the purpose for which the cash sale proceeds of foodgrains received free of cost from foreign countries have so far been utilised ; and

(b) the amount so far spent and the amount outstanding on each account ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde).

(a) and (b) : Foodgrains were allotted for free distribution to the drought-affected States to the extent required and it was not considered necessary to distribute free of charge all the foodgrains which were received as gift. Actually, large quantities of foodgrains were accepted by the Govt. of India as a gift from foreign countries because we did not have the foreign exchange to buy those foodgrains and not because we wanted these large quantities for free distribution.

The sale proceeds of foodgrains received as gift and sold through the public distribution system are being credited to a fund called "Food and other aid for scarcity relief and rural development". A sum of Rs. 13.96 crores was credited to the fund in 1966-67. Some amounts are due for crediting to the Fund in the year 1967-68. But there hasbeen rethinking on the need for continuation of the Fund as its continuation will involve a tremendous amount of work at various stages which would far outweigh the advantages in continuing the Fund. There is therefore, a proposal to credit the balance in the Fund to a head called 'Miscellaneous-Government Account" and to close the Fund. A final decision in the matter has not yet been taken by Government.

Fishing Trawlers

3904. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that big type of fishing trawlers, as are required for catching large quantity of fish from 20 miles ahead, are not available in India ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) : A few fishing vessels capable of trawling in waters upto a depth of about 40 fathoms, which would normally be at a distance of over 20 miles from the coastline, are already available in the country. A design for Shrimp vessels of 57' length capable of trawling up to 40 fathoms has been developed, and arrangements are being made to have these vessles constructed in indigenous boat yards.

वनस्पति उद्योग

3905. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति उद्योग के लिये भारत को संयुक्त राज्य अमरीका से सोयाबीन के तेल और रूस से सूर्यमुखी के तेल पर निर्भर रहना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन देशों से अब तक इन तेलों का कितना आयात किया गया है और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) वनस्पति के निर्माण में स्वदेशी तेलों की कमी को पूरा करने के लिये पिछले कुछ वर्षों में अमरीका से सोयाबीन के तेल की कुछ मात्रा आयात की गई थी और रूस से सूर्यमुखी के तेल की कुछ मात्रा आयात की गई थी।

(ख) गत दो वर्षों में सूखे की वजह से मूंगफली और अन्य खाद्य तेलों की उत्पादन में कमी के कारण ।

(ग) आयातित मात्रा तथा उसका विदेशी मुद्रा में व्यय नीचे दिए गए हैं:—

	सोयबीन तेल		तिलहन का तेल		सूर्यमुखी तेल	
	मात्रा (टन)	राशि@ (लाख रु०)	मात्रा (टन)	राशि (लाख रु०)	मात्रा (टन)	राशि (लाख रु०)
1965–66	48,116	9.53	8,165	शून्य	शून्य	
1966–67	31,275	38.22	शून्य	–	16,000	199.99 %
1967–78 (नवम्बर तक)	64,465	80.97	शून्य	–	शून्य	–

@राशि भाड़े पर किए गए विदेशी मुद्रा के व्यय को बताती है जबकि पी० एल० 480 के अन्तर्गत रुपए में भुगतान नहीं किया जा सकता था।

%= 10,000 टन सूर्यमुखी के तेल का लागत बीमा-भाड़ा मूल्य बताता है। शेष 6,000 टन नि:शुल्क भेंट स्वरूप प्राप्त हुआ था, परन्तु जिसको वनस्पति उद्योग को बेच दिया गया था और वसूल हुई राशि सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सहायता के लिये दिया गया था।

वनस्पति का निर्यात

3906. **श्री शिवचन्द्र झा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वनस्पति का निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है;

(ख) प्रत्येक देश को प्रतिवर्ष कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया जाता है; और

(ग) इससे भारत को प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) और (ख) : वनस्पति के निर्यात पर जुलाई 1964 से प्रतिबन्ध लगा रखा है केवल सीमित मात्रा में ही निर्यात के लिये दी जाती है। 1965 और 1966 में जिन देशों को वनस्पति का निर्यात किया गया उनके नाम तथा प्रत्येक देश को निर्यात की गई मात्रा संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1968/67**)।

(ग) 1965 : 53 लाख रु० (लगभग)
1966 : 30 लाख रु० (लगभग)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में अनुसंधान कार्य

3907. **श्री शिवचन्द्र झा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा क्या अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं;

(ख) इन अनुसंधान कार्यों में अब तक कितनी सफलताएं प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सोयाबीन के बारे में कोई अनुसंधान किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसमें अब तक कितनी सफलता मिली है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् राष्ट्रीय शिखर संगठन है जो समस्त देश

में मुख्य कृषि अनुसंधान परियोजनाओं की उन्नति करती है, उनमें धन लगाता है, उनको चलाती है और उनकी देखभाल करती है। इस संगठन ने फसल तथा भूमि विज्ञान, कृषि, विद्या, कृषि इंजीनियरिंग तथा पशु विज्ञान के विभिन्न विषयों के क्षेत्र में कई तदर्थ अनुसंधान योजनाएं और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनायें चलाई और अब भी चला रही है। फसल विज्ञान सम्बन्धी योजनाओं का उद्देश्य चावल, गेहूँ, मकई, ज्वार, बाजरा, दालें, आलू तथा अन्य जड़ युक्त तथा कन्दमूल फसल, सब्जी, फल, तिलहन, सोयाबीन, कपास, पटसन तथा कुछ अन्य मुख्य फसलों अथवा फसलों के समूह का सुधार करना है। भूमि विज्ञान तथा कृषि विद्या सम्बन्धी परियोजनाओं का उद्देश्य भूमि उर्वरता की समस्याओं, उर्वरक का प्रयोग अणुपोष तत्व, भूमि परीक्षण तथा अधिकतम फसल उत्पादन के लिये जल का प्रबन्ध, और प्रतिवर्ष भूमि के प्रति यूनिट क्षेत्र से अच्छी उपज प्राप्त करने की दृष्टि से विविध फसल की तकनीकियों से सम्बन्धित पद्धतियुक्त अनुसंधानों द्वारा सघन कृषि उत्पादन के लिए नई नीति को दृढ़ करना है। कृषि इंजीनियरिंग में कृषि औजारों तथा मशीनरी सम्बन्धी मूल तथा अनुकूली अनुसंधान कार्य शुरू किए जा रहे हैं। पशु विज्ञान में पशु उत्पादन, पशु प्रजनन, पशु रोग तथा पशु पौष्टिक आहार के क्षेत्र में समन्वित परियोजनायें तैयार की गई हैं जिनमें दुधारू पशु, मुर्गीपालन, सूअर पालन, भेड़ तथा बकरियाँ और पशुओं की अन्य महत्वपूर्ण नस्लों के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य भी शमिल हैं।

(ख) फसल सुधार परियोजनाओं के परिणाम संतोषजनक निकले। ये परियोजनायें पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही छोटे पैमाने पर शुरू की गई थीं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कुछ अधिक उपज देने वाली उर्वरक प्राक्रियात्मक किस्मों का विकास किया गया था जिन्हें सामान्य खेती के लिए दे दिया गया है, ये निम्नलिखित हैं:—

गेहूँ: लर्मा रोजा, सोनोरा 64
शर्बती सोरा, कल्यानसोना,
सोनलिया, सफेद लर्मा, एस 331

चावल: ताईचुंग नेटिव। ताईचुंग 65.
ताइन, न 3 आई आर–8, ए डी टी 27

ज्वार: सी एस एच 1 तथा सी एए एच 2

बाजरा: एच बी 1 तथा एच० बी० 2

मकई हाइब्रिड हिमालये 123, गंगा 101, गंगा 3, गंगा 1, गंगा सफेद 2 डकन रणजीत तथा ई स्टार्च तथा 'कम्पोजिटस' अम्बर, जवाहर, सोना, विजय, विक्रम तथा किसान।

आलू: कुफरी सिंधूरी, कुफरी चन्द्रमुखी

हाल ही में विकसित किस्मों के मामले में भूमि उर्वरता तथा उर्वरक प्रयोग सम्बन्धी अनुसंधान कार्यों के प्रति यूनिट पोषक के हिसाब से अधिक अनुक्रिया दिखाई देती है। उत्पादन के लिए आवश्यक उर्वरकों की अनुकूलतम खुराक तैयार कर ली गई है। यह भी पाया गया है कि डवार्फ गेहूँ के हेतु प्रथम सिंचाई का सबसे अच्छा समय उच्चतम जड़ निर्माण की अवस्था होती है। अणुपोष तत्व सम्बन्धी अनुसंधान से कई भूमियों में यशद की कमी के फैलने का पता चलता है।

जहाँ तक पशु विज्ञान का सम्बन्ध है पशुधन को रोगों से बचाने के लिए नए टीकों का विकास किया गया है। अधिक स्तर पर उत्पादन वाले संकर प्रजनित पशु तथा भेड़ों का विकास

किया गया है। पशु पौष्टिक आहार तथा डेरी तकनीकी के क्षेत्र में भी बहुमूल्य परिणाम निकले हैं। पशु विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधानों से प्राप्त किए गए अनुसंधानों के अन्य परिणाम संलग्न सूची में दिए गए हैं।

(ग) जी हाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने पहली अप्रैल, 1967 से सोयाबीन सम्बन्धी एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना चालू की । इस परियोजना के अन्तर्गत दिल्ली अमरावती (महाराष्ट्र) कतरे (कुलू घाटी) तथा कोयमबेटोर में चार मुख्य केन्द्र है। पंतनगर और जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालयों में दो विशेष उप-केन्द्र हैं। मझेरा (उत्तर प्रदेश), पूना (महाराष्ट्र) और कल्याणी (पश्चिम बंगाल) में तीन उप-केन्द्र हैं।

(घ) विश्व से एकत्र की गयी सोयाबीन की किस्मों का हिमालय तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के कई स्थानों में, उत्तरी नदियों के मैदानी क्षेत्रों में और दक्खन में भी परीक्षण किया गया है।

अब तक के उपलब्ध परिणामों से संकेत मिलता है कि लगभग समस्त देश में सोयाबीन की अच्छी फसल उगाना सम्भव है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त सिद्ध होने वाली उपयुक्त किस्में अब उपलब्ध हैं। किस्मों का अन्तिम चयन किया जा रहा है। पौधों के अन्तर करने, खाद देने, मिश्रित फसल उगाने और जीवाणु सम्बन्धी टीका लगाने सम्बन्धी कृषि शास्त्र से सम्बन्धित पद्धतियों को अनुकूलतम निश्चित करने के लिये कार्य भी शुरू कर किया गया है।

पशु विज्ञान पर अनुसन्धानों का परिणाम

1. विकसित किए गए नए टीके :—
   (क) टिसू कल्चर हिन्डरपैस्ट वीरस वैसाइन
   (ख) भेड़ तथा बकरी के नमुनिया निरोध मिश्रित टीका।
   (ग) मुर्गीपालन में गोल कीड़ों से छुटकारा पाने की तकनीकी।
2. अधिक उत्पादित प्रजनित पशुओं का विकास
   (क) सिन्धी/साहीवाल गाय एक्स ब्राउन स्विस
   (ख) नान-डिस्क्रप्ट गाय एक्स जरसी
   (ग) मैदानी तथा पहाड़ियों के लिए देशी एक्स राम्बाउलिट बकरा
3. भैंस के दूध के पनीर शीघ्र नीरोग करने के लिए प्रक्रिया
4. भैंस के दूध को मीठा करने की प्रक्रिया
5. मैनफैक्चर आफ बैक्टेरियल रेनेटास सब्सटीट्यूट फार काफ स्टामैच रैनट
6. घी की भण्डारण अवधि को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया
7. निरन्तर खोया के निर्माण के लिए एक पाइलट प्लान का विकास
8. ऊन से वर्र को हटाने के लिए उन्नत तकनीकी
9. पशुधन-चारे के समान बेकार सामग्रियों का विकास

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में अनन्नास बागानों की भूमि

3908. **श्री गणेश**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में कितनी एकड़ भूमि में सरकारी अनन्नास बागान हैं;

(ख) उन बागानों में 1964 से 1967 तक वर्षवार कुल कितना उत्पादन हुआ:

(ग) अनन्नास का औसत बाजार मूल्य क्या है; और

(घ) उक्त अवधि में सरकारी अनन्नास बागानों के उत्पादन की बिक्री से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) से (घ): अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के साथ भेदभाव के प्रतिषेध के लिए विधान

3909. **श्री प्र० रं० ठाकुर**: क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के साथ सभी प्रकार के भेदभाव के प्रतिषेध के लिए विधान बनाने का सरकार का विचार है जिसमें शिकायतें सम्बन्धी प्रक्रिया सार्वजनिक सुनवाई, आदेश जारी करने तथा न्यायालयों के माध्यम से प्रवर्तन शक्तियों तथा उनका पालन न करने के लिए दंड सम्बन्धी उपबन्ध शामिल हों; और

(ख) यदि हाँ तो क्या प्रस्थापित विधान के उपबन्ध श्रमिक संघों तथा व्यापारिक और व्यावसायिक संस्थाओं तथा नियोजकों पर लागू होंगे ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शिमला में बीज के आलू का मूल्य

3911. **श्री कृष्णन**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिमला में बेचे जाने वाले बीज के आलू का मूल्य निर्धारित किया गया है और यदि हाँ तो क्या मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि शिमला में सहकारी अधिकारियों द्वारा भी बीज के आलू निर्धारित मूल्य पर नहीं बेचे जा रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी हाँ। आलू के बीज के निर्धारित मूल्य निम्नलिखित थे :

75 किलो ग्राम (निवल) के लिए आधार मूल्य (प्रति बोरी)

अवधि	ए 1 श्रेणी	ए 2 श्रेणी
	रुपए	रुपए
1. 15 नवम्बर तक	90.00	75.00
2. 16 से 30 नवम्बर	92.50	77.50
3. 1 से 15 दिसम्बर	95.00	80.00
4. 15 दिसम्बर के पश्चात्	100.00	85.00

(ख) जी हाँ।

(ग) बीज के आलुओं की निर्धारित मूल्य पर सप्लाई के लिए एक अनिवार्य शर्त यह थी कि प्राईवेट तथा सहकारी संगठनों की ओर से कैलाश कोआप्रेटिव मार्केटिंग एण्ड सप्लाई फैडरेशन, शिमला के पास इन्डेंट तथा 50 प्रतिशत अग्रिम धन 25 सितम्बर 1967 तक पहुँच जाने चाहिये थे ताकि फैडरेशन उत्पादकों के साथ बीज के आलुओं की सप्लाई के बारे में (और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अग्रिम अदायगी करके) करार तय कर सके। बीज के आलुओं की माँग बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण मूल्य बढ़ गए हैं क्योंकि फैडरेशन द्वारा उत्पादकों को बाजार के भाव पर अदायगी करनी है, फैडरेशन द्वारा पुरानी दरों पर बीज के आलुओं की सप्लाई करना सम्भव नहीं है।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित कारणों की मौजूदगी में, इस विषय में कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव नहीं है।

Supply of Fertilizer and Seeds to States

3912. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of fertilizers and seeds ensuring better yield provided by the Central Government to the Governments of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Himachal Pradesh, West Bengal, Punjab and Madras during the last three years ;

(b) the profits made by Govrnment out of it ;and

(c) the estimated quantity of seeds and number of agricultural implements to be supplied by Government to the above States during 1967-68 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha, when received.

Seizure of Copper and Telephone Wires

3913. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleaesd to state :

(a) the places where copper and telephone wires were seized during the last two years and the quantity thereof ; and

(b) the details in respect of persons arrested in this connection, the number of persons prosecuted and the number of persons convicted State-wise ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral).

(a) and (b) A statement indicating the weight of copper wire recovered, number of persons arrested, prosecuted and convicted during the last two years is placed on the Table of the Sabha. **(Placed in Library. See No. LT-1969/67.**

Super Bazars

3914. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the estimated sale of the Super Bazars in the country during 1966 and the details in respect of each Super Bazar ; and

(b) the number of new Super Bazars proposed to be opened upto the end of 1968?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) (a) 38 department stores were set up during the Cooperative Year 1966-67. A statement showing their total sales during 1966-67 is at annexure. **[Placed in Library. See No. LT-1970/67].**

(b) About 40.

केरल सरकार की मछुवा नावों के लिए प्रार्थना

3915. **श्री नायनार:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केरल के मत्स्य संसाधनों का पता लगाने के लिये 10 मछुआ नावें प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता माँगी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) और (ख): देश में ट्रालरों के निर्माण के सम्बन्ध में केरल सरकार ने 6 ट्रालरों के लिए माँग भेजी है और केन्द्रीय सरकार इनके संभरण के लिए व्यवस्था कर रही है। 4 अन्य ट्रालरों के आयात के एक प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात

3916. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया:** **श्री म० ला० सोंधी:**
श्री दी० चं० शर्मा:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत भारत को मिलने वाले अनाज में से बकाया लगभग 5 लाख टन अनाज इस वर्ष नहीं मिलेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में विद्यमान क्षेत्रीय प्रणाली पर संयुक्तराज्य अमरीका ने सख्त आपत्ति की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) अब तक किए गए पी० एल० 480 करारों के अन्तर्गत आने वाली खाद्यान्न की मात्रा में से 1 दिसम्बर, 1967 को लगभग 9,74,000 टन खाद्यान्न भारत पहुँचना बाकी था। इसमें से लगभग 5,50,000 टन के दिसम्बर, 1967 तक और शेष के जनवरी, 1968 तक पहुँचने की आशा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनाज का रक्षित भण्डार

3917. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया:** **श्री म० ला० सोंधी:**
श्री श्रद्धाकर सूपकार: **श्री दी० चं० शर्मा:**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष अच्छी फसल की सम्भावना को देखते हुए भारत को समूची खाद्य स्थिति पर पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत अनाज की सप्लाई बन्द हो जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ख) अनाज का पर्याप्त रक्षित भण्डार बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाया है ; और

(ग) इस कार्य हेतु चालू वर्ष में कितने अनाज का आयात किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) पी० एल० 4)0 के अन्तर्गत पूर्ति के बन्द होने की कोई संभावना नहीं है।

(ख) यदि पी० एल० 480 के अन्तर्गत विदेशों से अनाज का आयात और वाणिज्यिक खरीद प्रत्याशित दर पर पहुँच जाये तो 1968 के अन्त में 30 लाख टन का रक्षित भण्डार बनाने का विचार है।

(ग) अब तक किए गए प्रबन्धों के अनुसार 1967 के दौरान लगभग 13 लाख टन अनाज आयात किया जायेगा, जिसका एक भाग 1968 में भारत में प्राप्त होगा। रक्षित भण्डार बनाने के लिए इसका अधिक उपयोग नहीं हो सकेगा।

राज्यों में अनाज की उगाही की व्यवस्था

3918. **श्री रा० कृ० अमीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू फसल के दौरान धान की वसूली के लिये प्रत्येक राज्य में लागू की गई उगाही की व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) उगाही के द्वारा राज्यवार कुल उत्पादन का कितना भाग लेने का सरकार का विचार है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में पृथक-पृथक व्यवस्था लागू करने तथा प्रति एकड़ अनुमानित फसल की पृथक-पृथक अनुपात में उगाही करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी** 1971/67]

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ग) 1967–68 की खरीफ फसल के खाद्यान्न के समाहार के लिये विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्या तरीका अपनाया जायेगा उसपर सितम्बर, 1967 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा हुई थी। यह निर्णय किया गया था कि स्थानीय दशाओं और कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाये गए समाहार लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए समाहार का तरीका राज्य सरकार पर ही छोड़ दिया जाये ।

गुजरात में गुड़ के मूल्य

3919. **श्री रा० अमीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात को गुड़ का निर्यात बन्द करने की महाराष्ट्र सरकार की नीति के कारण गुजरात में गुड़ के मूल्य बहुत बढ़ गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंमी (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :(क) और (ख) : गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से

कुछ माल आ जाने के परिणामस्वरूप गुड़ के भाव जो 400 रुपए प्रति क्विंटल तक चले गए थे, वे अब 230/250 रुपए प्रति क्विन्टल तक आ गए हैं।

Unauthorised Telephone Connections in Hathras City

3920. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Vigilance Department has on a raid, conducted by them recently discovered some unauthorised telephone connections in Hathras city ; and

(b) if so, the action taken against departmental and non-departmental employees ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) On receipt of a complaint about certain malpractices in the matter of provision of telephone in Hathras, investigation was made by the Vigilance Organisation of the P & T Department. As a result of investigations, some irregularities have come to notice.

(b) Suitable departmental action is being taken against the delinquent officials of the Department.

अन्दमान द्वीपसमूह में धान की बिना बोई हुई भूमि

3921. **श्री रा० कृ० सिंह**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण, मध्य और उत्तर अन्दमान द्वीपसमूह में अलग-अलग ऐसी भूमि कितने एकड़ है जो धान के लिए उपयुक्त है परन्तु जिसमें खेती नहीं होती है;

(ख) इसमें से ऐसी भूमि कितनी है जिसमें पिछले पाँच और तीन वर्ष से खेती नहीं की जा रही है;

(ग) ऐसी भूमि में खेती न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या उपचारी कार्यवाही करने का है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) से (घ) जानकारी अन्डेमान तथा निकोबार द्वीप के प्रशासन से इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभापटल पर रख दी जाएगी।

जटनी (उड़ीसा) में डाक तथा तार कार्यालय के लिये भवन

3922. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुरी डिवीजन में जटनी में डाक तथा तार कार्यालय पिछले तीन वर्षों से किराये के मकान में काम कर रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसके लिए अपने भवन के निर्माण के लिए भूमि कुछ वर्ष पहले अर्जित की गई थी; और

(ग) इस डाक तथा तार कार्यालय को उसके अपने भवन में ले जाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संसद् कार्य तथा संचर विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ। 1958 से ही भूमि डाक-तार विभाग के पास है।

(ग) डाक-तार विभाग के कार्यालय का निर्माण करने के लिये 1,19,000 रुपए की स्वीकृति दी गई थी। पाँच बार टेन्डर माँगे गए थे परन्तु उनकी दरें बहुत ऊँची थीं। अब इस कार्य को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पन्न कराने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

जटनी (उड़ीसा) में डाक तथा तार घर के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

3923. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जटनी में डाक तथा तार घर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

जटनी के विभागीय क्षेत्र में कर्मचारियों के लिये 7 यूनिट क्वार्टरों के निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

आसाम में चावल की कमी

3924. **श्री वि० ना० शास्त्री**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत सितम्बर और अक्तूबर में आसाम में चावल की कमी, इस कारण से हुई थी कि वसूली मूल्य कम थे तथा भारत के खाद्य निगम ने इसका उचित प्रबन्ध नहीं किया था; और

(ख) क्या यह सच है कि धान और चावल के वसूली मूल्य इस प्रकार नियत किए गए थे कि जिससे भारत के खाद्य निगम को अधिक मुनाफा हो?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

आसाम के लिये टेलीफोन सलाहकार समिति

3925. **श्री वि० ना० शास्त्री**: क्या **सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आसाम सर्किल के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन कब किया गया था;

(ख) इस समिति की कालावधि कब समाप्त होगी; और

(ग) इस समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के नाम क्या हैं?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) आसाम सर्किल में शिलाँग तथा गोहाटी में टेलीफोन सलाहकार समितियाँ कार्य कर रही हैं। इन समितियों का इस महीने पुनर्गठन किया गया है।

(ख) इन समितियों की कालावधि 30.11.67 को समाप्त हो जायेगी।

(ग) इन समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों के नाम नीचे दिए गए हैं:—

शिलांग

नाम	प्रतिनिधि
1. श्री जी० जो० स्वैल	संसद् सदस्य
2. श्री रामकुमार चौधरी	व्यापार और वाणिज्य
3. डा० एस० सी० देव	चिकित्सा व्यवसाय

4. श्री मोहन सिंह	प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता
5. दुर्गेश्वर सेकिया, सदस्य विधान सभा	राज्य विधान सभा
6. श्री रंजीत नाग	प्रेस
7. श्री परमानन्द चेतिया	प्रतिनिधित्वहीन

गोहाटी

1. श्री धीरेश्वर कलिता	संसद् सदस्य
2. श्री एम० एम० ओबराय	व्यापार और वाणिज्य
3. श्री पी० एन० चौधरी	राज्य विधान सभा सदस्य
4. श्री बेहरुल इस्लाम	प्रतिनिधित्वहीन

पटसन की खेती

3926. **श्री वि० ना० शास्त्री**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले कृषि कैलेन्डर के वर्ष के अन्त में आसाम में कुल कितने क्षेत्र में पटसन की खेती हुई थी;

(ख) उसी अवधि में पटसन का कुल उत्पादन कितना हुआ;

(ग) क्या यह आशंका है कि पटसन के मूल्यों के अलाभप्रद होने के कारण अगले वर्ष पटसन की पैदावार कम हो जायेगी?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) और (ख) 1966–67 तथा 1967–68 के लिए आसाम में जूट के क्षेत्र तथा उसके उत्पादन के विषय में अनुमान इस प्रकार हैं:—

वर्ष	क्षेत्र (हैक्टेअर हजारों में)	उत्पादन गाठें हजारों में प्रत्येक गांठ 180 किलोग्राम की
1966–67	136	991
1967–68	146	1049

(ग) उत्पादकों को जूट उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चालू मौसम में जूट का न्यूनतम सहाय्य मूल्य 107.14 रुपए प्रति क्विन्टल तक बढ़ा दिया गया है जबकि पिछले मौसम में यह मूल्य 93.75 रुपए प्रति क्विन्टल था। इस ऊँचे स्तर पर जूट के मूल्यों को सहायता प्रदान करने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं।

पूर्णकटक (उड़ीसा) में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और तारघर

3927. **श्री अ० दीपा**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि लगभग 20,000 की जनसंख्या वाले पूर्णकटक (उड़ीसा) में कोई सार्वजनिक टेलीफोन तथा तारघर नहीं है;

(ख) क्या वहाँ पर ये केन्द्र खोलने के लिए सरकार से कोई अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हाँ तो वहाँ पर ये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और तारघर खोलने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) पुराना कटक के बीच तार-फोन सुविधा उपलब्ध है परन्तु वहाँ कोई सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय नहीं है।

(ख) जी हाँ।

(ग) तार-फोन प्रणाली को मॉर्स प्रणाली में परिवर्तित करने के सब प्रबन्ध पूरे हो चुके हैं। पुराना कटक पर एक संकेतक लगाने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। संकेतक के लगाने के बाद ही मॉर्स तार प्रणाली का कार्य आरम्भ किया जायेगा। पुराने कटक में एक सार्वजनिक कार्यालय स्थापित किए जाने की मंजूरी दी जा चुकी है।

समुद्री मछली का उत्पादन

3928. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया:** **श्री य० अ० प्रसाद:**
श्री न० कु० सांघी: **श्री रा० रा० सिंह देव:**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी हाँ।

(ख) भारत में समुद्री मछली की उत्पादन बढ़ाने के लिए बनाई गई मुख्य योजनायें निम्नलिखित हैं:—

(1) मछली पकड़ने वाले नावों का यंत्रीकरण
(2) मछली पालन के लिए आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई
(3) तट से दूर मछलियों की खोज के लिए बड़े मछुआ-नावों का प्रयोग
(4) गहरे समुद्र में समन्वेषी यूनिटों की स्थापना, और
(5) उतारने तथा रखने सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान अस्थायी रूप से यह प्रस्ताव किया गया है कि वर्तमान 5000 नावों के अतिरिक्त 8000 छोटी यंत्रीकृत नावों को चलाया जाए जिनपर अनुमानतः 38.40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस राशि में संकलनात्मक मछली पकड़ने वाली रस्सी, सन की रस्सी, मनीला रस्से पोतपट, नावों, नौकायन सहायता, मछली ढूंढ़ने वाले उपकरण, नमक आदि जैसे मछली पालन के लिए आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सम्बन्धी योजनाओं का खर्च भी शामिल है।

तट से दूर मछली पकड़ने वाले स्थानों की खोज के लिये 200 मध्यम तथा बड़ी नावों को चलाने का प्रस्ताव है और उनके लिए चालू योजना में 13.65 करोड़ रुपए की अस्थायी व्यवस्था की गई है।

गहरे समुद्र क्षेत्र में शिंग भूमिओं की स्थिति तथा सीमा के सम्बन्ध में बहुत थोड़ी जानकारी उपलब्ध है। वाणिज्य के सम्बन्ध में मछली पकड़ने का काम शुरू करने से पहले इन क्षेत्रों को ठीक

तरह से ढूंढ़ना होगा और उनका सामुद्रिक मानचित्र तैयार करना होगा। इस कार्य के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का केन्द्र स्थापित किया गया है और इस केन्द्र ने तथा इसके उप-केन्द्रों ने पहले ही समुद्री तट में और समुद्री तट से दूर 40 फैदम लाइन तक विस्तृत सर्वेक्षण किया हुआ है। इस सर्वेक्षण को अब दूर गहरे पानी के क्षेत्रों में बढ़ाया जाना है जिसके लिए अधिक बड़ी नावों की आवश्यकता होगी और चौथी पंचवर्षीय योजना में 6.35 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

यंत्रीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत निकट रूप से सम्बन्धित समस्या लघु बन्दरगाहों का विकास तथा बड़े बन्दरगाहों पर उतारने तथा ठहराने सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करना है। लगभग 30 लघु मछली पकड़ने वाले स्थान विकसित किए जायेंगे। मुख्य बन्दरगाहों में मछली पकड़ने के स्थानों की स्थिति के लिये सर्वेक्षण रिपोर्ट पहले ही तैयार कर ली गई है। इस योजना के लिए 17 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

राजस्थान में भेड़ पालने के केन्द्र

3929. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया:** **श्री न० कु० सांघी:**

श्री रा० रा० सिंह देव:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तीसरी योजना के आरम्भ में राजस्थान में भेड़ पालने के कुछ केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी थी;

(ख) यदि हाँ तो ऐसे कितने केन्द्रों की मंजूरी दी गई थी;

(ग) उनमें से अब तक कितने केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं; और

(घ) शेष केन्द्रों की स्थापना के बारे में कितनी प्रगति हुई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) (क) से (घ) राजस्थान सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्रम ब्यूरो, शिमला

3930. **श्री चित्ति बाबू**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने श्रम ब्यूरो शिमला को फरीदाबाद अथवा दिल्ली के आस पास किसी अन्य स्थान पर बदलने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस निर्णय को कार्यान्वित करने के क्या कारण हैं?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रम ब्यूरो, शिमला

3931. **श्री चित्ति बाबू** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रम ब्यूरो शिमला के जिन अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश के शिमला अथवा शिमला के उपनगरों में अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर फलों के बगीचे बना रहे हैं उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन अधिकारियों ने ऐसे फलों के बगीचे बनाने से पूर्व सरकार से अनुमति ली थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जायगी।

बर्न एण्ड कम्पनी हावड़ा में तालाबन्दी

3932. **श्री देवेन सेन:** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड हावड़ा के प्रबन्धकों ने हावड़ा स्थित अपने कारखाने में 22 सितम्बर, 1967 से तालाबन्दी की घोषणा की थी जिसके परिणामस्वरूप दस हजार कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विवाद को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) से (ग) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार तीन पारियों के लगभग 10,000 श्रमिकों द्वारा 21 सितम्बर को 18 प्रतिशत पूजा बोनस की तत्काल अदायगी की माँग को लेकर कलम रोको और काम-रोको हड़ताल किए जाने के बाद प्रबन्धकों ने 22 सितम्बर से तालाबन्दी घोषित कर दी। राज्य सरकार समझौता कराने की कोशिश कर रही है।

मनीपुर में अनाज का समाहार

3934. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 में मनीपुर में अनाजों का कितना समाहार किया जायेगा; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अनाज की कमी को पूरा करने के लिये मनीपुर को 1965–66 और 1966–67 में कुल कितना अनाज दिया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) मनीपुर प्रशासन का वर्तमान फसल से 16,000 टन अनाज का समाहार किए जाने का प्रस्ताव है। उस क्षेत्र में और अनाज समाहार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) 1965–66 और 1966–67 के बीच मनीपुर को केन्द्रीय सरकार के स्टाक से निम्नलिखित मात्रा में अनाज प्राप्त हुआ :—

आँकड़े टनों में

वर्ष	चावल	गेहूँ	कुल
1965–66	6.7	0.8	7.5
1966–67	5.5	4.4	9.9

कृषि संस्थाओं को वित्तीय सहायता

3935. **श्री राज देव सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि सम्बन्धी अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् देश में कृषि शिक्षा सस्थाओं को वित्तीय सहायता देती है ; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्य को चालू वर्ष में कितनी-कितनी राशि दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) चालू वर्ष के दौरान राजस्थान में उदयपुर विश्वविद्यालय को 1,29,488.00 रुपए का अनुदान पहले ही दे दिया गया है। अन्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यलयों को धन देने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है।

अनाज का आयात

3936. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने वर्ष 1967 में पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत अमरीका से कुल कितने अनाज का आयात किया है; और

(ख) पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत कितने अनाज का आयात अभी किया जाना शेष है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) नवम्बर, 1967 के अन्त तक 50.3 लाख टन।

(ख) लगभग 10 लाख टन।

डीजल चालित ट्रैक्टरों का आयात

3937. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल-चालित टक्टरों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो किन देशों में से तथा 1966 और 1967 में कितने ट्रैक्टरों का आयात किया जायगा; और

(ग) उनको आयात करने पर कितनी लागत आती है और देश में उनका विक्रय-मूल्य क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) 1967 की अवधि में रूस से 4000 डीटी-14 बी ट्रैक्टरों और चेकोस्लोवेकिया से 2000 जैटर-2011 ट्रैक्टरों के आयात के लिए पहले ही प्रबन्ध कर लिये गए हैं। 2000 जैटर-2011 ट्रैक्टरों में से 1000 ट्रैक्टर पूरी तैयार स्थिति में तथा 1000 ट्रैक्टर सीकेडी पैक में होंगे जिन्हें भारत में जोड़ा जायेगा। 1968 में ट्रैक्टरों के आयात के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) एक रूसी डीटी–14 वी ट्रैक्टर का सीआईएफ मूल्य 5513 रुपए है। एक तैयार शुदा जैटर –2011ट्रैक्टर का सीआईएफ मूल्य 9,373 रुपए है जबकि सीकेडी पैक के एक ट्रैक्टर का सीआईएफ मूल्य 9017 रुपए है।

रूसी डीटी–14 वी ट्रैक्टर का बन्दरगाह पर एक्स-डिपो विक्रय-मूल्य 6931 रुपए है तैयार शुदा जैक ट्रैक्टरों को स्टेट इण्डो-इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन द्वारा सीआईएफ मूल्य पर 15 प्रतिशत (लगभग) लाभ तथा अन्य वास्तविक प्रासंगिक व्यय को जोड़कर बेचा जायेगा।

मछली पकड़ने के उद्योग संबंधी बोर्ड

3938. **सर्वश्री मंगलाथूमाडोम:** **श्री विश्वम्भरम:**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पकड़ने के उद्योग, उसके सहायक उद्योगों का विकास करने तथा तत्सम्बन्धी प्रचार, क्रय-विक्रय और अनुसंधान कार्य बढ़ाने के लिये, चाय, नारियल, जटा, और रबड़ आदि बोर्डों के समान एक स्वायत्तशासी बोर्ड जिसका मुख्यालय केरल में हो स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पशुधन विकास के सम्बन्ध में अनुसंधान

3939. **डा० रानेन सेन:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसधान परिषद् ने पशुधन के विकास के सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिए 21 अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) उनकी अनुमानित लागत कितनी है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी हाँ।

(ख) समन्वित परियोजनाओं का उद्देश्य यह है कि विभिन्न संस्थाओं और कृषि विश्वविद्यालयों में समन्वित परियोजनाओं की एककों को सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों की देखरेख में रख कर पशु विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर अखिल भारतीय महत्व के परीक्षण शुरू करना है, जिससे कि परीक्षणों से प्राप्त होने वाले अनुभवों से लाभ उठाकर पशुधन तथा पशु उत्पादों में वृद्धि की जा सके।

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 160 लाख रुपए है।

सहकारी क्षेत्र के माध्यम से सिंचाई सुविधायें

3940. **श्री नोतिराज सिंह चौधरी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी क्षेत्र के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं के लिए राज्यों को इस वर्ष कोई राशि दी गई ; और

(ख) यदि हाँ तो राज्य-वार कितनी राशि दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ । सहकारी भूमि विकास/मौर्टगेज बैंक (बन्धक बैंक) कुआँ खोदने पुराने कुओं की मरम्मत करने तेल के इंजनों बिजली पम्पों आदि की खरीद तथा उन्हें लगाने, भूमि को समतल तथा उत्तलन करने के लिये किसानों को दीर्घ-कालीन ऋण देते हैं। तीसरी योजना के अन्त तक ये बैंक मुख्यतया उस सहायता पर निर्भर करते थे जो उन्हें जीवन बीमा निगम स्टेट बैंक आफ इंडिया और रिजर्व बैंक आफ इंडिया जैसी सरकारी क्षेत्रक संस्थाओं द्वारा उनके ऋण पत्रों को दी जाती थी। भूमि विकास मौर्टगेज बैंकों द्वारा ऋण अग्रिमों के कार्यक्रम में वृद्धि के कारण और उपरोक्त लिखित पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज के जो अन्य संस्थाओं से ली जा रही हैं धन की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए भारत सरकार ने कृषि उत्पादन की बढ़ती हुई गति को बनाए रखने के लिए मुख्यतया सिंचाई हेतु राज्य सरकारों के द्वारा इन बैंकों के ऋण पत्रों को अंशदान देने का निर्णय किया।

(ख) सन् 1967–68 के दौरान ऋण-पत्र का क्रय के लिए कुल 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जितनी राशि चालू वित्तीय वर्ष के लिए नियत की गई और जितनी राशि 7–12–1967 तक दी गई वह निम्नलिखित है :—

(रुपए लाखों में)

क्रम-संख्या	राज्य	1967–68 के लिये अस्थाई नियतन	7–12–67 तक स्वीकृत राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	166	82.860
2.	महाराष्ट्र	333	118.285
3.	गुजरात	217	158.650
4.	मद्रास	97	41.875
5.	हरियाणा	14	13.995
6.	केरल	16	3.050
7.	मध्य प्रदेश	96	18.400
8.	मैसूर	155	54.770
9.	पंजाब	32	25.580
10.	उत्तर प्रदेश	221	101.000
11.	बिहार	86	2.000
12.	जम्मू और काश्मीर	5	1.600
13.	उड़ीसा	20	—
14.	राजस्थान	18	12.000
15.	पश्चिम बंगाल	16	—
16.	हिमाचल प्रदेश	6	—
17.	पान्डेचेरी	2	—
	कुल	1500	634.065

उड़ीसा में सूखे की स्थिति

3941. **श्री अ० दीपा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से उस राज्य में लगातार सूखा पड़ने के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने यह सूचित किया है कि राज्य के बड़े भाग में सितम्बर के अन्त में सूखा पड़ने और अक्टूबर में पर्याप्त वर्षा न होने के परिणामस्वरूप खरीफ की फसल और विशेषकर अनाज की माध्यमिक फसल पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। धान की आगे होने वाली फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। खड़ी फसल को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कम से कम आंशिक रूप से नालों के आर पार छोटे बाँधों तथा अन्य तटकों का निर्माण किया जा रहा है ताकि प्रभावित क्षेत्रों को कृषि के लिये पानी की व्यवस्था की जा सके। किसानों को किराया खरीद अदायगी प्रणाली के आधार पर पम्प देने की व्यवस्था की गई है।

गत वर्ष पड़े सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार ने कुछ राहत की व्यवस्था की है और इसको 1.10.1967 तक समाप्त किए जाने का विचार था। अब इस कार्य को 30.11.67 तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है। गत वर्ष पड़े सूखे के परिणामस्वरूप जो पक्के कुएं निर्माणाधीन थे, उन्हें 31.3.1968 तक पूरा कर दिया जायेगा। ऐसा न केवल बाकी कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है बल्कि सूखे और पीड़ित क्षेत्रों के व्यक्तियों को सहायता देने के उद्देश्य से भी।

राज्य सरकार ने स्थानीय पदाधिकारियों से कहा है कि वे धान की खेती और उपज को हुई हानि का सर्वेक्षण कर इसका अनुमान लगाये। इस सर्वेक्षण की जनवरी 1968 के मध्य तक पूरा होने की संभावना है।

Monopoly Procurement Scheme

3942. **Shri Baswant :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of paddy, wheat and bajra procured, State-wise, from the 1st October, 1966 to 31st October, 1967 under the monopoly procurement scheme ; and

(b) the quantity of foodgrains likely to be procured under this scheme from the 1st October, 1967 to the 30th September, 1968 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

चुकंदर की खेती सम्बन्धी समिति

3943. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चुकन्दर की खेती की सम्भावनाओं पर व्यापक रूप से पुनर्विचार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने कोई समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा कब तक अपना प्रेतिवेदन प्रस्तुतकर दिए जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी हाँ।

(ख) चुकन्दर की खेती विषयक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की समिति का गठन

1– डा० ए० वी० जोशी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के उप-महानिदेशक (सी० एस०) अध्यक्ष

2– डा० जे० एस० कन्वर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के उप-महानिदेशक (एस)

3– डा० आर० एल० पालीवाल, निदेशक, प्रयोगात्मक केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय पन्त नगर।

4– श्री आर० आर० पाजे, निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ।

5–श्री एस० सी० गुप्ता, निदेशक, राष्ट्रीय गन्ना संस्थान कानपुर।

6– डा० के० कानूनगो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के कृषि अर्थव्यवस्था प्रभाग के प्रमुख।

समिति के निर्देश नियम:

(1) भारत में चुकन्दर की खेती के विषय में किए हुए हाल ही के कार्य का पुनर्विलोकन करना तथा देश में फसल की खेती के कृषि संबंधी तकनीकी तथा अर्थव्यवस्था संबंधी पहलुओं का मूल्यांकन करना।

(2) चुकन्दर की विभिन्न किस्मों के क्षेत्रीय प्रयोगों, प्रजनन, सस्य-विज्ञान, कीट तथा महामारी और प्रक्रिया की तकनीकी के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में चुकन्दर पर होने वाले अनुसंधानों के लिये मदें सुझाना।

(ग) समिति की पहली बैठक 17 जनवरी, 1968 को होगी और इसके बाद वह शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।.

डाक टिकट संकलन के बारे में गोष्ठी

3944. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री चेंगलराय नायडू :**
श्रीमती तारा सप्रे :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय डाक टिकटों में सुधार करने के प्रश्न पर विचार के लिए नई दिल्ली में हाल ही में डाक टिकट संकलन के बारे में एक गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या सिफारिशें की गई थीं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) भारतीय डाक टिकटों में सुधार और इसकी बिक्री के सम्बन्ध में विभिन्न सिफारिशें की गई थीं। ये सिफारिशें मुख्यत: इस प्रकार हैं :—

(क) टिकट संकलन के कार्य में प्रगति

(ख) टिकटों का डिजाइन और मुद्रण

(ग) बिक्री और प्रचार को प्रोत्साहन

ये सिफारिशें डाक-तार विभाग के विचाराधीन हैं।

कोयला मजूरी बोर्ड का पंचाट

3945. **श्री ब०कु० दास चौधरी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला मजूरी बोर्ड के पंचाट को अब तक क्रियान्वित करने वाली और क्रियान्वित न करने वाली कोयला खानों के नाम क्या क्या हैं; और

(ख) जिन कोयला खानों को अब तक इस पंचाट को क्रियान्वित नहीं किया है उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

इच्छावर टाउन में टेलीफोन एक्सचेंज केन्द्र

3946. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व सेहोर जिला (मध्य प्रदेश) के इच्छावर टाउन के लिए एक टेलीफोन एक्सचेंज केन्द्र मंजूर किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो यह टेलीफोन एक्सचेंज केन्द्र कब तक चालू हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं। सेहोर जिला के इच्छावर टाउन में कोई टेलीफोन एक्सचेंज केन्द्र खोलने की मंजूरी नहीं दी गई है। फिर भी इच्छावर टाउन में एक सार्वजनिक टेलीफोन खोलने की स्वीकृति दे दी गई है।

(ख) और (ग) स्टोर और ताँबे की तारों में कमी के कारण सार्वजनिक कार्यालय और इस प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने में देरी हुई है। इस योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने के उद्देश्य से देश में उत्पादित एल्यूमिनियम के तारों का प्रयोग करने का प्रस्ताव है यह कहना अभी सम्भव नहीं है कि सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय अपना कार्य कब आरम्भ कर देगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में अनुसंधानकर्त्ताओं के वेतनक्रम

3947. **श्री रा० बरुआ**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं में कार्य करने वाले अनुसन्धानकर्त्ताओं के वर्तमान वेतन क्रमों में संशोधन करने का सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ तो इससे सम्बन्धित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय किए जाने की सम्भावना है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी हाँ।

(ख) प्रस्ताव के अन्तर्गत कृषि वैज्ञानिकों के वेतन-मानों को कुछ मुख्य श्रेणियों में युक्ति-संगत बनाना है। प्रस्ताव का पूरा ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है। अवमूल्यन के कारण किसी स्तर पर भी वेतन-मानों में बढ़ोत्तरी की ओर संशोधन न करने के आदेश को दृष्टि में रखते हुए जो जून 1966 में मुख्यतया प्रतिबन्ध लागू किया गया था, उसके कारण अभी तक प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका इस मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर

3948. **श्री रा० बरुआ**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 1 अगस्त 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7477 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर तथा अन्य अनुसंधान संस्थानों में कार्य कर रहे अनुसंधान सहायकों को सेलेक्शन ग्रेड दिए जाने के प्रश्न के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसके फलस्वरूप संबधित कर्मचारियों के वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं और उनके वेतनक्रम के पुनः निर्धारण के कारण मिलने वाली वेतन की बकाया राशि उन्हें दे दी गई है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसे अन्तिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इन मामलों को निपटाने में और कितना समय लगेगा?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अनुसंधान सहायकों की पदोन्नति का मामला विभागीय पदोन्नति समिति के सम्मुख नहीं रखा जा सका क्योंकि भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्था से कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होनी है। आशा है कि इस विषय में शीघ्र ही निर्णय कर दिया जायेगा।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य

3949. **श्री रा० बरुआ**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अभी तक राहत कार्य कर रहे विदेशियों की संख्या कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी निगम

3950. **श्री काशीनाथ पाण्डे**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय में के अधीन कितने सरकारी क्षेत्र अथवा स्वायत्तशासी निगम स्थापित किए गए हैं;

(ख) उनका प्रचार किस विज्ञापन एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है और क्या पूर्णतया भारतीय स्वामित्व वाली है और;

(ग) 1966 तक उसे कमीशन के रूप में कुल कितनी राशि दी गई हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) छैः स्वायत्तशासी निगमों में से केवल नैशनल सीडस कारपोरेशन ही सामान्यतः कभी कभी अपने विज्ञापन विभाग के लिये मैसर्स न्यूज फील्ड एडवराटइजिंग प्राइवेट लि० से सहायता प्राप्त करता है, जो कि पूर्णतया भारतीय है। इस समय अन्य निगमों के लिये कोई और एजेन्सी विज्ञापन कार्य नहीं कर रही है।

(ग) नैशनल सीड्स कारपोरेशन ने मैसर्स न्यूजफील्ड एडवरटा जिंग प्राइवेट लि० को कोई कमीशन नहीं दिया है।

केरल की चावल की आवश्यकता

3951. **श्री क० प्र० सिंह देव** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने राज्य में अनाज की कमी को पूरा करने के लिए किसी भी अन्य देश से अथवा भारत में किन्हीं अन्य राज्यों से सीधे चावल खरीदने की से अनुमति दिए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) केरल के मुख्य मंत्री ने अपने हाल के पत्र में यह माँग की है कि यदि केन्द्रीय सरकार केरल की चावल की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती तो राज्य को देश के जिस भाग से भी उपलब्ध हो, चावल प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

(ख) केरल के मुख्य मंत्री को सूचित कर दिया गया है कि भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में उपलब्ध यथासम्भव चावल को ऊँची दर पर भी उपलब्ध करने का यथा सम्भव प्रयत्न कर रही है। उन राज्यों से भी जिनमें उनकी आवश्यकता से अधिक चावल है कहा गया है कि वह अधिक से अधिक चावल 'सेन्ट्रल पूल' के लिये सप्लाई करें। उनको यह भी सूचित किया गया है कि दो राज्यों के बीच करार करने की अनुमति का दिया जाना किसी राज्यों के हित में नहीं होगा। यह आवश्यक है कि देश में और बाहर से प्राप्त चावल को केन्द्रीय सरकार की एजेन्सी द्वारा वितरित किया जाये।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी निगम

3952. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया:**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अधीन स्थापित सरकारी क्षेत्र अथवा स्वायत्तशासी निगमों के खातों को लेखापरीक्षा उनकी स्थापना से अब तक लेखा-परीक्षकों और चार्टर्ड एकाउन्टैन्टों की कौनसी फर्मों द्वारा की गई है;

(ख) 1966 तक शुल्क के रूप में उन्हें कितनी धनराशि दी गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है:—

(1) **सेन्ट्रल फिजरोज कारपोरेशन लि० कलकत्ता:** मैसर्स एस० के० घोष एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कलकत्ता को इस निगम के 1965–66 और 1966–67 के खातों की लेखा परीक्षा का कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था।

(2) **नैशनल सीड्स कारपोरेशन, नई दिल्ली:** नैशनल सीड्स कारपोरेशन ने अपना कार्य 1.7.63 से आरम्भ किया था। 1.7.63 से 31.3.64 की अवधि के खातों को लेखा परीक्षण पी० आर० मेहरा एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ने किया था। 1964–65 और उसके बाद के खातों का लेखा परीक्षण 'मेहरा खन्ना' एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ने किया था।

(3) **मार्डन बेकरीज (इन्डिया) लि० नई दिल्ली:** 31.3.67 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कम्पनी के खातों के लेखा परीक्षण मेसर्स बी० आर० महेश्वरी एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया गया था।

(4) **सेन्ट्रल कारपोरेशन आफ इन्डिया, नई दिल्ली**

जे० सी० भल्ला एण्ड पी० आर० मेहरा एण्ड कम्पनी	1957–58 से 1960–61 के वर्षों के लिये।
टी० आर० चड्ढा एण्ड कम्पनी एण्ड बी० सहाय एण्ड कम्पनी	वर्ष 1961–62 के लिये
बी० सहाय एण्ड कम्पनी	1962–63 से 1965–66 के वर्षों के लिये

(5) **भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली**

मैसर्स ब्रह्मा एण्ड कम्पनी, बंगलौर	1964–65 और 1965–66 के लिये

मैसर्स जी० बसु एण्ड कम्पनी, कलकत्ता
मैसर्स अजमेरा एण्ड कम्पनी, जयपुर
मैसर्स ठाकुर एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली
} वर्ष 1966–67 के लिये

संचार विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के निगम अथवा स्वायत्तशासी निगम

3953. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके विभाग के अधीन कितने सरकारी क्षेत्र अथवा स्वायत्तशासी निगम हैं;

(ख) उनकी स्थापना से अब तक उनके खातों की लेखापरीक्षा लेखापरीक्षकों अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की किन फर्मों द्वारा की गई है; और

(ग) 1966 तक शुल्क के रूप में उन्हें कितनी राशि दी गई है?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) संचार विभाग के नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम हैं जिनके नाम हैं इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर तथा हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड, मद्रास।

(ख) और (ग) वाँछित सूचना प्रदान करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1962/67**]।

श्रम मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के निगम

8954. **श्री अनर्जुन सिंह भदौरिया:** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अधीन कितने सरकारी क्षेत्र अथवा स्वायत्तशासी निगम स्थापित किए गए हैं;

(ख) उनकी स्थापना के समय से कौन सी लेखापरीक्षक फर्में अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उनकी लेखा परीक्षा कर रहे है; और

(ग) शुल्क के रूप में उन्हें 1966 तक कितनी राशि दी गई है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) 3।

(ख) एक मामले में मैसर्स वैद्यनाथ आयर एण्ड कं०, नई दिल्ली और दूसरे मामले में मेसर्स जी० वासू एण्ड कं०, कलकत्ता। तीसरे मामले में लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और लेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

(ग) 33,150 रुपए।

अन्दमान द्वीपसमूह में पडूक वृक्ष

3955. **श्री गणेश:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्दमान द्वीपसमूह में कुल कितने एकड़ भूमि में पडूक के वृक्ष हैं और इससे अनुमानतः पडूक की कितने टन लकड़ी मिलती है;

(ख) क्या पडूक की लकड़ी काटने पर रोक के बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या मकान बनाने के लिए स्थानीय लोगों को पड़ूक की लकड़ी सप्लाई करने का प्रस्ताव है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का बन्द होना

3956. **श्री नायनार** **श्री अनिरुद्धन:**

श्री भोगेन्द्र झा: **श्री प्रकाशवीर शास्त्री:**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गन्ना न मिलने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी की कितनी मिलें बन्द हैं;

(ख) इन मिलों के बन्द हो जाने से कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं; और

(ग) इन मिलों को चालू कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) गन्ना उत्पादकों की हड़ताल के और उनके द्वारा गन्ने के अधिक मूल्य माँगे जाने के कारण पाँच मिलों को अस्थायी तौर पर बन्द कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उन्हें अस्थायी तौर पर बन्द किया गया है।

(ग) राज्य सरकार बातचीत द्वारा जिला अधिकारियों की सहायता से इन मिलों को फिर से चलाने का प्रयत्न कर रही है।

Availability of Sugar in the Open Market

3957. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the sugar quota for the open market for December, 1967 has been reduced from one lakh tons to 66,000 tons ;

(b) whether it is also a fact that sugar is not available in the open market and its production has not yet started to its full capacity due to non-availability of sugarcane to the mills ;

(c) whether the price of sugar has gone up consequent to which the prices of Khandsari and Gur have also gone up ; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No, Sir. 66,000 tonnes of sugar has been released for free sale from the 23rd Noevmber, 1967, for the first time.

(b) No, Sir. The sugar released for free sale has already started coming to the market though it may take some time to reach all areas.

(c) and (d) The price of sugar released for free sale will necessarily be higher than the price of sugar distributed through controlled channels in view of the large unsatisfied demand as a result of the fall in production of sugar. Recently the prices of khandsari and gur have come down to around Rs. 425 and Rs. 180 per quintal respectively.

दिल्ली में चीनी की कमी

3958. **श्री हर दयाल देवगुण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी पर से 60 प्रतिशत नियंत्रण हटाये जाने के बाद दिल्ली में चीनी की अत्यन्त कमी हो गई है;

(ख) क्या चीनी की दरें बहुत बढ़ गई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो बाजार में चीनी की इस कमी को दूर करने तथा चीनी के दाम घटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे : (क) जी नहीं। 40 प्रतिशत चीनी के उत्पादन से नियंत्रण हटाया गया है।

(ख) और (ग) अधिक माल के आ जाने के परिणामस्वरूप खुले बाजार में चीनी की कीमतें घट गई हैं। बाजार में और चीनी के स्टाक के आजाने से और भविष्य में चीनी की खुली बिक्री के लिये देने के पश्चात् चीनी के भावों के नियंत्रित होने की सम्भावना है।

गोआ में लौह अयस्क उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिश

3959. **श्री यशपाल सिंह**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोआ में लौह अयस्क उद्योग ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति से छूट देने के लिये प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) गोवा खनिज धातुक निर्यात कर्त्ताओं के संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति कुछ समय के लिए स्थगित की जाय।

(ख) इस संघ की प्रार्थना मंजूर नहीं की गई। संघ से यह प्रार्थना की गई है कि वह अपने सदस्यों की मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की सलाह दे।

पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत अनाज का आयात

3960. **श्री यशपाल सिंह**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1968 में पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत भारत को 30 लाख टन अनाज की सप्लाई कुछ शर्तों की पूर्ति पर निर्भर है;

(ख) यदि हाँ, तो वे शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) से (ग) अमरीका से 1968 में पी० एल० 480 के करार के अन्तर्गत अनाज की सप्लाई प्राप्त करने के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है। अगले वर्ष करार के अनुसार वर्ष के प्रथम छः महीनों में 305 लाख टन अनाज प्राप्त होने की सम्भावना है। अगले करार सम्बन्धी शर्तों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

अन्दमान वन विभाग में भिश्ती

3961. **श्री गणेश** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्दमान वन विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को भिश्तियों की सेवाओं की सुविधा प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर कितना व्यय किया जाता है और बाजार भाव पर भिश्ती की सेवा कितने धन में प्राप्त की जा सकती है;

(ग) क्या यह रियायत औद्योगिक कर्मचारियों को भी दी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अन्दमान के वनों में नदी नालों में काम आने वाली नौकाओं और एल० सी० टी० की मरम्मत

3962. **श्री गणश** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1962 से 1967 तक अन्दमान वन विभाग के वनों में नदी नालों में काम आने वाली नौकाओं तथा एल० सी० टी० की मरम्मत पर अलग-अलग कितनी लागत आई; और

(ख) मरम्मत व्यय में वृद्धि होने के क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के वन विभाग द्वारा सेवांत उपदान (टर्मिनल ग्रेचुटी) का भुगतान

3963. **श्री गणेश** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्दमान वन विभाग ने औद्योगिक कर्मचारियों को सेवांत उपदान देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस रियायत को बन्द करने के लिये सरकार की स्वीकृति ली गई थी?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अन्दमान वन विभाग के महावतों और वन रक्षकों के वेतनमान

3964. **श्री अमृत नाहाटा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्दमान वन विभाग के महावतों और वन रक्षकों को समुचित वेतनमान दिए जाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर अन्दमान द्वीपसमूह के जंगल

3965. **श्री अमृत नाहाटा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैसर्स पी० सी० राय एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के नियंत्रण में उत्तर अन्दमान द्वीपसमूह के जंगलों का कितना क्षेत्र हैं;

(ख) इस क्षेत्र में अनुमानतः कितने टन इमारती लकड़ी है;

(ग) इस इमारती लकड़ी की अनुमानित कीमत कितनी है; और

(घ) उक्त फर्म के साथ मुकदमे-बाजी के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारत के गत सामान्य निर्वाचनों में अमरीका का कथित हस्तक्षेप

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करूँग कि वह निम्नलिखित के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:—

"भारत के गत सामान्य निर्वाचनों में अमरीका का कथित हस्तक्षेप"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): मैं सभा का ध्यान 15 जून, 1967 को सामान्य निर्वाचनों में विदेशी धन के प्रयोग किए जाने के सम्बन्ध में दिए गए वक्तव्य की ओर आकर्षित करूँगा। उस समय मैंने सभा को सूचित किया था कि इस विषय में गुप्तचर विभाग से रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इसकी उचित जाँच की जा रही है। आपको याद होगा कि भारत के सामान्य निर्वाचनों में रूस द्वारा कथित हस्तक्षेप के मामले पर वक्तव्य देते समय यह प्रश्न अनुपूरक प्रश्न के रूप में 7 दिसम्बर को फिर उठ खड़ा हुआ था। मैंने सभा को फिर सूचित किया था कि गुप्तचर

द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर गत निर्वाचनों में प्रयोग किए गए धन के सम्बन्ध में समस्त मामले की जाँच की जा रही थी। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि इस जाँच में कितना समय लगेगा, परन्तु मैं सभा को यह आश्वासन दिलाता हूँ कि इस सम्बन्ध में यथा सम्भव शीघ्रता से कार्यवाही की जायेगी।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह खेद का विषय है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में विलम्ब की नीति अपनाई है। कुछ वर्ष पूर्व न्यूयार्क टाइम्स के 13 जून, 1967 के वक्तव्य के सम्बन्ध में टाइम पत्रिका ने स्पष्ट यह कहा था कि जवाहर लाल नेहरू के प्रभाव को कम करने के लिये अमरीका, 2,400,000 डालर व्यय कर रहा है। सी० आई० ए० ने भारत के निर्वाचनों के दौरान दक्षिण पंथियों की सहायता की है। रूस सरकार के 'लिटरेरी गजट' में कुछ लेख प्रकाशित हुए हैं जिसमें उन मंत्रियों और संसद् सदस्यों के नाम प्रकाशित हुए हैं जिनके निर्वाचनों में विदेशी धन का प्रयोग किया गया है। इस व्यक्ति ने बताया है कि इसने भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सूचित कर दिया है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार अमरीका तथा भारतीयों द्वारा लगाये गए आरोपों की ओर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार को इस सम्बन्ध में उचित जाँच कर इसकी सूचना देश को देनी चाहिये।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : माननीय सदस्य का प्रश्न तर्कसंगत है। इन आरोपों को स्वीकार करना कठिन था अतः जाँच का कार्य आरम्भ किया गया था। हमें इस सम्बन्ध में उचित जाँच करनी चाहिये और तब ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिये। जाँच पूरी होने के पश्चात् इस सम्बन्ध में विपक्षी नेताओं से बातचीत की जायेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अमरीका सरकार का विचार इस देश की प्रगति को रोकने का है। गृह कार्य मंत्री को विदित है कि पिछले चुनाव से पूर्व भी अमरीका ने रिजर्व बैंक आफइंडिया से बड़ी मात्रा में धन निकाल कर अपने पिट्ठुओं की चुनाव में सहायता की थी।

एक माननीय सदस्य : उनका नाम बतलाइए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री एस० के० पाटिल ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय को नाम बताते समय सावधानी का प्रयोग करना चाहिये। सामान्यतः हम उन व्यक्तियों का नाम नहीं लेते जो यहाँ मौजूदह नहीं हैं । हम इस परम्परा का प्रयोग करते आ रहे हैं। सब पक्ष इससे सहमत होंगे और इस सम्बन्ध में सावधान रहेंगे।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : जो व्यक्ति सभा में उपस्थित न हो उसके विरुद्ध कोई आरोप लगाना आपत्तिजनक है। इसको वापिस लिया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It has already been published in the newspapers.

श्री तिरुमलराव (काकीनाडा) : कल जब श्री हेम बरुआ द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पढ़ा गया था तो इस दल के सब सदस्यों ने एक सदस्य को संसद् से बाहर की गतिविधियों का उल्लेख करने के ऊपर बहुत आपत्ति की थी । वे ही लोग इस प्रकार के आक्षेप लगा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस सम्बन्ध में किसी परम्परा का अनुसरण किया जाता है। परन्तु यह मामला समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है और इस सम्बन्ध में यहाँ आरोप नहीं लगाये गए हैं। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु: कुछ अमरीकी पदाधिकारियों ने राज्यों की राजधानियों का दौरा किया था। कांग्रेस को भी सी० आई० ए० से सहायता प्राप्त हुई है। 14 जून, 1967 को बम्बई के 'इकनोमिक टाइम्स' ने यह उल्लेख किया है कि "केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच के अनुसार जनसंघ, स्वतंत्र, कुछ कांग्रेसी सदस्यों और प्रजा सोशलिस्ट सदस्यों को यह सहायता प्राप्त हुई है। नागालैण्ड के मुख्य मंत्री ने 13 नवम्बर, 1962 को बताया था कि अमरीकन रिपब्लिक पार्टी भारत में गड़बड़ पैदा करना चाहती है इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या गृह-कार्य मंत्री स्पष्ट तौर पर यह आश्वासन देंगे कि वह जांच का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और क्या इसकी रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी जायेगी?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: इस सम्बन्ध में मैं पहले ही वक्तव्य दे चुका हूँ। यह यथासम्भव शीघ्र पूरी की जायेगी

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : माननीय दस्य ने अपने उत्तर में विशेषकर विदेशी धन के प्रयोग का उल्लेख किया है, जबकि ध्यान आकर्षण सूचना केवल इस बात तक ही सीमित नहीं है, परन्तु उसमें सामान्य निर्वाचनों में अमरीका के कथित हस्तक्षेप का भी उल्लेख किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या यह जांच धन के प्रयोग तक ही सीमित है या दूतावास में कार्य कर रहे अमरीकी पदाधिकारियों की गतिविधियों के सम्बन्ध में भी जांच की जायेगी, जिन्होंने खुले आम निर्वाचन में हस्तक्षेप किया? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या निर्वाचन के पश्चात् समाचार पत्रों प्रकाशित इन आरोपों की जांच की गई है इस सम्बन्ध में अमरीकी दूतावास के द्वितीय सचिव श्री एच० बी० स्वाफर का नाम उल्लेख किया गया है। क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है? क्या यह सच है कि इन महानुभाव से इस देश को छोड़ जाने के लिये कहा गया था? यह केवल धन के प्रयोग का मामला नहीं है। वे लोग घूमघूम कर राजनीतिज्ञों से सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं और हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्या प्रश्न के इस पहलू के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: यह सार्वजनिक विषय है। जांच मुख्यतः निर्वाचन में प्रयोग किए गए विदेशी धन के सम्बन्ध में की गई थी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री चागला इसके लिए एक आयोग नियुक्त करने के लिये सहमत हो गए थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या इस शिकायत या आरोप के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण: इस विशेष विषय के सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि): मेरे प्रश्न के संदर्भ में माननीय मंत्री ने यह बताया था कि पी० एल० 480 की धनराशि का कुछ भाग अमरीकन दूतावास को यहाँ व्यय करने और दूतावास के खाते में रिज़र्व बैंक आफ इंडिया में जमा करने के लिये नियत किया था। क्या यह सच है कि निर्वाचन के दौरान या शायद इससे कुछ महीने पहले अमरीकी दूतावास के लिये रिज़र्व बैंक में जमा किए गए धन में से बड़ी मात्रा में धनराशि निकाली गयी थी। यदि निकाली गई धनराशि बड़ी मात्रा में थी तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जाँच करेगी और इस बात का पता लगायेगी कि क्या इस धनराशि का चुनाव में प्रभाव डालने के लिए प्रयोग किया गया?

श्री मी० च० मसानी (राजकोट) : हम भी इस सम्बन्ध में जाँच की माँग करेंगे (**व्यवधान**)

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur). It is a serious matter. My party has also been accused of getting funds from America. We want that appropriate investigation should be made in this regard. We would prefer to quit politics than to accept foreign funds for elections. To accept foreign funds is most unpatriotic and we could never be a party to it.

The investigation conducting the Intelligence Bureau is not sufficient. It could not create Confidence in the Country. I want that Supreme Court Judge may be appointed for it.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): चूंकि यह विषय बार-बार सभा के समक्ष लाया जाता है अत: गृह कार्य मंत्री को इस दस्तावेज को प्रकाशित करना चाहिये या इसको सभा पटल पर रखना चाहिये।

****श्री राजाराम** (सलेम): एक तामिल दुकानदार को अंग्रजी विरोधियों ने पीटा..... **(व्यवधान)**

****श्री बलराज मधोक**

****श्री बी० चं० शर्मा**

****श्री नी० श्रीकान्तन नायर**

****श्री जी० भा० कृपालानी**

अध्यक्ष महोदय: सब सदस्य शान्त हो जायेंगे। आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिये। मैंने गृह कार्य मंत्री से तीन दिन पूर्व निवेदन किया थाकि वह इस सम्बन्ध में जाँच करें और जाँच से हमें सूचित करें। जब मैं बोल रहा हूँ तो कृपया शान्त रहें। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कोई भी मामला इस प्रकार न उठायें। आपको मेरी अनुमति लेनी चाहिये और मैं आपको अनुमति दूंगा। यदि कोई सदस्य किसी भी विषय पर कुछ कहना चाहते हैं तो वे मुझसे मेरे कक्ष में मिलें। मैं मंत्री महोदय को बोलने को नहीं कहूँगा क्योंकि आप लोग माँग कर रहे हैं । यह उचित नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूँगा। यदि अब कोई सदस्य बोला तो उसको सभा के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । **(व्यवधान)****

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति का 12वां अधिवेशन

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): महोदय मैं श्री जयसुख लाल हाथी की ओर से 19 और 20 अगस्त को बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के मद्रास में हुए 12वें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखियें संख्या एल० टी० 1950-67]**।

भारतीय तारयन्त्र (आठवां संशोधन) नियम पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): श्री इ० कु० गुजराल की ओर से मैं निम्न को सभा पटल पर रखता हूँ:

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded

(1) लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाले सात विवरण। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1951/67]**

(2) भारतीय तारयन्त्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तारयन्त्र (आठवाँ संशोधन) नियम, 1967 की एक, प्रति जो दिनांक 30 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1773 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1952/67]।**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें आदि

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकर मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : मैं निम्न पत्रों को एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ:

(एक) मध्य प्रदेश चावल समाहार (उद्ग्रहण) तीसरा संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1754 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) जी० एस० आर० 1755 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश धान (वहन पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1961 को विखण्डित किया गया।

(तीन) बेलन मिलें गेहूँ उत्पादन (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 1 दिसम्बर 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1776 में प्रकाशित हुआ था।

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12 क के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1775 की एक प्रति जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1842 में एक संशोधन किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 1953/67]**

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : श्री स० चु० जमीर की ओर से मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1716 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 11 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 'कनात तैयार करने के उद्योग, को उक्त अधिनियम की अनुसूची I में शामिल किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 1716/67]।**

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

चौथी प्रतिवेदन

श्री अडिलकर (खेड) : मैं विशेषाधिकार समिति का चौथा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

बारहवां प्रतिवेदन

श्री मो० ग० मसानी (राजकोट) : मैं स्वीकृत अनुदानों और भारित विनियोगों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों जिनका प्रकटीकरण विनियोग लेखे (सिविल) 1965–66 में किया गया था, के बारे में तथा स्वीकृत अनुदानों और भारित विनियोगों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों जिनका प्रकटीकरण विनियोग लेखे (सिविल), 1963–64 में किया गया था, के सम्बन्ध में लोकलेखा समिति के बेंतालीसवें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का बारहवाँ प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

तूतीकोरिन पत्तन परियोजना के बारे में वक्तव्य

Statement re : Tuticorin Harbour Project

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : तूतीकोरिन पत्तन परियोजना के सम्बन्ध में मैंने 19 जुलाई, 1967 को इस सभा में वक्तव्य दिया था उसमें सूचित किया था कि परियोजना की आर्थिक अर्थक्षमता में सुधार करना जरूरी है और यातायात क्षमता के सम्पूर्ण प्रश्न की जाँच के लिए एक सरकारी दल होना चाहिये और उसे यातायात का दृढ़ पुनरीक्षित प्राक्कलन रखना चाहिये। उसके बाद मद्रास के मुख्य मंत्री और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से मामले की देखरेख की जायेगी और उसके बाद परियोजना का क्षेत्र और अन्य ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

2—संयुक्तदल ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर 1967 के तीसरे सप्ताह में दे दी है। मैंने मद्रास के मुख्यमंत्री से रिपोर्ट में किए गए यातायात प्राक्कलन के प्रत्येक मद पर विचार-विमर्श किया और हमें सन्तोष था कि वे उचित परियोजनायें थीं। मैंने कुछ औद्योगिक परियोजनाओं के कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न कार्यवाहियों का और क्षेत्र में नमक उद्योग विकसित करने की भी चर्चा की।

3—रिपोर्ट से सूचित होता है कि भविष्य में इस पत्तन के पार्श्व क्षेत्र में होने वाले और योजना की हुई विभिन्न औद्योगिक विकासों के प्रकाश में 1971–72 तथा 1975–76 में तूतीकोरिन के पत्तन के लिये स्थिर यातायात प्राक्कलन क्रमशः 22.35 लाख टन और 35.10 लाख टन होगा। तूतीकोरिन पत्तन पर पाँच पार्श्वघाटों वाले 30 फीट हारबर की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। 1975–76 तक होने वाली यातायात-वृद्धि की पूर्ति के लिये समुचित समय पर एक अतिरिक्त पार्श्व घाट और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी। हारबर की स्थापना इस डिजाइन की रखी गयी है कि उसमें गहरे समुद्र वाले मझधार पोतों के लिए आवश्यक अतिरिक्त घाटों की व्यवस्था की जा सके।

4—सदन को यह सूचित करते मुझे हर्ष होता है कि सरकार ने तूतीकोरिन हारबर परियोजना को 24.40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है। इस राशि में 31 मार्च, 1967 तक इस परियोजना पर व्यय की गयी 3.96 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है। इस बात की भी अनुमति दे दी गयी है कि विदेशी मुद्रा सहित शेष राशि की व्यवस्था

की जाये ताकि यह परियोजना पूरी हो जाये। योजना आयोग की सलाह प्राप्त होने के बाद धन की व्यवस्था एक-एक वर्ष के लिये की जायेगी ।

5—राज्य सरकार ने मौजूदा लघु पत्तन को नए बड़े पत्तन के प्रशासन से विलयन करने की अनुमति दे दी है। इस बड़े पत्तन के लिये बड़े पत्तन ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत एक बड़ा पत्तन ट्रस्ट गठित किया जायेगा। इससे इस बात का सुनिश्चय हो जायेगा कि मौजूदा लघु पत्तन और प्रस्तावित पत्तन की सुविधाओं का पूरी तरह समन्वय हो सके और उनसे अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

6—मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार के सहयोग से पत्तन पार्श्व क्षेत्र में औद्योगिक विकास के युग में प्रवेश करेगा, क्षेत्र के लोगों की दीर्घकालीन इच्छाओं की पूर्ति करेगा और पूर्ण होने पर देश के बड़े पत्तनों में अपना उचित स्थान लेगा।

पश्चिमी भारत में हुए भूकम्प के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : EARTHQUAKE IN WESTERN INDIA

अध्यक्ष महोदय: कल महाराष्ट्र में भारी भूकम्प आया जिसमें बहुत से व्यक्ति मर गए क्या मैं प्रधान मंत्री अथवा गृह-कार्य मंत्री से प्रार्थना करूँ कि वह कोई इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

महोदय, पश्चिमी भारत में भूकम्प के कारण जो मुसीबत आई है उसका मुझे बहुत दुःख है। इसके कारण वहाँ बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। हमारे पास अभी पूरे आँकड़े नहीं आये हैं। परन्तु क्षति बहुत हुई हैं। जब हमें सूचना प्राप्त हुई तो डा० कु० ल० राव वहाँ शीघ्र चले गए।

इस सम्बन्ध में अभी मुझे सूचना मिली है कि बम्बई में अभी भूकम्प के झटके आये है। मुझे इस दुःखद घटना का बड़ा दुःख है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि यह भावना मृतकों के परिवार को पहुँचा दें ।

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि इस सम्बन्ध में जब भी कोई ताजा समाचार प्राप्त होवे वह सदन को दे दें।

Shri George Fernandes (Bombay-South): Sir, is it a fact that minor tremors were being felt there for the last one month and if so whether Government have made any enquiries about it? Did Government ask people there not to live in their houses but remain outside their houses? May I suggest that Congress party which is going to hold its session in Sangli, Maharashtra may now hold it somewhere else.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : There are tremors being felt in Sonepat for the last three months and many people are going to die there as a result thereof.

Shrimati Indira Gandhi : In Maharashtra such tremors were felt and the Government there appointed an expert committee to investigate it. The investigation is not yet complete

श्री नाथपाई (राजापुर): यह घटना इतनी दुःखद है कि किसी दल पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। सरकार के एक मंत्री ने जो महाराष्ट्र का दौरा करके आया था उसने एक पत्र लिखा था कि एक पहाड़ में वहाँ सीधी द्राड़ है। उसने कहा था कि वहाँ जाकर डा० कु० ल० राव दौरा करें। यदि ऐसा होता तो कम से कम कुछ लोगों की जानें तो बच जातीं। क्या कोई दल भेजा गया।

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): मैंने वह पत्र स्वयं नहीं देखा है, इस कारण वह सूचना मैं दे नहीं सकता। महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ गठित एक विशेषज्ञ समिति के बारे में मुझे बताया। डा० कु० ल० राव वहाँ गए हैं तथा अपना प्रतिवेदन देंगे।

कल मैं स्वयं वहाँ गया था। वहाँ बहुत तबाही हुई है। डाक्टरी सहायता जो भी संभव है, वह दी जा रही है। स्वयंसेवी संस्था भी कार्य कर रही हैं। वहाँ सड़कें तथा संचार व्यवस्था तथा परिवहन व्यवस्था का प्रबन्ध हो रहा है। वहाँ राज्य के सब अधिकारी उपस्थित थे। फिर बसाव का कार्य वहाँ हो रहा है। साथ ही उन्होंने तकनीकी तथा पुनर्वास के कार्य को बाँट दिया है। यह केवल कोयना नगर में ही तबाही नहीं आई है अपितु अन्य नगरों से भी इसी प्रकार के समाचार आ रहे थे। जो भी नई सूचना मुझे प्राप्त होगी वह सदन को दे दी जायेगी।

भारतीय टंकण सशोधन विधेयक

INDIAN COINAGE (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत): श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं भारतीय टंकण अधिनियम 1906 में अग्रेतर संशोधन करने हेतु विधेयक सभा की अनुमति के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि भारतीय टंकण अधिनियम 1906 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापन की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री कृष्ण चन्द्र पंत: मैं विधेयक पुरःस्थापन करता हूँ।

राजभाषा (संशोधन) विधेयक तथा राज भाषा सम्बन्धी संकल्प (जारी)

OFFICIAL LANGUAGES (AMENDMENT) BILL
AND
RESOLUTION RE : OFFICIAL LANGUAGES (CONTD·)

अध्यक्ष महोदय: इस विधेयक पर सामान्य चर्चा के लिये 15 घंटे थे जिसमें से 10 घंटे लग चुके हैं। अब पाँच घंटे बाकी हैं।

श्री पील् मोडी बोल रहे थे। वह भाषण जारी रखेंगे।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं केवल 7 मिनट और लूंगा।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये २ बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha then re-assembled at Fourteen of the Clock after Lunch.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : रूस में स्तालिन कहता था कि रूसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिये यदि 1 करोड़ लोगों को भी समाप्त करना पड़ जाये तो कोई हर्ज नहीं है। सौभाग्य से हमारे देश में रूस जैसी राजनीतिक पद्धति नहीं है ।

कल मैंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए जिसकी कुछ सदस्यों ने आलोचना की । मैं उनके साथ बैठने को तैयार हूँ ताकि यदि मैं गलती करता हूँ तो वह ठीक हो सके।

आज भारत की एकता को खतरा है । हमें सब से पहले लिपि में सुधार करना होगा हम चाहते हैं एक उन्नत भारत भाषा हो ।

मैं इस विधेयक के विरुद्ध हूँ। मैं इसका इस कारण विरोध करता हूँ क्योंकि यह संवैधानिक संशोधन विधेयक नहीं है। इस कारण इस विधेयक को वापिस लिया जाये और भाषा के बारे में सब चर्चा बन्द होनी चाहिये ।

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत संकल्प तथा संशोधन विधेयक को, ऐसे परिवर्तनों के सहित जो देश के अधिकांश लोगों को स्वीकार्य हों; समर्थन करता हूँ। इस इतने बड़े देश में एक ही भाषा लागू करना कोई सरल कार्य नहीं है । मैकाले तथा ट्रेविलयन इस देश में अंग्रेजी लागू करना चाहते थे ताकि एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जा सके जिससे जनता के एक अल्पसंख्यक वर्ग का निहित स्वार्थ तथा जनता के साथ उसका कोई सम्बन्ध न हो। उन्होंने कहा था कि इस देश में अंग्रेजी की जड़ें इतनी पक्की कर दी जाये कि भारत के लोगों का ध्यान अपनी संस्कृति से हट जाये तथा अंग्रेजी के द्वारा भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम समाप्त कर दिया जाये। इसमें उन्हें कुछ हद तक सफलता मिली परन्तु उन्होंने विश्व शक्तियों के उस प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जो पूरे भारत उपमहाद्वीप पर पड़ा । विश्वविद्यालयों की स्थापना से केवल सेवा कीइच्छा ही पैदा नहीं हुई तथा प्रशासन चलाने के लिये क्लर्क ही नहीं बनाये गए अपितु इससे हमारे दृष्टिकोण का विकास भी हुआ । हमने साहित्यकारों से स्वतंत्रता के कुछ उदार सिद्धान्त भी प्राप्त किए। हम इस देश पर अंग्रेजी का प्रभाव पूर्णतया समाप्त नहीं कर सकते और सुधार विरोधी सिद्धान्त पुनः नहीं अपना सकते।

हमारे प्रारम्भिक काल से ही हमें अंग्रेजी साहित्य से प्रेरणा प्राप्त हुई है। मुझे कांग्रेस के सभी पुराने नेताओं के विचार अंग्रेजी में सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। अतः अंग्रेजी की निन्दा करना उचित नहीं है परन्तु वर्तमान व्यवस्था में तथा वर्तमान पीढ़ी के सामने अंग्रेजी भाषा का स्थान निर्धारित करते समय हमें उचित बुद्धि से काम लेना चाहिये।

गाँधी जी का "यंग इण्डिया" शुद्ध अंग्रेजी का सुन्दर उदाहरण थे परन्तु उनके क्षेत्र में आने के पश्चात् भारतीय भाषाओं में भी प्राण आ गए। जो लोग भारतीय श्रोताओं के सामने अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करते थे, उन्हें भारतीय जनता के सामने अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करने दिया गया। आम जनता के साथ हमारी अपनी ही भाषाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर सम्पर्क स्थापित किया जाता है। यदि मैं यहाँ तेलुगु में भाषण करूँ तो मैं अधिक अच्छी भाषा का प्रयोग कर सकता हूँ। स्वतंत्रता आन्दोलन में तेलुगु, तमिल, हिन्दी तथा मलायालम जैसी हमारी भाषाओं ने मूलभूत भूमिका निभाई।

स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् उस समय अधिकाधिक सम्भव मताधिकार के आधार पर संविधान सभा बनाई गई। उसने पारित किया कि हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिये, परन्तु उस उपबन्ध को कार्यान्वित करना सरकार के लिये कठिन था यद्यपि उसने इस दिशा में बहुत प्रयत्न किए। कठिनाई पैदा होने का कारण यह है कि हमारे देश में बहुत सी भाषायें हैं। वास्तव में अधिकांश लोग हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं। फिर भी हमारी जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग हिन्दी भाषी है। अतः दूसरी भाषायें अल्पसंख्यक वर्ग की भाषायें हैं। परन्तु यह समझना चाहिये कि हिन्दी को तुरन्त अपनाने के बारे में दक्षिण के लोगों की कठिनाइयाँ वास्तविक हैं।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : On a point of order, Sir. We are working here under the Constitution. When the Central Government arrests the Ministers of a State, it becomes a violation of the Constitution. Two Ministers of Uttar Pradesh, Shri Prabhu Narain Singh and Shri Ram Swarup Varma have been arrested on the pretext of violating section 144.

उपाध्यक्ष महोदय : इसका सभा के कार्य से सम्बन्ध नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to know whether the Ministers of any Government can be arrested and whether the Central Ministers can be arrested in Uttar Pradesh or Bihar.

उपाध्यक्ष महोदय : वे दिल्ली में कानून का उल्लंघन करने के अभिप्राय से आये हैं। इसलिये मैं इस सम्बन्ध में क्या कर सकता हूँ।

Shri Ram Sewak Yadav: The Cabinet has joint responsibility. Should it be presumed that Shri Charan Singh will also be arrested ? Will it not cause a constitutional crisis ?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : The different parties are in power in different States. If the Ministers can be arrested like that, the Ministers of other parties can also be involved in similar situation. The Ministry of Law should study this aspect and if necessary, a statement may be made in the House.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के इस विषय के बारे में विचार व्यक्त करना चाहते थे। जब वे यहाँ आये तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले पर विचार किया जाना चाहियेऔर प्रधान मंत्री को वक्तव्य देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर सभा के बाहर हुई कुछ घटनाओं को उठाया जा रहा है। उन मंत्रियों को सीधे केन्द्रीय सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिये था।

श्री तिरुमल राव : त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत सभी विश्वविद्यालय स्थानीय भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना शुरू करना चाहते हैं परन्तु अंग्रेजी की उपेक्षा करना भी कठिन है क्योंकि पिछले कई वर्षों में हमारे देश में वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान अंग्रेजी में ही किए गए हैं। हिन्दी का

प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये पूर्णतया लागू करने से देश को होने वाली कठिनाइयां आपको समझनी होंगी।

वर्तमान अंग्रजी में शिक्षित लोग के निहित स्वार्थ हैं। हमारे वर्तमान आई० सी० एस० तथा आई० ए० एस० के अधिकारियों ने अपनी शिक्षा अंग्रेजी में प्राप्त की है। वे ही हमारी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। हमें उनकी कठिनाइयों पर भी ध्यान रखना होगा। हिन्दी जानने वाले अधिकारी भी अपना कार्य हिन्दी में करने में कठिनाई अनुभव करेंगे।

मेरा यह सुझाव है कि परीक्षाओं में बैठने के लिए कुछ समय के लिये अंग्रेजी हिन्दी दोनों ही भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिये। हिन्दी राज्यों को चाहिये कि अहिन्दी भाषी राज्यों को पत्र लिखते समय हिन्दी पत्र के साथ-साथ अंग्रेजी का अनुवाद संलग्न करें।

भाषा राष्ट्र के निर्माण का सर्वाधिक नाजुक उपकरण है। उसे अन्य व्यक्तियों पर संख्या के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग यहाँ तक कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के लोग भी अंग्रेजी को सदा के लिये नहीं चाहते वे शिक्षा के उच्चतर स्तर पर तामिल को लाना चाहते हैं। उन्हें भी एक ऐसी भाषा पर, जिसे अधिक संख्या में लोग अपनायेंगे, निर्भर रहना होगा। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि सभा कठिनाइयों को समझेगी। विधेयक को संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया जाना चाहिये और इस मामले पर विवाद को सदा के लिये समाप्त कर देना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : I rise on a point of order under Rule 340. Two Ministers of Uttar Pradesh have been arrested. This matter should be discussed for an hour

उपाध्यक्ष महोदय : इसपर नियम 340 लागू नहीं होता है।

Shri George Fernandis (Bombay South) : Article 194 (2) of the Constitution applies in this case. Those Ministers came here to present the view point of Uttar Pradesh Government regarding abolition of English and they were arrested. It is an important constitutional issue.

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर अनुच्छेद 194 लागू नहीं होता।

Shri George Fernandes : The Government should make a statement in this connection.

उपाध्यक्ष महोदय : इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री जे० एच० पटेल ने कन्नड़ में भाषण आरम्भ किया।

Shri J. H. Patel started speaking in Kannada.

श्री शिवनारायन (बस्ती) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदस्य को अंग्रेजी में बोलना चाहिये अथवा हिन्दी में।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य जिस भाषा में बोलना चाहें बोल सकते हैं।

श्री जे० एच० पटेल* : भाषा का प्रश्न बहुत नाजुक है। प्रत्येक सदस्य को अपनी भाषा में बोलने की अनुमति होनी चाहिये। मैं संयुक्त समाजवादी दल का सदस्य होने के नाते अंग्रेजी को जारी रखने के विरुद्ध हूँ। हमारे देश में 99% जनसंख्या अंग्रेजी नहीं जानती है। अतः अंग्रेजी को थोपना नितान्त अनुचित है। संविधान के अनुच्छेद 343 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत की राजभाषा हिन्दी होगी। 15 वर्ष तक अंग्रेजी को जारी रखने के लिये भी उसमें व्यवस्था की गयी है। तथापि इस उपबंधी की अवहेलना इस आधार पर की जा रही है कि पं० जवाहरलाल नेहरू के आश्वासनों को पूरा किया जाना है। मेरे विचार से हमें महात्मा गाँधी जी के विचारों की अधिक कद्र करनी चाहिये जो हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाना चाहते थे। इस सम्बन्ध में मैं डा० राममनोहर

*From English translation of the speech delivered in Kannad.

*मूल कन्नड के अंग्रेजी अनुवाद के अनूदित

लोहिया के पुस्तक का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने अंग्रेजी न थोपने का मत व्यक्त किया है। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार को एक से अधिक भाषाओं में काम करना चाहिये और उसे अहिन्दी भाषी राज्यों के साथ अंग्रेजी में और हिन्दी भाषी राज्यों के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार करना चाहिये।

मेरे विचार से इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में 1963 का अधिनियम ही काफी था। लेकिन अंग्रेजी को यह कहकर लादने की कोशिश की जा रही है कि इससे ही देश की एकता कायम रह सकती है।

अन्त में मेरा सुझाव है कि यह विधेयक वापस ले लिया जाये और हिन्दी भाषा भाषी राज्यों पर अंग्रेजी नहीं लादी जानी चाहिये।

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : I request to Minister to extend the time for this Bill by four hours.

Shri Madhu Limaye : The time should be extended.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं समर्थन करता हूँ।

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi Sadar) : I support the proposal of Shri Yashpal Singh.

Shri Sheo Narain : 36 hours should be allotted for this Bill.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The official Language Amendment Bill in its present form is against the interest of Hindi speaking areas. As medium of instruction in the Hindi speaking areas is Hindi our yourger generation would not get employment in the Central Services. Therefore some amendments are required to be made in the present Bill in order to enable the people of Hindi speaking areas to get employment in Central Administration.

In fact there are some people whose children either study in English schools or they study in foreign countries, These people want to retain their domination in India. There are certain vested interests who do not want that English should go. These people are creating difficulties in the way of making Hindi an official language. People in India were forced to learn English because they could not get employment without doing so. If due encouragement is given to South Indian people, they would not be against Hindi. Only a few bureaucrats are against Hindi because if English goes, their hold in the services comes to an end. Our country can make more progress if we run our administration in our own language.

Today I want to ask as to how many people haye been provided employment in the Central Services. This issue innolves the question of providing employment. If this problem is not solved there will be communism in whole of North India. The Government should fix the quota in the Services according to population in different States. If that is done, this problem will be ovre. Had the Government propagated Hindi in the South during these twenty years, they must have learnt Hindi by now. But our Government did not bother about this. Now it is a question of livelihood and if we did not bather about their feelings we shall be paving way for communism and we will not be in a position to stop it.

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मैं इस चर्चा को भावनात्मक रूप नहीं देना चाहता क्योंकि ऐसा करने से हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। यह विचित्र बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद इस बात पर चर्चा की जा रही है कि प्रशासन किस भाषा में चलाया जाना चाहिये। इस समस्या का मूल कारण हिन्दी में संस्कृत का शब्द बाहुल्य नहीं है। जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है।

आज हम देश की एकता की बात करते हैं। केवल अंग्रेजों के शासन काल में हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग एक हुए थे। अब उस एकता को आगे बढ़ाना चाहिये था। हमें

इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं और इस समस्या का समाधान सब के सहयोग से हो सकता है।

मैं हिन्दी भाषा का आदर करता हूँ। उसी प्रकार मलयालम, तेलगू तथा अन्य भाषाओं का भी मैं आदर करता हूँ। जिस भाषा को विकास करने का अवसर दिया जाये, वह विकसित हो सकती है। यदि अवसर ही न दिया जाये तो वह दोष न भाषा का है और न उन लोगों का, जिन्हें अवसर नहीं दिया गया।

दुर्भाग्य से अंग्रेजों के शासन काल में विभिन्न भारतीय भाषाओं को यह अवसर नहीं दिया गया। इन भाषाओं की उन्नति एवं विकास के लिये उन्होंने कई प्रकार से बाधायें डालीं और उन-पर प्रतिबन्ध लगाये। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि लोगों द्वारा प्रयोग करने पर ही किसी भाषा का विकास हो सकता है। यह कहना उचित नहीं है कि हमारी भाषाओं में से कोई भी भाषा इतनी विकसित नहीं है कि वह शिक्षा का माध्यम बन सके। हमारी भाषाओं के विकास के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें सभी प्रयोजनों के लिये संचार का माध्यम बनाया जाये। मूलभूत प्रश्न यह है कि क्या संविधान के निर्माताओं ने देश की सभी भाषाओं को बराबर समझा? वास्तव में ऐसा नहीं किया गया। संविधान में यह लिखा है कि 15 वर्ष के बाद हिन्दी भाषा राजभाषा बन जायेगी। इसमें यह भी लिखा है कि केन्द्रीय सरकार हिन्दी भाषा के विकास के लिए उत्तरदायी है। इस उपबन्ध में सभी भाषाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को उत्तरदायी क्यों नहीं बनाया गया। इसी कारण यह भावना जागृत हुई कि जिन लोगों ने सभी भाषाओं के विकास का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लिया, वे हिन्दी भाषा को दूसरों पर लादना चाहते हैं। दुर्भाग्य से यह भावना पैदा हो गई है। कम से कम केन्द्रीय सरकार मनीआर्डर फार्म प्रादेशिक भाषाओं में छाप सकते हैं। उसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। परन्तु वे ऐसा नहीं करेंगे (**व्यवधान**) कम से कम वे लोग मनीआर्डर फार्म को समझ सकेंगे।

अंग्रेजों के शासन के दौरान मनीआर्डर फार्म देश की विभिन्न भाषाओं में होते थे। अब वे केवल हिन्दी तथा अंग्रेजी में होते है। आन्ध्र प्रदेश में मील पत्थर पर अन्तर्राष्ट्रीय अंक नहीं अपितु हिन्दुस्तानी अंक अंकित है। इससे एक भावना उत्पन्न होती है और जब तक इस भावना को पूरा न किया जाये तब तक यह समस्य आसानी से हल नहीं हो सकती।

मैं हिन्दुस्तानी का विरोधी नहीं हूँ। मैं हिन्दुस्तानी में बोल सकता हूँ परन्तु हिन्दी भाषा संस्कृत पर आधारित है जिसे इस देश में कोई भी नहीं समझता। दक्षिण में जिन लोगों ने हिन्दी के प्रचार के लिये कार्य किया है, अब उनका भी कटु अनुभव है। जहाँ तक दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के कार्यकर्त्ताओं का सम्बन्ध है, वे स्वेच्छा से कार्य कर रहे हैं और वे हिन्दी लादना नहीं चाहते। जब महात्मा गाँधी हिन्दी की बात करते थे, तो वह कभी यह नहीं चाहते थे कि उसे अन्य लोगों पर लादा जाये।

इस सभा में, जहाँ विभिन्न भाषायें बोलने वाले जनता के प्रतिनिधि विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिये समवेत होते हैं, केवल हिन्दी तथा अंग्रेजी को इस सभा की सरकारी भाषा बनाया हुआ है। क्या सरकार ने लोगों की समानता तथा देश की विभिन्न भाषाओं की समानता की आवश्यकता को अनुभव किया है; लोकतंत्र में मुझे अन्य सदस्यों द्वारा जो कुछ कहा गया है, उसे समझने के योग्य बनाना जाना चाहिये। इस सरकार ने इन बीस वर्षों के बाद भी देश की

भाषाओं की समानता को नहीं माना है। समस्या की जड़ यही है। हमें इस समस्या को व्यावहारिक दृष्टि से देखना चाहिये, नकि भावुकता की दृष्टि से।

मैं हिन्दी भाषी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी जिम्मेवारी को समझें। जब उनकी भाषा देश की भाषा होगी तो स्वाभाविक ही उनपर अन्य लोग यह आरोप लगायेंगे कि वे इस समस्या को पक्षपात की दृष्टि से देख रहे हैं; अतः हमें इस बारे में समझौता कर लेना चाहिये। हमें अभी अंग्रेजी को ही जारी रखना चाहिये। इस बीच हमें अपना ध्यान इस ओर रखना चाहिये कि सभी राज्यों में उच्चतर स्तर पर प्रादेशिक भाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाये। पाँच अथवा दस वर्षों के पश्चात् अंग्रेजी में अधिक प्रवीण व्यक्ति बहुत कम होंगे। तब अधिकतर लोग हिन्दुस्तानी भाषा का ही प्रयोग करेंगे और इस कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुँच जायेंगे कि उनके तथा सरकार के बीच पत्र-व्यवहार की भाषा हिन्दुस्तानी ही होनी चाहिये।

यह विधेयक एक अस्थायी तरीका है जिससे हाल के लिये यह समस्या हल हो जाये। यह मूल समस्या का हल नहीं है। मूल समस्या तभी हल होगी जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ तथा राज्यों के केन्द्र के साथ पत्र-व्यवहार के मामले में सभी भाषाओं को समान माने। यह प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वह केन्द्रीय सरकार के साथ अपनी ही भाषा में पत्र व्यवहार करे तथा अपनी ही भाषा में उत्तर माँगे। उसके इस अधिकार की रक्षा की जानी चाहिये। केन्द्रीय सरकार को यह देखना चाहिये कि अहिन्दी क्षेत्रों में स्थित उसके सभी कार्यालय जनता से उनकी ही भाषा में पत्र-व्यवहार करें, न कि अंग्रेजी में। जब तक हम भाषाओं की समानता के आधार पर लोगों को इस अधिकार की गारंटी नहीं देंगे, तब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं होगा और इस समस्या से इस देश की एकता खंडित हो जायेगी। इसलिये, सरकार को अपना वर्तमान रवैया बदलना चाहिये।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : It was provided in Article 343 of the Constitution that Hindi will be the official language of India and Eglish will continue for a period of 15 years. In 1963, by an Act it was provided that English will continue as an additional language.

[**श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए**
Shri C. K. Bhattacharyya in the Chair]

The intention of the Government behind this Bill should be understood. This Bill has been introduced for the benefit on non-Hindi states, which are unable to switch over to Hindi for official purposes. It has, therefore, been provided in this Bill that English will continue for the official purposes in the same manner as it was being used hitherto.

Hindi has been recognised as the language of our country. The Hindi Speaking people should understand that they should try to have non-Hindi speaking people with them, because then only the solidarity of the country will be preserved. The people of the south have got a conviction that Hindi is being imposed on them and this thing is very dangerous for the unity of the country. Non-Hindi speaking should also not insist to continue English indefinitely, since it is a foreign nguage andit will have to go from our country one day or the other.

The trouble is that non-Hindi States do not even tolerate that while corresponding with them, the Central Government may supply Hindi translation of the English correspondence. There is one compulsion for Hindi States in the Bill that while corresponding with non-Hindi States they will have to povide English translation of their Hindi correspondence.

The veto power given under clause five is not proper. It means that a single State will compel all the other States, to continue English.

I want that there should not be any compulsion for non-Hindi speaking people and for Hindi speaking people. There should not be any kind of imposition. The leaders of all political parties should ensure that they will not encourage any disruptive elements. They should strive for the unity of the country. Our agitation should not take ugly turn and public property should be preserved at all costs. This is , the wealth of whole country.

I request the hon. Minister to see to the interest of all people and remove the doubts, if any.

श्री फैंक एन्थनी (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : श्रीमान मैं अपनी बात को संशोधन विधेयक तथा संकल्प तक ही सीमित रखूंगा। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि यह विधेयक एक प्रकार के समझौते का विधेयक है । मैं मानता हूँ कि यह नेहरू के आश्वासनों और कांग्रेस पार्टी के आन्तरिक तथा बाह्य दबावों के बीच एक समझौता है। आपको याद होगा कि जब प्रथम विधेयक यहाँ लाया गया था तो उस समय मैंने कहा था कि यह हिन्दी को थोपने के लिए एक कदम है। हिन्दी वालों की यह निरन्तर कोशिश रही है कि नेहरू के आश्वासनों को कार्यान्वित न होने दिया जाये। मैं तो यह भी कहूँगा कि इन्होंने उन आश्वासनो का अपमान किया है।

संविधान का समय-समय पर यहाँ हवाला दिया जाता है और अनुच्छेद 343 के अनुसार एक हिन्दी को ही राजभाषा के रूप में लागू की जाने की माँग की जाती है परन्तु इनको यह भी मालूम होना चाहिये कि संसद को यह भी अधिकार है कि कानून द्वारा भाषा के प्रश्न पर अंग्रेजी को जारी रखा जा सकता है। मेरा अब विनम्र निवेदन है कि संविधान की धाराओं के अनुसार संसद को यह कानून पारित करना चाहिये कि अंग्रेजी सदा के लिये इस देश की राजभाषा बनी रहेगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह संशोधनात्मक विधेयक नेहरू के आश्वासनों के विपरीत है। इसमें बहुत सी त्रुटियाँ है। श्री नेहरू ने स्वयं कहा था कि अंग्रेजी को उस समय तक जारी रखा जायेगा कि जब प्रत्येक राज्य हिन्दी अपनाये जाने को तैयार नहीं होता। अब हिन्दी समर्थकों ने मिलकर अंग्रेजी को समाप्त करने की ठानी है और इन्हीं लोगों की केन्द्रीय मंत्रिमंडल में बात चलती है। ऐसी स्थिति में पूर्णरूप से हिन्दी थोपी जा रही है और अंग्रेजी को तिलांजलि दी जा रही है। जो कुछ थोड़ा बहुत किया जा रहा है यह श्री नेहरू के आश्वासनों के अनुरूप नहीं है। मूल विधेयक की धारा 4 के अनुसार पाँच वर्षों में एक समिति का गठन किया जाने वाला है । उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जायेगी और राष्ट्रपति हिन्दी अपनाये जाने की सिफारिश करेंगे।

इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार अंग्रेजी भाषा के साथ उपहास किया गया है। यह व्यवस्था की जा रही है कि सरकारी पत्रों के साथ हिन्दी के पत्रों की अंग्रेजी में अनूदित प्रति भेजी जायेगी। यह श्री नेहरू के अश्वासनों का अपमान नहीं तो और क्या है? इस विधेयक से हिन्दी को समूचे देश पर लादा जा रहा है। श्री नेहरू का आश्वासन था कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी मुख्य भाषा के रूप में प्रयोग में लायी जायेगी। उसे पूरा नहीं किया गया है।

यह संकल्प तो इस विधेयक से भी अधिक हानिकारक है । सरकार ने कांग्रेस पार्टी के उस प्रभावशाली वर्ग के आगे घुटने टेक दिए हैं जो देश पर हिन्दी लादना चाहता है । अब सरकारी सेवाओं में पदोन्नति हिन्दी की परीक्षा पास करने पर मिला करेगी। फिर बाद में कोटा प्रणाली जारी की जायेगी और हिन्दी भाषी लोगों का कोटा सबसे अधिक होगा । क्योंकि उनका बहुमत है।

इससे हमारे देश की प्रशासनिक सेवाओं की कार्यकुशलता नष्ट हो जायेगी। इससे भी अधिक खराब यह बात है कि हिन्दी के लादने की प्रक्रिया का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जायेगा। इस प्रकार हिन्दी लादने की पूरी कोशिश की जायेगी।

हमारे संविधान मे नैदेशिक सिद्धान्तो में यह दिया गया है कि हिन्दी भाषा के विकास के लिये प्रयत्न किए जायेंगे। हिन्दी के नाम पर हिन्दुस्तानी भाषा को समाप्त कर दिया गया है। क्या यह इसलिये है कि इस में भाषा उर्दू के शब्द हैं। आल इंडिया रेडियो की हिन्दी हमारी समझ में नहीं आती। हालांकि मैंने हिन्दी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ा है।

कहा जाता है कि हिन्दी देश के बहुमत की भाषा है। आप यदि जनगणना के आँकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि हिन्दी वालों ने पंजाबी, उर्दू, राजस्थानी आदि को भी हिन्दी भाषियों में शामिल कर लिया है। मुश्किल यह है कि यह लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगते हैं।

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्वी दिल्ली) : आप भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मुझे खेद है क्योंकि मेरे मित्र का अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बहुत सीमित जान पड़ता है। इस संकल्प के अनुसार हिन्दी भाषा के विकास पर बल दिया जायेगा, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि अहिन्दी भाषी लोगों को मुश्किल में डाल दिया जाये। आप केवल धन व्यय करके किसी भाषा का विकास नहीं कर सकते। माननीय मंत्री ने कहा है कि वह सभी भाषाओं के विकास की ओर ध्यान देंगे। ये संकल्प भारतीय भाषाओं की शोभा भी कम करता है।

उच्चतम न्यायालय ने भी अपने एक निर्णय में कहा है कि अंग्रेजी भाषा भारत की भाषाओं के समान है क्योंकि हमारे संविधान की यही भाषा है। हमारे बड़े-बड़े सभी न्यायालयों की भी यही भाषा है। हमारे देश राज्य नागालैण्ड ने अंग्रेजी भाषा को अपनी राजभाषा घोषित किया है। इसके अतिरिक्त देश के बहुत बड़ी संख्या के लोगों की भाषा भी यही है। आप नागाओं को भारत के समीप लाना चाहते हैं परन्तु उनके राज्य की भाषा को आप मान्यता नहीं देना चाहते। इसमें क्या संगति है। क्या आप इस प्रकार आंग्ल भारतीयों की भाषा का अपमान करना चाहते है।

देश में शिक्षा के माध्यम के बारे में निर्णय बहुत विचार के बाद किया जाना चाहिये। मुझे खेद है कि सरकार राजनैतिक दबाव में आकर ऐसे-ऐसे निर्णय कर देती है जिनका परिणाम बहुत महत्व रखता है। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी कह दिया था कि आप देश के विघटन की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि हम सभी भाषाओं को परीक्षा का माध्यम बनायें तो उसके लिये परीक्षा बाद पर्चे आदि आँकने के लिये प्रबन्ध करना बहुत कठिन होगा। फिर विभिन्न प्रकार के दबाव से रिश्वत आदि को बढ़ावा मिलेगा। हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। बहुत से राज्यों ने तीन भाषाओं वाले सूत्र को अपनाया है और हमारे शिक्षा मंत्री श्री सेन ने दो भाषाओं के बारे में कहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार तो केवल एक भाषा ही चाहती है। उन्होंने पहले दक्षिण की एक भाषा का अध्ययन आरम्भ करने की बात की थी परन्तु बाद में केवल एक ही भाषा को रखा। जब हिन्दी राज्यों ने केवल एक भाषा सूत्र अपनाया है तो आप अन्य राज्यों के तीन भाषाओं का सूत्र अपनाने के लिये कैसे कह सकते हैं।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The Britishers have left but their language is still here. It is also bound to go. It cannot remain here for long. Shri Kripalani has rightly said that

if Covernment would like to continue English, it would be suicidal for the Government. It is against our self-respect to have this foreign language. The earlier it is removed the better it would be for the country.

I have all respect for my brother from South India. The people from Southern States have played very important role in our freedom struggle. I want that we, from north should learn a language if South India and they should learn a language of north India.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

My hon. friends from southern States have expressed some fears. We should try to remove those fears. This resolution is of great political importance. Had our Government taken a realistic view and taken some concrete steps, these difficulties would not have arisen. Had they given some incentive to the Government servants for learning Hindi, they would definitely have learnt it. They should have prescribed some test of Hindi and those who qualified it should have been given one advance increment and persons from non-Hindi areas should have been given two increments. This opposition to Hindi actually starts from these Gvernment servants who stay in New Delhi.

Now there is awakening in all classes of our people. It is not the right of a few, privileged ones to join government service. Now it will not be only English-speaking people who would be considered fit for Government service. I congratulate the hon. Home Minister for briniging forward this resolution. Now onward persons belonging to poorer sections of society will be able to rise upto highest posts.

I know that general masses of South India is not in favour of English. The question is of employment which is the cause of worry. I want to ask the members of opposition to see reason. It is not proper and not in the interest of our country to retain English language in this country for ever. It is against our self-respect. We should develop our own languages and make them popular.

We can retain English for our correspondence with other countries. It will serve as a window towards outside world. Our Constitution has conferred first place to English. I do not know why this amendment is being made. English language cannot continue for long now. Haryana is going to polls. Congress Party will cut a sorry figure if English is given any undue weightage. It is not only my opinion but the opinion of the masses. I request the hon. Minister to give proper status to Hindi. We should feel the pulse of masses. Now they are quite conscious of their rights. They will not tolerate any wrong decision of the Government. This Bill has got historical importance. Congress Party is the only party which can safeguard the interest of our country in a better way.

I request my hon. friends from South India that they should not cling to English so much. It is a foreign language. If we learn each other's language, it would help in integration of our country. South India and its languages have great importauce for ihe whole of our country. We lost these 20 years and have not done anything to remove the difficultes and misgivings. of non Hindi persons. Now Hindi will receive a set back by this resoiution. It would have been better, if we had taken steps for the spread of Hindi in South, India.

Shri Atal Behari Vajpayee (Balramur) : I was listening to Shri Frank Anthony's speech and was reminded of the position of English in the year 1650. At that time French and Latin were the official languages of England and English was the language of the masses in England. The people had to agitate for the recognition of English as official language. Similar is the position of Hindi in India today. I have got this book 'Triumphs of the English Language' written by one Mr. Jones. It gives a vivid picture of efforts that were made to give a proper place to English language. It, was on 22nd November, 1650 that the English

Parliament agreed to give recognition to English language. Thus it was after fighting that English was granted the status of official language. These very arguments were given against English at that time as it is being given here in the case of Hindi. The people of England thereafter enriched and developed their language and today our friends do not want to discard English.

The decision regarding Hindi being official language was not taken by Hindi-speaking people. This decision was taken by the Constitutent Assembly. This decision was taken by non-Hindi-speaking people. Now if this Parliament wants, it can amend the Constitution. If Parliament makes all the Indian languages as official languages, we would welcome that decision.

Hindi has no quarrel with other Indian languages. It wants that all should flourish. At the time of framing the Constitution the Drafting Committee had suggested that after five years Hindi should replace English but keepng in view the difficulty onf non-Hindi speaking people this period was extended upto fifteen years. These complications have now arisen because the decision of Constituent Assembly was not properly implemented. When this decision was taken our friends from South India were fully satisfied. Actually some people from North India were not happy at that time. The President of Constituent Assembly had at that time said that that decision was very delicate decision and it required to be implemented very earefully. It is our misfortume that the decision was not implemented properly and in 1965 we found that English could not be removed.

In 1963 an Act was enacted. The assurances of Shri Nehru have been referred very often- He had simply said that English will continue as an associate language and it will not be taken away till it was asked by non- Hindi speaking areas. Thus it was agreed by him that Hindi will be principal language and English will have second position. It is strange that by this Bill English is being given superior status.

The President had issued curtain directive in regard to use of Hindi. It was decided that competetive examinations for recruitment to services would be bheld in Indian languages but that decision has not been implemented. I want to know as to what was the need of bringing forward this Bill. It is against the Constitution. It seeks to force English on our country for ever. If it is passed our languages will be thrown in the background. I think there was no need of this Act after the Act of 1963. No party is happy over this Bill. If you replace English by Tamil or Oriya, we do not have any objection, but we cannot tolerate English. I do not agree with the view that this Bill will confer equal status on Hindi and English and there will be bilingualism in the country. Hindi has not been given equal status by this Bill. It is a surrender before English. We should try to preserve the unity of the country.

This Government has been giving encouragement to English since 1947. There were States like Madhya Bharat and Hyderabad where regional languages were used in High Courts, but there also English was introduced. Sir, my party is not in favour of removing English forthwith. We should find some compromise. I want to say to my friends of non-Hindi areas that we do not want to impose Hindi on them but they should also not impose English on Hindi areas. This Bill is going to give a higher position to English. I hope some good amendments will be brought forward. I think the employees should be allowed to use any one of these two languages. The practice of translation will not be practicable. It will involve too much delay also.

Lakhs of government servants have learnt Hindi and many of them already know Hindi.

So far the question of translation is concerned, I want, that translation should be done at the destination. It will save labour and it should be permissible to use both the languages.

This resolution says that the knowledge of English will be compulsory for entering into service. I feel that there should not be any element of compulsion. We should make all the languages as medium of examination for services.

An annual report indicating the progress made in the development and spread of Hindi should be placed before Parliament. The education is spreading and people from villages are coming to cities to seek employment. We should allow them, and provide them ample opportunities to work in their own lanaguages.

Students in Hindi-speaking areas are very much resentful these days. They have started agitations. It is not correct to say that they have been instigated by any party. It is a feeling of frustration that has prompted them to launch these agaitations. They find that even after 20 years of independence their future career is blocked due to the lack of knowledge of a foreign language. If we are going to have regional languages in Madras, in Mahatrashtra and in West Bengal, then we must have a link language for the Union. This language cannot be a foreign language. Ours is a union of States but in spirit our Constitution has bestowed more powers on the centre. The question of official language comes under the jurisdiction of Central Government.

The Parliament should take a decision after taking into account the difficulties of various States but it cannot leave the decision to States. This Parliament can change the boundries of any State. It can change their names. But in this Bill a provision has been amade that a single State will have the right to ask that English should continue as official language and that will be done by the Centre. Thus veto power has been given to each State.

I feel that the powers of this Parliament have been reduced and the Vidhan Sabha of each State has been made more powerful. So far the matter of official language is concerned, this seems to be against the provisions of the Constitution. It is not a question of language only but it is a matter regarding powers of the Centre and State. The Central Government should consider all this. There is no opposition of Hindi in Kerala, Mysore and Andhra Pradesh. It is only in Madras that Hindi is being opposed.

It is a decision of the Constituent Assembly, It is not an imposition of any kind. I agree that adcqute steps have not been taken for the propagation of Hindi in Tamilnad. I know there are some institutions engaged in this job but some political parties are now blocking their work. I think that there is no need of passing this Bill. It will give a setback to Hindi. I demand that this Bill should be withdrawn.

The Prime Minister has said that this Bill is a compromise solution between two extreme view points. I do not agree with this because it is going to give a perpetual lease for the use of English.

We do not want that English should be removed at once. We want a position of parity for both English and Hindi. We want that there should be permission to use English and Hindi both. We are prepared for such an agreement.

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Ministry of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) After religion, it is language which rouses one's feelings. We have noticed so much exitement over this question. As Shri Vajpayee has said that the students are worried about their future. The language is a vehicle of expression and a source of unity but it is a misfortune tht it is being used against the unity of our country. It is becoming a barrier between different parts of our countries. We have to think over those matter in a dispassionate manner. It is to be tackled likewise.

Languages are not developed by politicians. English has developed not by the efforts of politicians. It is the writers and poets who enrich the languages. We should understand that it is not by official work that a particular language can be developed. During

the days of foreign rule our langauges were not given any encouragement for development. They remained as dialects only. Now when we are are a free notion we should pay due attention for their development. By doing so we should provide opportunities to those people also who have been deprived of their legitimate facilities and privileges.

We have fifteen national languages. We want that all of them should be developed. People should have facilities to study them and carry out their work in them. But it is not pracicable to use all these languages for Government work. We respect all these languages. We have to select one language which can serve as link language. That languge is Hindi. I know that for the non-Hindi areas it will create some difficulty. Some people have said that Hindi is not a fully developed language. We want the cooperation of our brethern in South India in this task also. I would request all my countrymen that the use of Hindi in official work is not enough. It should be used in our day to day work also. More and more books should be written in this and works of other languages should be translated in this languge. We should not be isolated from other countries. We should learn other languages also. We should have an international language also. This will acquaint us with the outside world. We will stand to lose if we discardit comletely. In other countries study of foreign languages are given due recognition. There it is essential to study one foreign language. We find mostly that English is selected for study in France, Germany or Russia. We have the benefit that English is now our language. We have some arrangement for its study in our country. I admit that its standard is going down. But even then it is serviving as a link. We want a language for use in our international dealings. This language can only be English. Thus we cannot disband English for that also.

It is a misfortune that the events are taking ugly turn. It is threatening the unity of our country. People in the North and in the South have been entertaining doubts about their future careers etc. We have to find a way for all this.

Now the position is that English has been our language for administration work. We adopted Hindi. It changed the position some what. Hindi has to be simultaneously developed. It has been provided that a report on its progress will be placed before Parliament. This House will view the situation and point out the short-comings. In this situation the the Non-Hindi areas also want some safe-guards. It is has been provided that, translations should be provided for then and they should be provided all facilities for the study of Hindi so that they, have no difficulty in this regard. In such a situation we have to adopt a middle course. Being in such situation, we cannot please all.

At present there are seven States that want that Hindi should not be imposed. The majority should take into account the feelings of those who are in minority. The Southern States want some more time for adopting Hindi. We should agree to their demand. It is not proper to settle such matters on street. It should be settled by persuasion and understanding. Some Ministers belonging to a particular political party have also taken part in language agitation. I do not think it proper. It is not good to resort to coercive methods. You can stage a peaceful demonstration, but setting on fire is something very different. We want to maintain the unity of our country. We want that Hindi should be used for cementing the unity of different regions of our country. Hindi should be spread by persuasion. There is no use in raising slogans. We have to take concrete steps for the spread of Hindi so that it can be a link between the people of different parts of our country.

श्री समर गुह (कन्टाई): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रधान मंत्री ने राष्ट्रभाषा का शब्द प्रयोग किया है। **

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr Deputy Speaker in the Chair]

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा० मैत्रेयी बसु (दारजीलिंग) : यह राजभाषा विधेयक है। इसे आप सम्पर्क भाषा का या राष्ट्रीय भाषा का विधेयक नहीं कह सकते। इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिये। देश के पूर्वी भाग के राज्यों की कठिनाइयों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। आज विश्व के बहुत से देशों में अंग्रेजी भाषा प्रचलित है। इंगलैण्ड में भी वेल्ज क्षेत्र में अंग्रेजी नहीं बोली जाती। हमें वहाँ की स्थिति समझ कर अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिये। हमारे देश में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का विभिन्न प्रकार से प्रयोग होने लगा है। इंगलैण्ड में इन शब्दों के और ही अर्थ समझे जाते हैं।

हमारे देश में अन्य देशों की अच्छी बातों को अपनाने की परम्परा रही है। भारत में विदेशों की बहुत सी वस्तुएँ प्रचलित हो गई हैं। यह एक अच्छी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 13 दिसम्बर, 1967/22 अग्रहायण 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December, 13, 1967/Agrahayana 22, 1889 (Saka).

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Alld.